हिंदी रूपान्तरणात्मक व्याकरण के कुछ प्रकरण

यमुना काचरू

H
418.2
K 113 H
418.2
K113H

केन्द्रीय हिंदी संस्थान • आगरा

प्रसार व्याख्यान माला—4

हिंदी रूपान्तरणात्मक व्याकरण के कुछ प्रकरण

यमुना काचरू

प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग, इलिनॉय विश्वविद्यालय, अरबाना (इलिनॉय)

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

© केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

प्रथम संस्करण : 1973

द्वितीय संस्करण : 1997

Library IIAS, Shimla
H 418.2 K 113 H
00095165

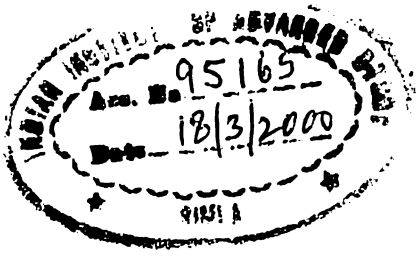

H
418.2
K 113 H

मूल्य : रु० 30·00

केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग आगरा–5 द्वारा प्रकाशित और चन्दन प्रिंटिंग प्रेस, सराय बेगा, आगरा–7 से मुद्रित ।

प्रथम संस्करण का आमुख

केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी भाषा और अन्य भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण संबंधी तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान की व्यावहारिक प्रयोगशाला है। संस्थान समय-समय पर प्रसार व्याख्यानों का आयोजन करता है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा और शिक्षण से संबंधित विशेषज्ञ विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार व्याख्यान माला के अंतर्गत इलिनॉय विश्व-विद्यालय, अरबाना-शेम्पेन के भाषाविज्ञान विभाग की प्रोफ़ेसर डॉ. (श्रीमती) यमुना काचरू को जुलाई, 1972 में 'हिंदी रूपांतरणात्मक व्याकरण के कुछ पक्ष' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके ये व्याख्यान अब पुस्तकाकार प्रकाशित किए जा रहे हैं।

व्याकरण विश्लेषण की विभिन्न विधाओं में आज सर्वाधिक चर्चित विधा चॉमस्की का रूपांतरणात्मक व्याकरण का सिद्धांत है। आज इस सिद्धान्त ने न केवल भाषा बल्कि मनोविज्ञान, दर्शन आदि के अध्येताओं का भी ध्यान आकृष्ट किया है। डॉ० यमुना काचरू ने प्रस्तुत प्रबंधों में इसी व्याकरण का संक्षिप्त सहज और रोचक परिचय देते हुए उत्पादक वाक्य-विन्यास और उत्पादक अर्थ-विन्यास के सिद्धांतों के आधार पर हिंदी के विशेषण उपवाक्य और हिंदी प्रेरणार्थक क्रियाओं के गठन का विशद और विचारोत्तेजक विवेचन प्रस्तुत किया है। हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के इस पक्ष से संबंधित सभी विद्वान श्रीमती काचरू के उस कार्य से भलीभाँति परिचित हैं जो उन्होंने इलिनॉय विश्वविद्यालय, अरबाना-शेम्पेन में किया और अपने सहयोगियों और विद्यार्थियों से कराया है और करा रही हैं। हिंदी वाक्य-विन्यास नाम से इसमें से कुछ कार्य साइक्लोस्टाइल रूप में प्रकाश में भी आया है।

हमारा विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक हिंदी व्याकरण की पुनः रचना में निश्चित रूप से नयी दिशा देगी।

हम डॉ० यमुना काचरू के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने संस्थान में व्याख्यान देने और तदनंतर उन्हें लेखबद्ध करने का हमारा आमंत्रण स्वीकार किया।

व्याख्यानों को पुस्तकाकार प्रकाशित करते हुए हम आशा करते हैं कि हिंदी के व्यावहारिक व्याकरण के इन पक्षों पर विद्वत्समाज में फलदायक चर्चा होगी। प्रकाशक के नाते संस्थान सभी सुझावों का स्वागत करेगा और उन्हें डॉ० (श्रीमती) यमुना काचरू को प्रेषित करेगा।

—ब्रजेश्वर वर्मा

आमुख

चामस्की तथा उनसे प्रभावित आधुनिक युग के भाषावैज्ञानिकों के भाषा-अध्ययन का आधार व्यवहारवादी मनोविज्ञान का 'उत्तेजन-प्रतिक्रिया' व्यवहार नहीं है। यह संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की 'संज्ञान' की अवधारणा से प्रभावित है। मनुष्य अन्य प्राणियों से इस कारण श्रेष्ठ है कि वह संज्ञान-शक्ति के द्वारा संवेदनों को नाम, रूप, गुण आदि भेदों से सविशेष बनाकर ज्ञान प्राप्त करता है। संज्ञानात्मक शक्ति की भाँति भाषावैज्ञानिक मनुष्य की भाषिक सामर्थ्य को मानसिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य इस जगत के मनुष्येतर प्राणियों से अपनी भाषा सामर्थ्य के कारण भिन्न एवं विशिष्ट है। सातवें दशक के पूर्व के भाषावैज्ञानिक यह मानते थे कि मानव-शिशु जिस भाषा समाज में पलता है वहीं की भाषा को सुनता है, उसका उच्चारण करता है, उसको दोहराता है और मात्र अनुकरण करने के कारण उसी भाषा को अपनी प्रथम भाषा के रूप में सीख लेता है। जब मानवेतर प्राणियों को मानवीय भाषा सिखाने का प्रयास किया गया तो मानव एवं मानवेतर प्राणियों की भाषा अर्जन-शक्ति का अंतर स्पष्ट हुआ। मानवेतर प्राणी अनेक प्रयासों के बाद भी मानव भाषा को उस प्रकार नहीं सीख पाते जिस प्रकार मानव शिशु सीख लेता है। इसी कारण यह सिद्ध है कि मनुष्य में भाषा सीखने की विशेष सामर्थ्य होती है। भाषा सामर्थ्य एवं भाषा निष्पादन में अंतर है।

भाषा सामर्थ्य की दृष्टि से एक विशिष्ट भाषा की व्यवस्था एवं संरचना की प्राप्ति से अधिक महत्व 'सार्वभाषिक व्याकरण' का है। सार्वभाषिक व्याकरण विश्व में व्यवहृत समस्त भाषाओं की सार्वभौमिक विशेषताओं का आकलन है, भाषाओं से संबंधित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण है, सभी भाषाओं में अंतर्निहित संरचना के सामान्य लक्षणों की खोज है। इन सामान्य लक्षणों का अन्तिम आधार मानव मस्तिष्क है।

मानवीय भाषा की यह विशेषता है कि मानव शिशु थोड़े ही समय के बाद सीखी जाने वाली भाषा में नए-नए वाक्यों की सर्जना करने लगता है। किसी भाषा के संभाव्य वाक्य संख्यातीत होते हैं किन्तु व्यवस्थापरक तथा वाक्यों की अभिरचना संबंधी नियम अपनी संख्या में सीमित होते हैं। ये नियम मानव के मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं यद्यपि वह इन नियमों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता।

किसी भाषा के सीमित व्यवस्थापरक तथा वाक्य की अभिरचनाओं के नियमों के आधार पर उस भाषा के व्याकरण सिद्ध वाक्यों की सर्जना की क्षमता अथवा वाक्यों के प्रजनन सम्बन्धी व्याकरण के सिद्धान्तों का निरूपण ही 'प्रजनक व्याकरण' का लक्ष्य है। प्रजनक व्याकरण पर कार्य करने के पूर्व चामस्की ने सन् 1957 में अपनी पुस्तक 'सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स' में 'ट्रान्सफोरमेशनल ग्रामर' का ढाँचा प्रस्तुत किया। इस कृति में चामस्की ने 'ट्रान्सफोरमेशन' संबंधी नियमों की व्याख्या प्रस्तुत की। 'ट्रान्सफोरमेशनल ग्रामर' वर्णनात्मक भाषाविज्ञान से भिन्न है। यह भाषा की संरचना एवं व्यवस्था पर विचार करने के साथ-साथ नए-नए वाक्यों की उत्पादकता के रचना संसार में प्रवेश करता है। यह बताता है कि वाक्यों की अभिरचनाओं के द्वारा किस प्रकार से नए-नए वाक्यों का प्रजनन होता है; 'वाह्य संरचना' पर दो वाक्य अपनी अभिरचना में समान प्रतीत हो सकते हैं किन्तु उनके 'ट्रान्सफोरमेशंस' यदि समान नहीं हैं तो 'गहन संरचना' के स्तर पर उनकी भिन्नता को पहचाना जा सकता है।

प्रस्तुत कृति में डॉ० यमुना काचरू ने हिन्दी व्याकरण के विशेषण उपवाक्य तथा प्रेरणार्थक क्रियाओं की सारगर्भित विवेचना की है। इसके अतिरिक्त लेखिका ने हिन्दी वाक्यों के कुछ अन्य प्रश्नों का भी उल्लेख किया है। इस कृति का हिन्दी जगत ने स्वागत किया है।

मुझे विश्वास है कि इसके इस संस्करण से भाषाविज्ञान के उन विद्यार्थियों एवं विद्वानों को प्रसन्नता होगी जो इसके शीघ्र प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

(महावीर सरन जैन)
निदेशक

25 फरवरी, 1997

भूमिका

इस संग्रह में प्रस्तुत प्रबंध केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा की प्रसार व्याख्यान माला के अन्तर्गत 1972 की जुलाई में दिए गए व्याख्यानों के ईषत् परिवर्द्धित संस्करण हैं। सबसे पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान और उसके निदेशक डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपनी प्रसार व्याख्यान माला में आमन्त्रित कर न केवल मुझे गौरवान्वित किया बल्कि पहली बार भाषा-वैज्ञानिक विषय पर हिंदी में कुछ लिखने को प्रेरित किया। सौभाग्य या दुर्भाग्य से भाषा-विज्ञान का अध्ययन-अध्यापन अब तक अंग्रेजी के माध्यम से ही करती रही हूँ, इसलिए हिंदी में कुछ कहने या लिखने की बात जितनी कठिन नहीं लगती उससे अधिक आशंका यह रहती है कि कहीं भाषा के साथ कुछ अत्याचार न हो जाए। वैसे अब ऐसी आशंका भी व्यर्थ है। यह प्रयत्न जैसा है, वैसा पाठकों के सामने है।

भाषा-विज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष में आजकल जो हलचल मची है, इन लघु प्रबन्धों में उसका विवरण तो क्या, आभास तक देना सहज नहीं। हिंदी पर जो काम अंग्रेजी के माध्यम से हुए हैं, उनका भी विवरण यहाँ प्रस्तुत नहीं। हिंदी व्याकरण पर शोध की कितनी गुंजाइश है और कितनी आवश्यकता है, इसका आभास मात्र इस आंशिक विवरण से मिलेगा।

इन प्रबन्धों में रूपान्तरणात्मक व्याकरण के प्रामाणिक (standard) या उत्पादक वाक्य-विन्यास (generative syntax) सिद्धान्त का रूप ही अधिक स्पष्ट होता है। केवल प्रेरणार्थक वाक्यों के प्रसंग में उत्पादक अर्थ विन्यास (generative semantics) की कुछ मान्यताओं का समर्थन है। उत्पादक वाक्य-विन्यास और उत्पादक अर्थ-विन्यास इन दोनों जुड़वाँ सिद्धान्तों में से कौन-सा सिद्धान्त (theory) अन्ततः भाषा की गठन की विज्ञान-सम्मत व्याख्या (scientific explanation) प्रस्तुत कर सकेगा, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। स्पष्ट इतना ही है कि जहाँ उत्पादक वाक्य-विन्यास अर्थ-सम्बन्धी कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम है, वहाँ उत्पादक अर्थ-विन्यास आन्तरिक अर्थ-संरचना (underlying scientific representation) का संपर्क सतही वाक्य-रचना (surface structure) से जोड़ने में अभी सक्षम नहीं है। कुछ और भी रोचक सिद्धान्त हैं जो मनुष्य की भाषा-सम्बन्धी क्षमता की व्याख्या के लिए सर्वथा भिन्न मॉडल प्रस्तुत करते हैं। सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची में इन सब के प्रतिनिधि ग्रन्थों या प्रबन्धों का उल्लेख है।

भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में इन दिनों विचारों के आदान-प्रदान की जो उत्तेजना है, प्रतिस्पर्धी सिद्धान्तों के समर्थकों में जो उत्साह है, उसका अंश-मात्र भी मेरे इस प्रयास से यदि हिंदी-प्रेमियों में अपनी भाषा की संरचना के प्रति जागृत हो सका, तो मैं अपने को पूर्णतः सफल मानूंगी।

अरबाना, इलिनॉय

—यमुना काचरू

स्वर्गीय डॉ. विश्वनाथ प्रसाद
की
पुण्य-स्मृति में

अनुक्रम

भूमिका	नौ
1. रूपांतरणात्मक व्याकरण	1
2. हिंदी के विशेषण उपवाक्य	14
3. हिंदी की प्रेरणार्थक क्रियाएँ	31
4. भावी शोध की दिशाएँ	53
संदर्भ सूची	73

1. रूपान्तरणात्मक व्याकरण

1.0 भाषा का अध्ययन कई दृष्टियों से रोचक है। यूँ तो संवाद-वहन के और भी साधन हैं, परन्तु जो रचनात्मक क्षमता और गठन की जटिलता भाषा में है, वह और किसी सम्वाद-वाहक प्रणाली में नहीं। मानवीय भाषा को छोड़ प्रायः सभी ऐसी प्रणालियाँ कुछ विशिष्ट संकेतों से गठित हैं जिनमें से प्रत्येक संकेत एक विशेष सम्वाद को वहन करता है। उदाहरण के लिए चिम्पांजी की बोली लें या मधुमक्खी का नृत्य[1]। सम्वाद-वहन की इन प्रणालियों का कई विद्वानों ने अध्ययन किया है। यह सही है कि चिम्पांजी एक दूसरे को खतरे से आगाह कर लेते हैं, खतरा किस प्रकार का है, इसका भी संकेत कर देते हैं, अपने अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दे देते हैं, और ऐसे ही कई अन्य संदेश एक दूसरे तक ध्वनियों द्वारा पहुँचा देते हैं। लेकिन अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि संदेश-प्रसार करने के लिए चिम्पांजी 'नये वाक्य' गढ़ने की क्षमता रखते हैं। अध्ययन से पता यह चला है कि हर संदेश के लिए एक गढ़ा-गढ़ाया 'वाक्य' है, जिसे चिम्पांजी पीढ़ी-दर-पीढ़ी सीखते चले जाते हैं। चिम्पांजियों के एक गिरोह के 'वाक्य' दूसरे गिरोह के 'वाक्यों' से कुछ भिन्न होते हैं। लेकिन दस ग्यारह 'वाक्यों' की जो बँधी-बँधायी सम्पदा एक चिम्पांजी को मिलती है, उसके वाक्यांशों को लेकर 'नये वाक्य' गढ़ने की रचनात्मक क्षमता चिम्पांजी नहीं रखते। मधुमक्खियाँ अपने नृत्य द्वारा मधु के स्रोत, छत्ते से उसकी दूरी तथा उसकी स्थिति की दिशा का संकेत कर देती हैं, लेकिन उनका नृत्य सिर्फ इन्हीं का पूर्व निश्चित ढंग से संकेत कर सकता है। और नया संदेश वे नहीं दे सकतीं।

इसके विपरीत मानवीय भाषा की विशेषता यह है कि जीवन के बहुत छोटे से अंश में ही मानव-शिशु नये वाक्य गढ़ना सीख लेता है। जीवन के प्रथम पाँच-छह वर्षों में ही बच्चे न केवल ध्वनियों और शब्दों का, बल्कि वाक्य-रचना के सूक्ष्म सिद्धान्तों का भी इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वे आवश्यकतानुसार ऐसे वाक्य गढ़ सकें जो प्रसंग के अनुकूल हों। मानवीय भाषा की रचनात्मक क्षमता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज तक किसी ने किसी भाषा में सबसे लम्बा वाक्य न लिखा, न उच्चरित किया। लम्बे से लम्बा वाक्य भी विशेषण, क्रियाविशेषण, या समुच्चय बोधक जोड़कर और लम्बा बनाया जा सकता है।

मानवीय भाषा की एक और विशिष्टता यह है कि किसी भी गठन के सूक्ष्म नियम उसके बोलने वालों को ज्ञात होते हैं, भले ही पूछने पर वे इन नियमों को अभिव्यक्त न कर सकें। अगर हम हिन्दी-भाषियों के सामने नीचे के वाक्य रक्खें और उनसे यह पूछें कि इनमें से कौन-से वाक्य हिन्दी के हैं, तो उन्हें उत्तर देने में हिचक न होगी :

? 1. मोहन ने वह किताब जो सोहन ने उस आदमी से जो कल उस मकान में जिसे तुम खरीदने की सोच रहे थे आया था ली थी पढ़ली।[2]

2. मोहन ने वह किताब पढ़ ली जो सोहन ने उस आदमी से ली थी जो कल उस मकान में आया था जिसे तुम खरीदने की सोच रहे थे।

3. *उनके आने से हमारे लिए बड़ी खुशी होगी।[3]

4. उनके आने से हमें बड़ी खुशी होगी।

संसार में अभी भी बहुत-सी ऐसी भाषाएं हैं जो लिखी नहीं जातीं। इसका अर्थ यह नहीं कि इन भाषाओं के बोलने वाले यह नहीं जानते कि उनकी भाषा की कौन-सी ध्वनियाँ लिखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या उनकी भाषा की वाक्य-रचना के सूक्ष्म नियम क्या हैं। लेखन के इतिहास को देखें, तो सिनाई मरुभूमि के वासियों ने आज से कम से कम दो हजार वर्ष पहले, जब न भौतिक शास्त्र का विकास हुआ था न ध्वनि विज्ञान का, अपनी भाषा को लिखने के लिए उपयुक्त ध्वनि-चिह्नों का विकास किया। इस प्राचीन 'सेमेटिक' लिपि की विशेषता यह है कि सिर्फ व्यंजनों के लिए चिह्न हैं, स्वरों के लिए नहीं। यह लिपि सेमेटिक भाषाओं की ध्वन्यात्मक गठन की दृष्टि से उपयुक्त भी है। इन भाषाओं में संज्ञा या धातुओं के मूल रूप सिर्फ व्यंजनों से बनते हैं, स्वरों से उनके विकार का संकेत होता है। जैसे मूल रूप हैं क्-त्-ब्, स्वर जोड़कर **किताब, कुतुब**, आदि बना लिए जाते हैं। संसार की सभी लेखन पद्धतियों का विकास ई० पू० 4000 से ई० पू० 3500 के बीच हुआ। एक ही वर्ण-आधारित लेखन-प्रणाली (alphabetical writing system) किस प्रकार रोमन, ग्रीक, अरबी-फारसी से लेकर ब्राह्मी लिपि तक की प्रेरणा बनी, इसका इतिहास अत्यन्त रोचक भी है और शिक्षाप्रद भी।[4]

सारांश यह कि मानवीय भाषा की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं उसकी रचनात्मक क्षमता और उसकी सूक्ष्म नियमबद्धता। भाषा-शास्त्र का लक्ष्य न केवल यह है कि विशिष्ट भाषाओं की गठन का अध्ययन हो, बल्कि यह भी कि उन सूक्ष्म नियमों का आविष्कार किया जाए जो मानव-भाषा की परिभाषा बाँधते हैं। कोई मानव-शिशु किसी विशिष्ट भाषा को सीखने के लिए तैयार होकर संसार में नहीं आता। हिन्दी-भाषी परिवार का शिशु अगर रूसी-भाषी परिवार में पले, तो

वह पहले रूसी बोलना ही सीखेगा। इसके विपरीत, मानवेतर जीव जैसे चिम्पांजी आदि को मानव-परिवार में पालने के जो प्रयोग हुए हैं उनसे प्रमाणित हो गया है कि ये जीव कोई मानव-भाषा नहीं सीख पाते। इससे ऐसा लगता है कि भाषा सीखने की एक विशेष क्षमता होती है जो मनुष्य में तो है, मनुष्येतर जीवों में नहीं। यदि मानव-भाषा की गठन के सूक्ष्म नियमों का आविष्कार हो जाए, तो आशा यह है कि हमें उस विशिष्ट क्षमता की भी वैज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध हो जाएगी जिसके कारण मनुष्य भाषा सीख पाता है। इस तरह अंततः भाषा-विज्ञान का लक्ष्य है मनुष्य की उस क्षमता की वैज्ञानिक व्याख्या जो मानव को भाषाविद् बनाती है।[5]

2.0 समसामयिक भाषाविज्ञान का लक्ष्य यों निर्धारित कर लेने के पश्चात् प्रश्न यह उठता है कि उसकी सिद्धि के लिए यह शास्त्र कैसे सिद्धान्त प्रचारित करता है। आज के भाषा-वैज्ञानिक सिद्धान्तों में जिस सिद्धान्त ने न केवल भाषा बल्कि मनोविज्ञान, दर्शन आदि के अध्येताओं का भी ध्यान आकृष्ट किया है, वह है रूपान्तरणात्मक व्याकरण का सिद्धान्त।[6]

पहले ही कहा जा चुका है कि मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी रचनात्मक क्षमता। इसलिए रूपान्तरणात्मक सिद्धान्त का एक उद्देश्य है। विभिन्न भाषाओं के ऐसे व्याकरण प्रस्तुत करना जो न केवल किसी विशिष्ट पाठ (लिखित या उच्चरित के) वाक्यों की गठन की व्याख्या कर सकें, बल्कि भाषा के सभी 'सम्भव वाक्यों' की गठन को प्रत्यक्ष कर सकें। अर्थात् रूपान्तरणात्मक व्याकरण इस ढंग से लिखे जाएँ कि उनमें प्रस्तुत सूक्ष्म नियम या सूत्र विचारान्तर्गत भाषा के किसी भी वाक्य का विन्यास प्रस्तुत कर सकें। यह सही है कि वैयाकरण अपनी भाषा का व्याकरण सुने-सुनाए या अन्य माध्यमों से अपने अनुभव के क्षेत्र में आए वाक्यों के आधार पर ही तैयार करता है। लेकिन व्याकरण का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी सीमित पाठ के आधार पर नियम बना डाले जाएँ। व्याकरण के नियम तभी नियम की संज्ञा पा सकते हैं जब वे सम्भावित वाक्यों की गठन की भी वैसी ही व्याख्या कर सकें जैसी अनुभूत वाक्यों की करते हैं। इस प्रकार रूपान्तरणात्मक सिद्धान्त के अनुसार व्याकरण वर्णनात्मक हो, इसके साथ-साथ जोर इस बात पर भी है कि व्याकरण उत्पादक (geuerative) हो।

3.0. व्याकरण का मॉडल क्या हो, इस पर भी रूपान्तरणात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। वास्तव में मॉडल का एक सर्वमान्य रूप अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है।[7] इस प्रबन्ध में मॉडल के उस रूप की चर्चा है जो चॉमस्की और उसके समर्थकों को अभी मान्य है और जिसे प्रामाणिक सिद्धान्त (standard theory) के नाम से अभिहित किया गया है।[8]

भाषा को स्थूल जगत से जोड़ने वाले तल (level) दो हैं : भाषा की ध्वनि रचना और उसकी-अर्थ-रचना। ध्वनि के माध्यम से सन्देश वक्ता से श्रोता तक पहुँचते हैं, अर्थ के माध्यम से भाषा का सम्पर्क मानवीय अनुभव के संसार से स्थापित होता है। ध्वनि और अर्थ को जोड़ने वाली कड़ी है व्याकरण। इस व्याकरण के तीन अंग (components) हैं : प्रथम अंग में पद विन्यास (constituent structure) के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा की छोटी इकाइयाँ (पदग्राम, शब्द, पद आदि) किस प्रकार एक-दूसरे से जुड़ कर वाक्य-निर्माण करती हैं। दूसरा अंग यानी रूपान्तरण के नियम वाक्यों की सूक्ष्म गठन या आन्तरिक संरचना को स्थूल ध्वन्यात्मक गठन के पूर्वस्तर तक लाते हैं। तीसरा अंग यानी कोश (lexicon) इस आन्तरिक संरचना (deep structure) में उपयुक्त शब्द-योजन करता है। इनके अतिरिक्त अर्थ-नियम एक ओर वाक्यों की आन्तरिक संरचना को वाक्यार्थ से जोड़ते हैं, दूसरी ओर ध्वन्यात्मक नियम सतही संरचना को ध्वन्यात्मक गठन में बदलते हैं।

उदाहरण के लिए हिंदी का यह वाक्य लें :

5. रजनी अखबार पढ़ रही है।

पद-विन्यास के नियम जो ऐसे वाक्यों की आन्तरिक संरचना प्रत्यक्ष करें, इस प्रकार के होंगे :

(i) वाक्य→संज्ञा पद क्रिया-पद

(ii) क्रिया-पद→संज्ञा-पद क्रिया

(iii) संज्ञा-पद→संज्ञा

यदि क्रिया के साथ जुड़ने वाले काल आदि के विकारी प्रत्ययों को सम्प्रति छोड़ दें, तो इस वाक्य के मुख्य अवयव ये हैं : संज्ञा-पद जो वाक्य का उद्देश्य है (**रजनी**) और क्रिया-पद जो वाक्य का विधेय है (**अखबार पढ़ रही है**)। विधेय के दो मुख्य अवयव हैं : संज्ञा-पद जो क्रिया का कर्म है (**अखबार**) और क्रिया (**पढ़**)। एक और वाक्य लें जो जटिल है और द्वि-अर्थी भी :

6. लड़के ने दौड़ते हुए बच्चे को पकड़ लिया।

इस वाक्य के दो अर्थ हैं : एक तो यह कि लड़का दौड़ रहा था और उसने बच्चे को पकड़ लिया और दूसरा यह कि जो बच्चा दौड़ रहा था उसे लड़के ने पकड़ लिया। यह स्पष्ट है कि सिर्फ पद-विन्यास के नियम ऐसे जटिल वाक्यों की गठन की व्याख्या नहीं कर सकते, उनमें यह क्षमता तभी आ सकती है जब उन्हें आवश्यकता से अधिक जटिल बनाया जाए। मसलन्, पद-विन्यास के नियमों को ही उप-

र्युक्त वाक्य की सम्पूर्ण व्याख्या के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि उसके पहले अर्थ के लिए **दौड़ना** तथा **पकड़ना** क्रिया के कर्त्ता अभिन्न होने चाहिए, जबकि दूसरे अर्थ के लिए **दौड़ना** का कर्ता तथा **पकड़ना** का कर्म ये दोनों अभिन्न होने चाहिए। बहु-अर्थी वाक्यों में ऐसे कई पारस्परिक सम्पर्क होते हैं जिनके कारण पद-विन्यास नियमों की जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि हर जटिल वाक्य के विन्यास के लिए अलग

आरेख I (प्रथम अर्थ)

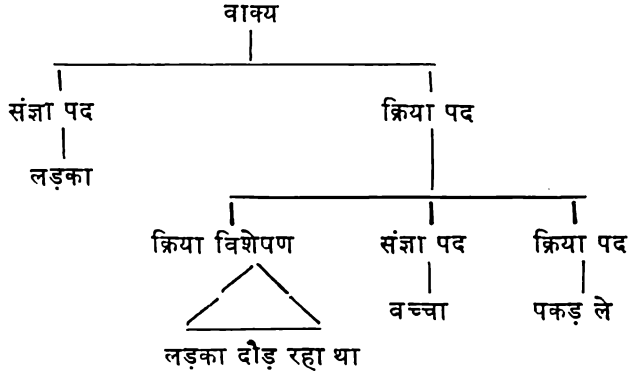

आरेख II (द्वितीय अर्थ)

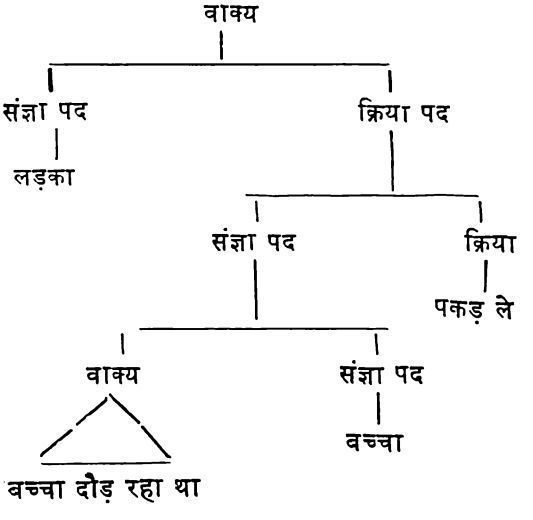

अलग नियम बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी । ऐसी अनावश्यक जटिलता से बचने के लिए रूपान्तरण के नियमों की व्यवस्था की गई है । पद-विन्यास के नियमों के अनुसार छठे वाक्य का विन्यास इस प्रकार किया जाएगा (पिछले पृष्ठ (5) पर दिया गया प्रथम आरेख प्रथम अर्थ को तथा द्वितीय आरेख द्वितीय अर्थ को स्पष्ट करता है) :[9]

आरेख I पर रूपान्तर के ये नियम लागू होंगे, क्रिया विशेषण पद रूपान्तरण नियम जिससे क्रियाविशेषण पद **लड़का दौड़ता हुआ** उत्पन्न होगा और आरेख I का रूप यह होगा :

I अ

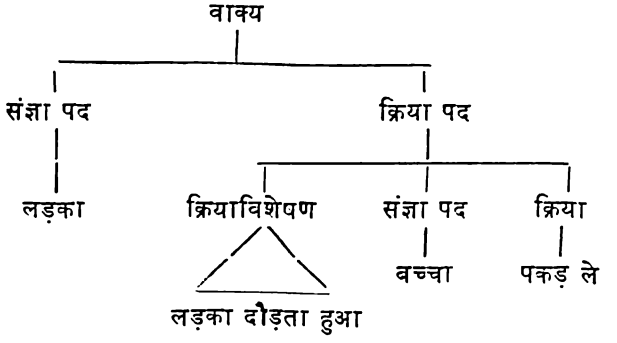

I अ पर अभिन्न संज्ञा-पद अध्याहार (Identical NP-Deletion) नियम लागू होगा ताकि वाक्य का सतही रूप यह न हो :

6. अ *लड़के ने लड़का दौड़ते हुए बच्चे को पकड़ लिया ।

अब I अ का रूप होगा :

I आ

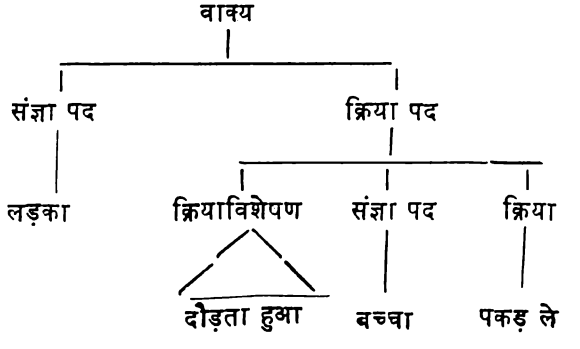

I आ पर अन्वय तथा ध्वनि-प्रक्रिया (phonology) के नियम लागू होंगे और तब 6 का उच्चरित रूप प्राप्त होगा। छठे वाक्य के द्वितीयार्थ में प्रकट आन्तरिक संरचना (आरेख II) पर ये नियम लागू होंगे : विशेषण पद गठन नियम जिससे आरेख II का रूप हो जाएगा :[10]

II अ

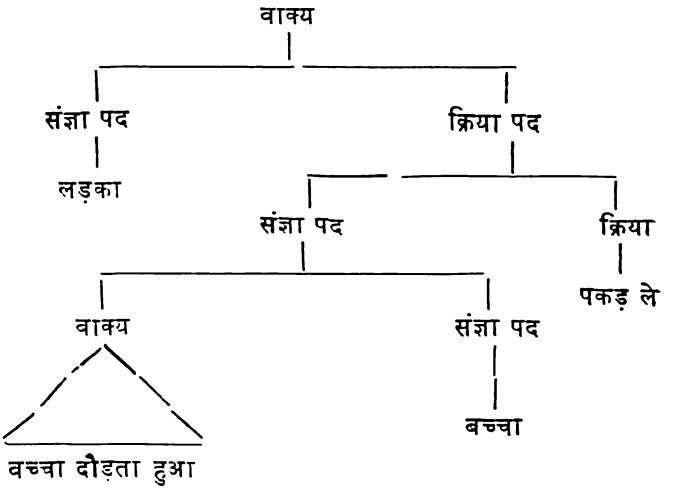

विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम लागू करने पर II आ प्राप्त होगा :

II आ

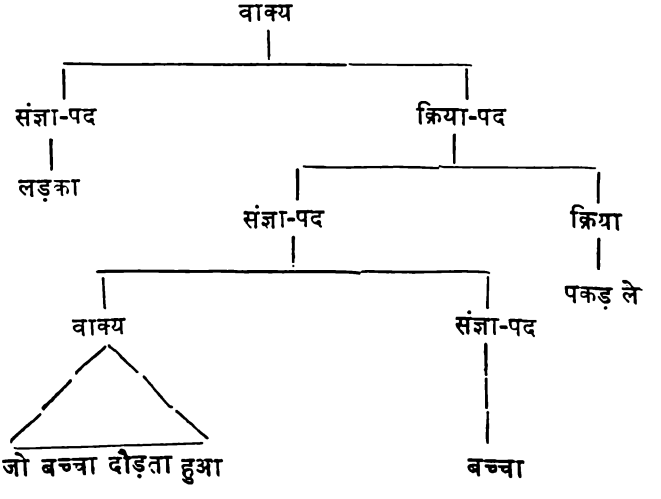

विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम के पश्चात् अभिन्न संज्ञा-पद अध्याहार नियम द्वारा आश्रित उपवाक्य के कर्त्ता का अध्याहार करने पर II आ का रूप होगा :

II इ

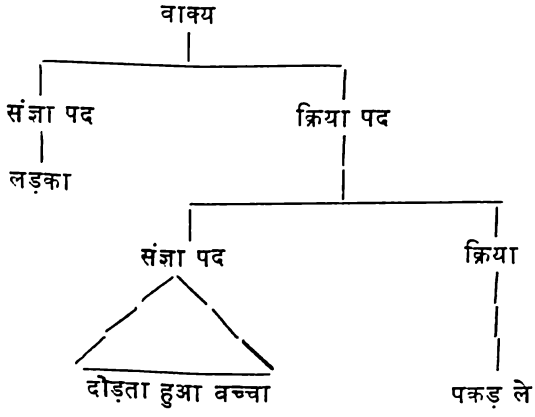

अन्वय तथा ध्वनि-प्रक्रिया के नियमों के लागू होने के पश्चात् II इ का उच्चरित रूप छठे वाक्य से अभिन्न होगा। इस प्रकार यद्यपि आरेख I और II में भिन्न वाक्य स्पष्ट हैं, रूपान्तरणों के भिन्न-भिन्न नियमों के लागू होने के पश्चात् दोनों का उच्चरित रूप अभिन्न होकर छठे वाक्य के रूप में प्रकट होता है। छठे वाक्य के द्विअर्थी होने की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत है।

3.1 छठे वाक्य के दोनों अर्थों का प्रत्यक्ष करने के लिए जो आरेख दिए गए हैं, उनसे स्पष्ट है कि वाक्यांशों के जटिल पारस्परिक सम्पर्कों को प्रकट करने के लिए केवल दो उपायों (devices) का सहारा लिया गया है। इनमें से एक उपाय है वाक्य के पुनरावर्तन (recursion) का और दूसरा उपाय है रूपान्तरण के नियमों का। ये दोनों उपाय इतने सक्षम हैं कि इनके उपयोग से व्याकरण के नियमों की सहजता भी बनी रहती है और जटिल से जटिल वाक्यों की गठन का विश्लेषण भी सम्भव हो जाता है।[11]

3.2 इसका यह अर्थ नहीं कि वाक्य के पुनरावर्तन और रूपान्तरण के नियमों के उपायों का अन्धाधुन्ध प्रयोग करने की छूट किसी वैयाकरण को है। अब तक मानव भाषा पर जो काम हुए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि पुनरावर्तित वाक्य की आवश्यकता सिर्फ संज्ञा-पद के विस्तार में पड़ती है।[12] रूपान्तरण के नियम तभी मान्य होते हैं जब वे सामान्य (general) हों (यानी उनका अधिकतम उपयोग हो सके)

और जब वे सहज (simple) हों। उदाहरण के लिए विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम को लें। ये नियम हिंदी के सभी ऐसे संज्ञा-पदों के प्रसंग में उपयोगी हैं जिनकी आन्तरिक गठन विशेषण+विशेष्य है। उदाहरण के लिए ये वाक्य लें जो विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम के द्वारा प्राप्त होते हैं :

7. जो लड़के आलसी हों, उन्हें घुसने मत दो।

8. जो गाड़ी चल रही है, उस पर एक कौवा बैठा है।

9. जो व्यक्ति सोए हुए हैं, उन्हें जगा दिया जाए।

10. जो लड़के पतंग उड़ाते हैं, वे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते।

11. मैं उस सभा में जाऊँगा, जो तीन बजे होगी।

विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम इन सबों पर लागू होता है और तब इनका रूप हो जाता है :

7 अ. आलसी लड़कों को घुसने मत दो।

8 अ. चलती हुई गाड़ी पर एक कौवा बैठा है।

9 अ. सोए हुए व्यक्तियों को जगा दिया जाए।

10 अ. पतंग उड़ाने वाले लड़के पढ़ाई में अच्छे नहीं होते।

11 अ. मैं तीन बजे वाली सभा में जाऊँगा।

7 अ का विशेषण पद सामान्य विशेषण है, 8-10 अ के विशेषण पद क्रमशः वर्तमान भूतकालिक और कर्तृवाचक कृदन्त हैं तथा 11 अ का विशेषण पद विधेय विस्तारक पद **तीन बजे** से उत्पन्न है।[13]

3.3 पद-विन्यास के नियम भी कपोल-कल्पित नहीं हैं। वाक्यों और पदों का विश्लेषण लघुतम इकाइयों में कैसे किया जाए, इसकी भी एक विशिष्ट पद्धति है। पद-विन्यास के नियम उन्हीं इकाइयों को मान्यता देते हैं जिनका उपयोग रूपान्तरण के नियमों में हो सके। उदाहरणार्थ, वाक्य का पृथक-करण संज्ञा-पद और क्रियापद में होता है। इन दोनों अवयवों का उपयोग रूपान्तरण के नियमों में होता है। हिंदी में एक रूपान्तरण नियम है जो वाक्य को संज्ञापद का रूप देता है, मसलन् बारहवें वाक्य का रूपांतरण तेरहवें वाक्य के संज्ञापद में होता है :

12. इन्दिरा गान्धी ने शेख अब्दुल्ला के साथ कश्मीर के भविष्य पर विचार-विमर्श किया।

13. इन्दिरा गान्धी का शेख-अब्दुल्ला के साथ कश्मीर के भविष्य पर विचार विमर्श करना....

बारहवें वाक्य का संज्ञा-पद है **इन्दिरा गान्धी** और क्रिया-पद है **शेख अब्दुल्ला····विचार विमर्श कर** । संज्ञा-पद रूपान्तरण नियम वाक्य के दोनों अवयवों को प्रभावित करता है : उद्देश्य संज्ञा-पद **इन्दिरा गांधी** के साथ **का** परसर्ग जोड़ता है और विधेय क्रिया-पद **शेख अब्दुल्ला····विचार विमर्श कर** के साथ क्रियार्थक संज्ञा-का प्रत्यय-**ना** जोड़ता है । एक और उदाहरण लें । वाक्य के क्रिया-पद के अवयव संज्ञा-पद और क्रिया बताए गए हैं । हिंदी में भूतकालिक कृदन्त पद रूपान्तरण का एक नियम है जिसको सूत्रबद्ध करने के लिए इन दोनों अवयवों की जरूरत पड़ती है । चौदहवें वाक्य और उसके समानार्थी कृदन्त पद (15) पर ग़ौर करें :

14. माओवादियों ने दफ्तर जलाए ।

15. माओवादियों के जलाए हुए दफ्तर····

चौदहवें वाक्य का उद्देश्य संज्ञा-पद है **माओवादी** और विधेय क्रिया-पद है **दफ्तर जला** । विधेय क्रिया-पद के दो अवयव हैं, संज्ञा-पद **तफ्तर** और क्रिया **जला** । भूतकालिक कृदन्त पद रूपान्तरण नियम के फलस्वरूप उद्देश्य संज्ञा-पद **माओवादी** के साथ **का** परसर्ग जुड़ता है और क्रिया **जला** को भूतकालिक कृदन्त **जलाया हुआ** का रूप मिलता है । तत्पश्चात् जो पद प्राप्त होता है, यानी **माओवादियों का जलाया हुआ**, वह क्रिया-पद के संज्ञा-पद यानी **दफ्तर** से अभिन्न संज्ञा-पद का विशेषण बनता है । चूंकि यह उदाहरण जटिल है, इसलिए इस पर कुछ विस्तार पूर्वक विचार करें। पन्द्रहवें संज्ञा-पद की आन्तरिक संरचना इस प्रकार है :

III

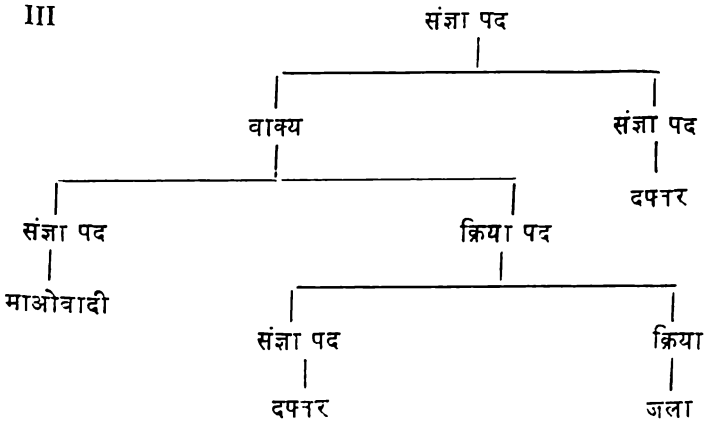

इस आन्तरिक संरचना पर विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रकरण के नियम लागू होते हैं । यहाँ मान लिया जाए कि ऊपर अंकित आरेख पर ये नियम लागू होते है : **विशेषण पद गठन नियम, विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम, विशेषण**

उपवाक्य लघुकरण नियम और अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम। III पर प्रथम नियम लागू होने पर उसका रूप होता है :

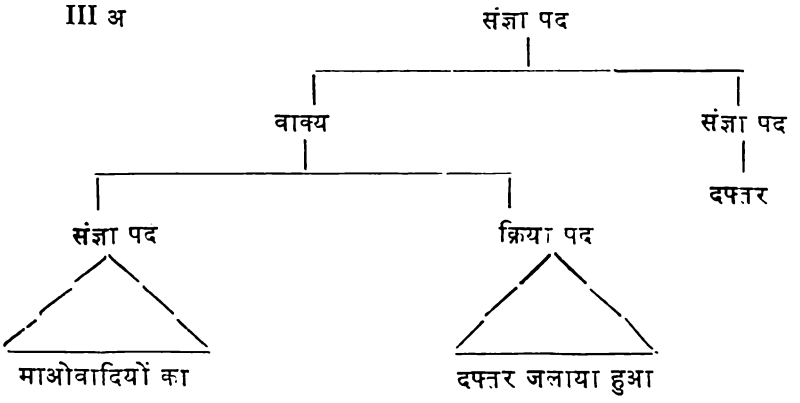

विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और अभिन्न संज्ञा-पद अध्याहार नियम क्रिया-पद के संज्ञापद **दफ्तर** के साथ ऊपरी संज्ञापद दफ्तर की अभिन्नता पर निर्भर हैं। अर्थात्, इन दोनों नियमों के लिए क्रिया-पद संरचना के इस अवयव का उपयोग होता है।

4.0 रूपान्तरणात्मक व्याकरण के सिद्धान्त के अनुसार व्याकरण का मॉडल क्या हो, इस पर अभी भी तेजी से शोध जारी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो शब्दकोश और व्याकरण के पारस्परिक सम्पर्क का है, विवाद का विषय बना हुआ है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं कि पद-विन्यास, रूपान्तरण, अर्थ और ध्वनि-नियमों के बीच शब्द-कोश का स्थान क्या है। कुछ वैयाकरण मानते हैं कि पद-विन्यास नियमों का अन्तिम भाग शब्द-कोश है जहाँ ऐसे नियम होते हैं।[14]

संज्ञा→**लड़का, राम** आदि

क्रिया→**पढ़, गा, जल** आदि

वाक्य की आन्तरिक संरचना तब पूरी होती है जब शब्दकोश के शब्द व्याकरणिक कोटियों के स्थान पर नियोजित कर दिए जाएँ, अर्थात्, रूपान्तरण के नियम शब्द-योजना के पश्चात् लागू होते हैं। अन्य वैयाकरणों ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि कुछ रूपान्तरण के नियम अवश्य ऐसे हैं जो शब्द-योजना के पूर्व लागू होते हैं।[15] भाषा में ऐसे भी शब्द हैं जो कई प्रकार के जटिल व्याकरणिक संपर्कों को प्रतिफलित करते हैं। मसलन् **दिखलाना** शब्द को लें। **दिखलाना** का अर्थ इन अवयवों से बना है—एक प्रेरक है, जो कोई द्रष्टव्य वस्तु प्रस्तुत करता है, दूसरा प्रेरित है, जो अपनी आँखों से काम लेता है और तीसरी वह वस्तु है जो देखी जा

रही है। **दिखलाना** के संश्लिस्ट अर्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए यह मानना आवश्यक है कि क्रिया के स्थान पर **दिखलाना** की योजना के पूर्व रूपान्तरण के कुछ नियम लागू हो चुके हैं।[16]

5.0 इस प्रबन्ध में कई नियमों की चर्चा की गई है। विशेषणों की उत्पत्ति से सम्बद्ध कई नियमों की चर्चा दूसरे प्रबन्ध में है। तीसरे प्रबंध में हिंदी के प्रेरणार्थक वाक्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रसंग में शब्दकोश और रूपान्तरण के नियमों का पारस्परिक क्रम व्याकरण में क्या हो, इसकी भी चर्चा की गई है। अन्तिम प्रबन्ध में कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र है जिनका समाधान भावी शोध पर निर्भर है। रूपान्तरणात्मक व्याकरण के सिद्धान्त की आयु अभी कुल पन्द्रह वर्ष की है। हिंदी पर इस सिद्धान्त के अनुसार शोध कार्य शुरू हुए अभी एक दशक भी पूरा नहीं हुआ है। जाहिर है कि हिंदी व्याकरण पर समसामयिक भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की दृष्टि से शोध की कितनी गुंजाइश है। जो अत्यल्प काम अब तक हिंदी पर हुआ है, उसी के फलस्वरूप कितने रोचक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, अन्तिम प्रबन्ध से इसका अनुमान सहज है।

टिप्पणियाँ

1. ब्राउन (1958) में मधुमक्खी, चिम्पांजी तथा पक्षियों की बोली के बारे में उपयोगी सामग्री दी गई है।

2. जो वाक्य व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से असंगत हैं, उनके साथ * चिह्न जुड़ा है। जो वाक्य व्याकरण के नियमों से प्राप्त होते हैं किन्तु अभी अपने उच्चरित रूप में नहीं हैं, उनके साथ ? चिह्न जुड़ा हुआ है।

3. प्रायः यह कहा जाता है कि **को/के लिए** एक ही कोटि के परसर्ग हैं। कई प्रसंगों में ये दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं, मसलन् **खाने को कुछ दो** या **खाने के लिए कुछ दो**। हर प्रसंग में किन्तु दोनों प्रयुक्त नहीं हो सकते, 3 इसका अच्छा उदाहरण है।

4. लिपि के ऐतिहासिक विकास के लिए देखें गेल्ब (1963)।

5. समसामयिक भाषा-विज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा के लिए देखें चॉमस्की (1957 और 1965)।

6. चॉमस्की (1957 और 1965) तथा काट्ज़ और पोस्टल (1964) में सिद्धांत के प्रारम्भिक रूप का विवरण है।

7. चॉमस्की द्वारा प्रस्तावित मॉडल की सीमाएँ इन (चुनी हुई) कृतियों में स्पष्ट की गई हैं : ग्रूबर (1965), मेकॉले (1968 a : प्रबन्ध, FL 4 में, पृ०

243-281) और (1968 b : प्रबन्ध, वाख़ और हार्म्स, 1968 में, पृष्ठ 124-169) फ़िल्मोर (1968 : वाख़ और हार्म्स, 1968 में, पृ० 1-88) तथा लेकॉफ़ (1970 a और 1971)।

8. देखिए चॉमस्की, ज़ैकनडॉफ एवं एमण्ड्स की कृतियाँ।
9. इन आरेखों में वाक्य-संरचना के वही अवयव स्पष्ट हैं जो विचारान्तर्गत वाक्य की गठन की चर्चा के लिए अनिवार्य हैं। ऐसे अवयवों का, जिनका उपयोग चर्चा के लिए आवश्यक नहीं समझा गया है, विस्तार नहीं किया गया है। अत: ये आरेख सम्पूर्ण आरेख न होकर संक्षिप्त आरेख हैं।
10. विशेषण उपवाक्यों की उत्पत्ति के लिए जो नियम आवश्यक हैं, उनकी चर्चा इसी पुस्तक में संकलित 'हिन्दी के विशेषण उपवाक्य' शीर्षक प्रबन्ध में की गई है।
11. चॉमस्की (1965) में पुनरावर्तित वाक्य और चॉमस्की (1957 और 1965) में रूपान्तरण के नियमों की क्षमता की विशेष चर्चा है।
12. लेकॉफ़ (1970), रॉस (1967) आदि।
13. देखिए, 'हिन्दी के विशेषण उपवाक्य'।
14. चॉमस्की (1965) में प्रस्तावित मॉडल के अनुसार।
15. मेकॉले (1968 c)।
16. देखिए इसी पुस्तक में संकलित 'हिन्दी के प्रेरणार्थक वाक्य' शीर्षक प्रबन्ध।

2. हिन्दी के विशेषण उपवाक्य

1.0 अन्य आर्यभाषाओं की तरह हिन्दी में भी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए विशेषण उपवाक्यों (relative clauses) का प्रयोग होता है।[1] जैसा कि नाम से प्रकट है, विशेषण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य हैं जो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं और विशेषण के स्थानापन्न होते हैं। (विशेषण उपवाक्यों की संरचना और उनसे) विशेषण पदों की उत्पत्ति एक रोचक प्रक्रिया है और इस पर कुछ काम भी हो चुका है।[2] इस प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना इस प्रबन्ध का उद्देश्य है।

2.0 हिन्दी में विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ।[3] क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। साधारणतः जो विशेषण क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे संज्ञा के साथ भी प्रयुक्त होते हैं :

1. कथा रोचक है।
2. रोचक कथा
3. मौसम ठण्डा है।
4. ठण्डा मौसम

जिस प्रसंग में किसी खास विशेषण का विधेय विशेषण के रूप में प्रयोग अर्थ की असंगति को जन्म देता है, उस प्रसंग में उसका संज्ञा के साथ प्रयोग भी वैसी ही असंगति उत्पन्न करता है :

5. *लड़का नुकीला है।
6. *नुकीला लड़का
7. *पेड़ वाचाल था।
8. *वाचाल पेड़[4]

रूपान्तरणात्मक व्याकरण के पद-विन्यास के नियम 1 और 3 को उत्पन्न करेंगे तथा 5 और 7 को असंगत करार देंगे। यदि पद-विन्यास के नियमों से ही 2, 4 तथा 6, 8 के पदों को भी उत्पन्न करना हो, तो दुबारा 2 और 4 को व्याकरण-सम्मत तथा 6 और 8 को असंगत करार देना होगा। इस प्रकार नियमों

की संख्या में अनावश्यक वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि 1 और 3 पद-विन्यास के नियमों से ही गढ़े जाएँ और 2 और 4 उनसे रूपान्तरण के नियमों द्वारा उपलब्ध किए जाएँ तो 2 और 4 की व्याकरण-सम्मतता का निर्णय 1 और 3 की व्याकरण-सम्मतता से हो जाता है। उसी प्रकार 6 और 8 की असंगति 5 और 7 की असंगति से स्वत: सिद्ध है। एक और उदाहरण लें। निम्नलिखित वाक्यों में एक पूरा उपवाक्य या वाक्यांश संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है :

9. कल जिस लड़के को इनाम मिला था वह आज स्कूल नहीं आया।

10. पड़ोस के मकान में रहने वाले लोग इन दिनों दिल्ली गए हुए हैं।

पद-विन्यास के नियमों द्वारा ही यदि **कल जिस लड़के को इनाम मिला था वह** (लड़का) तथा **पड़ोस के मकान में रहने वाले** लोग जैसे संज्ञा पदों को उत्पन्न करना हो, तो इन नियमों की जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि ऐसे हर संज्ञा पद के लिए एक नियम लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके विपरीत यदि रूपान्तरण के नियमों द्वारा ऊपर **मोटे अक्षरों में छपे** उपवाक्य क्रमश: निम्नलिखित वाक्यों से उत्पन्न किए जाएँ तो पद-विन्यास के नियमों की सरलता बनी रहती है :

11. कल एक लड़के को इनाम मिला था।

12. (कुछ) लोग पड़ोस के मकान में रहते हैं।

इसलिए विशेषण+विशेष्य की गठन वाले संज्ञा पद रूपांतरण के नियमों से उपलब्ध किए जाएँ, ऐसी व्यवस्था रूपान्तरणात्मक व्याकरण के सिद्धान्त में की गई है। पद-विन्यास का एक नियम इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है :

अ. संज्ञापद→(वाक्य) संज्ञापद

अर्थात् संज्ञापद का विस्तार दो अवयवों में किया जाता है : एक वैकल्पिक वाक्य, दूसरा अनिवार्य संज्ञापद। यदि वैकल्पिक वाक्य चुना जाए, तो कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर रूपान्तरण के संबद्ध नियम लागू होते हैं और संज्ञापद की व्याप्ति मर्यादित करने वाले विशेषण पद या उपवाक्य प्राप्त होते हैं।[5]

3.0 प्रश्न यह है कि हिन्दी के सारे विशेषण+विशेष्य गठन वाले संज्ञा पदों की संरचना की व्याख्या रूपान्तरण के नियमों द्वारा कैसे की जा सकती है।[6] पहले यह देखें कि हिन्दी में ऐसी गठन वाले संज्ञा पद कितने प्रकार के हैं। कुछ उदाहरण देखें :

13. वह **ताजे आम** लाया।

14. हमें **इससे बड़ा सन्दूक** चाहिए।

15. उसने सबसे **तेज घोड़े** को चुना।

16. पुलिस ने **चलती हुई गाड़ी** को रोक लिया ।

17. उपद्रवी **बाग़ में बैठे हुए लोगों** पर पत्थर बरसाने लगे ।

18. सभी चीनी **माओ के बताए हुए रास्ते** पर चलते हैं ।

19. **मार्क्स के सिद्धान्तों को मानने वाले लोग** साम्यवादी कहलाते हैं ।

ऊपर **मोटे अक्षरों में** छपे वाक्यांशों के समानार्थी वाक्यों और विशेषण उप-वाक्यों पर भी गौर करें :

13. अ. आम ताजे हैं ।
    आ. जो आम ताजे हैं·····

14. अ. सन्दूक इससे बड़ा हो ।
    आ. जो सन्दूक इससे बड़ा हो·····

15. अ. (कोई) घोड़ा सबसे तेज़ था ।
    आ. जो घोड़ा सबसे तेज़ था·····

16. अ. *गाड़ी चलती हुई थी ।
    आ. *जो गाड़ी चलती हुई थी·····
    इ. गाड़ी चल रही थी ।
    ई. जो गाड़ी चल रही थी·····

17. अ. लोग बाग़ में बैठे हुए हैं ।
    आ. जो लोग बाग़ में बैठे हुए हैं·····
    इ. लोग बाग़ में बैठे हैं ।
    ई. जो लोग बाग़ में बैठे हैं·····

18. अ. रास्ता माओ का बताया हुआ है ।
    आ. जो रास्ता माओ का बताया हुआ है·····
    इ. माओ ने रास्ता बताया है ।
    ई. माओ ने जो रास्ता बताया····है····

19. अ. ? (कुछ) लोग मार्क्स के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं ।[7]
    आ. ? जो लोग मार्क्स के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं·····
    इ. (कुछ) लोग मार्क्स के सिद्धान्तों को मानते हैं ।
    ई. जो लोग मार्क्स के सिद्धान्तों को मानते हैं·····

इनमें से 13-15 तक के वाक्यों में विशेषण, 16 के वाक्यों में वर्तमान कालिक कृदन्त, 17-18 के वाक्यों में भूतकालिक कृदन्त तथा 19 के वाक्यों में कर्तृवाचक कृदन्त का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषणों का प्रयोग विधेय विशेषण के रूप में सहज है (13, 14 और 15 अ. तथा आ.), वर्तमान कालिक कृदन्त का विधेय विशेषण के रूप में प्रयोग व्याकरण-सम्मत नहीं है (16 अ. तथा आ.), भूतकालिक कृदन्त का ऐसा प्रयोग व्याकरण-सम्मत है (17 और 18 अ. तथा आ.) किन्तु कर्तृवाचक कृदन्त का ऐसा प्रयोग मान्य नहीं है (19 अ. तथा आ.)। इस प्रबन्ध में कर्तृवाचक कृदन्त और तुलनात्मक विशेषणों के बारे में कुछ न कह कर सामान्य विशेषण और वर्तमान तथा भूतकालिक कृदन्तों की संरचना की व्याख्या का प्रयत्न किया जाएगा।

3.1 पहले वर्तमान कालिक कृदन्त को लें। ऐसे कृदन्तों का विधेय-विशेषण जैसा प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है (16 अ. तथा आ.)। लेकिन 13 और 16 के वाक्य/वाक्यांशों की तुलना करें तो एक बात स्पष्ट है। 16 इ तथा ई का 16 के रेखांकित पद से सम्बन्ध है जो 13 अ तथा आ का 13 के रेखांकित पद से। यानी 16 और 16 उ समानार्थी वाक्य हैं :

16 उ. पुलिस ने उस गाड़ी को रोक लिया जो चल रही थी।

13-19 तक के वाक्य और वाक्यांशों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि यदि 13-19 तक के वाक्यों के रेखांकित पद अपने-अपने समानार्थी वाक्यों से रूपान्तरण के नियमों द्वारा उत्पन्न किए जाएँ तो इससे व्याकरण सरल बनेगा। सिर्फ ध्यान यह रखना होगा कि वर्तमान कालिक कृदन्त का विधेय-विशेषण जैसा प्रयोग व्याकरण-सम्मत न करार दिया जाए।

3.2 13-19 तक विशेषण-पदों की उत्पत्ति रूपान्तरण के नियमों द्वारा विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रकरण के अन्तर्गत होगी। अर्थात् 13-18 के मिश्र वाक्यों की आन्तरिक संरचना में 13-15 अ तथा 16-18 इ जैसे वाक्य आश्रित उपवाक्यों के रूप में अन्तर्निहित होंगे। 16-18 इ पर विशेषण पद रूपान्तरण नियम लागू होगा जिससे 16-18 अ जैसे वाक्य उपलब्ध होंगे। तदन्तर उन पर विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम लागू होगा जिससे 16-18 आ जैसे विशेषण उपवाक्य प्राप्त होंगे। 13-15 अ पर भी विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम लागू होगा जिससे 13-15 आ जैसे विशेषण उपवाक्य उपलब्ध होंगे। इसके पश्चात् इन सभी पर विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम तथा अभिन्न संज्ञा-पद अध्याहार नियम लागू होंगे जिससे विशेषण-पदों के अभीष्ट रूप उपलब्ध होंगे। इस प्रकार सभी विशेषण पद विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम से प्राप्त होते हैं जिससे 'विशेषण पद' की रूपात्मक (formal) परिभाषा निर्धारित होती है और इस दावे को भी सार्थकता

मिलती है कि आन्तरिक संरचना में अन्तर के बावजूद 13-19 तक के सभी रेखांकित पदों की गठन विशेषण+विशेष्य है और विशेष्य के पूर्व आने वाले शब्द-समूह, चाहे वे सामान्य विशेषण हों (यथा **ताज़ा**) या कृदन्त (यथा **चलती हुई**), सभी कार्य की दृष्टि से विशेषण हैं।

4.0 अब विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रकरण में आने वाले नियमों की विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। यहाँ केवल मर्यादक विशेषण उपवाक्यों से सम्बद्ध नियमों की चर्चा की जाएगी, समानाधिकरण विशेषण उपवाक्य से सम्बद्ध नियमों की नहीं।[8]

हिंदी में विशेषण उपवाक्य सम्बन्ध वाचक सर्वनाम 'जो' से आरम्भ होता है और मुख्य उपवाक्य में उसका नित्य सम्बन्धी 'सो' या 'वह' आता है।[9] विशेषण उपवाक्य संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं या उनकी विशेषता बतलाते हैं, इसलिए वाक्य में जहाँ भी संज्ञा हो, वहाँ विशेषण उपवाक्य आ सकते हैं, यथा :

20. जिन लोगों ने इस महीने में बूढ़े से पैसे लिए थे, वे कहीं खिसक गए।
21. अगले कुछ पन्नों में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो वसीयत के हकदार हैं।
22. वह उसी विमान से आने वाला था जो कल दुर्घटना-ग्रस्त हो गया।
23. राम उस आदमी के साथ बाजार गया है जिसकी दुकान में कल चोरी हो गयी थी।

ऊपर के वाक्यों में आश्रित उपवाक्य क्रमशः मुख्य उपवाक्य के उद्देश्य, भेदक एवं क्रिया विशेषणान्तर्गत संज्ञा पदों की व्याप्ति मर्यादित करते हैं।

आश्रित उपवाक्य की जो संज्ञा विशेष्य से अभिन्न होती है, वह भी कार्य की दृष्टि से भिन्न-भिन्न व्याकरणिक कोटि की होती है, जैसे ऊपर के वाक्यों में अभिन्न संज्ञा क्रमशः उद्देश्य (20, 21 और 22) तथा भेदक का अवयव (23) है।

4.1 विशेषण पद रूपान्तरण नियम की व्याख्या यों की जा सकती है। मुख्य उपवाक्य में अन्तर्निहित आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी भी संज्ञा की विशेषता बतला सकता है बशर्ते आश्रित उपवाक्य विशेष्य के साथ एक ही संज्ञा का अवयव हो और आश्रित उपवाक्य की कोई संज्ञा विशेष्य से अभिन्न हो।

मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की संज्ञाओं के पारस्परिक सम्पर्क को यों स्पष्ट किया जा सकता है : (देखिए आरेख I)

आरेख I

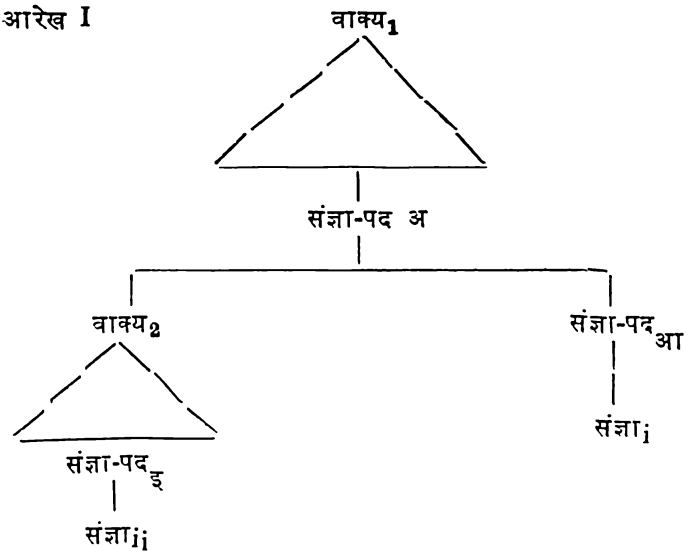

शर्त संज्ञा$_i$ = संज्ञा$_{ii}$

अर्थात् मुख्य उपवाक्य (वाक्य$_1$) के किसी संज्ञा पद (संज्ञा पद $_{अ}$) के दो अवयव हैं : वाक्य$_2$ और संज्ञापद $_{आ}$। आश्रित उपवाक्य के किसी संज्ञापद इ का एक अवयव है संज्ञा$_{ii}$। संज्ञापद $_{आ}$ की संज्ञा$_i$ और संज्ञा$_{ii}$ यदि अभिन्न हैं तो विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए 20 को लें। इस वाक्य की संक्षिप्त आन्तरिक संरचना आरेख II से स्पष्ट है :

आरेख II

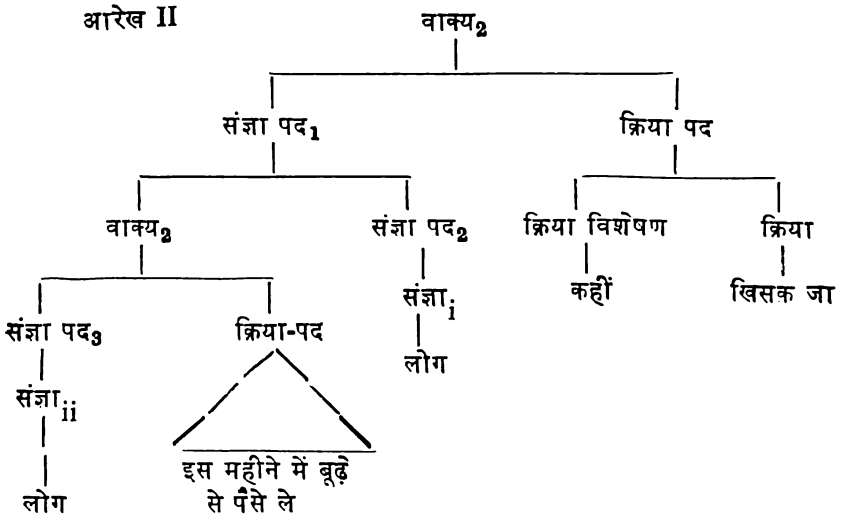

वाक्य$_1$ के संज्ञापद$_1$ के दो अवयव हैं : वाक्य$_2$ और संज्ञापद$_2$ । वाक्य$_2$ के संज्ञापद$_3$ की संज्ञा$_{ii}$ है **लोग** और संज्ञापद$_2$ की संज्ञा$_i$ भी **लोग** ही है । वाक्य$_2$ और सज्ञा पद$_2$ दोनों संज्ञापद$_1$ के अवयव हैं । अत: विशेषण-उपवाक्य रूपान्तरण नियम की सब शर्तें पूरी हो जाती हैं । नियम लागू होने के पश्चात् आरेख II का रूप हो जाता है : (देखिए आरेख III)

आरेख III

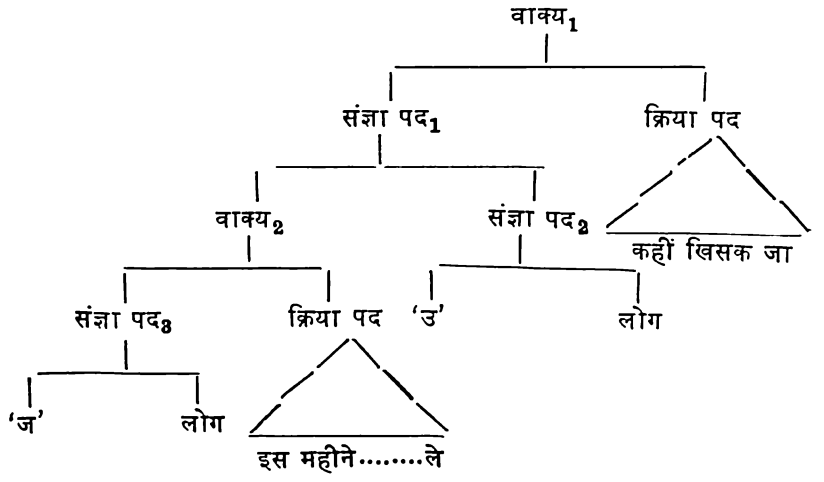

अर्थात् विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम आश्रित उपवाक्य की संज्ञा$_{ii}$ के साथ सम्बन्ध वाची सर्वनाम का मूल रूप 'ज' तथा मुख्य उपवाक्य की अभिन्न संज्ञा$_i$ के साथ नित्य सम्बन्धी का मूल रूप 'उ' जोड़ता है ।[10] यदि इसके बाद इस प्रकरण का कोई और नियम लागू न हो, तो अन्वय आदि के नियम आरेख III पर लागू होते हैं और उपलब्ध वाक्य का रूप होता है :

20 अ. जिन लोगों ने इस महीने में बूढ़े से पैसे लिए थे, वे लोग कहीं खिसक गए ।

किन्तु आरेख III पर अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम लागू हो सकता है; यह नियम 20 अ में दुबारा **आए लोग** का अध्याहार करता है और फलस्वरूप 20 का वाक्य उपलब्ध होता है ।

4.2 अब तक इस प्रकरण के दो नियमों की चर्चा हुई है, विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम । किन परिस्थितियों में दूसरा नियम लागू होता है, यह अभी नहीं बताया गया है । यदि वतमान और

भूतकालिक कृदन्तों के विशेषण जैसे प्रयोग पर विचार करें, तो इस प्रकरण के कुछ और नियमों से परिचय होगा। पहले वर्तमान और भूतकालिक कृदन्तों के विशेषण जैसे प्रयोग की कुछ विशेषताओं की चर्चा आवश्यक है।

4.21. अकर्मक और सकर्मक—दोनों प्रकार की क्रियाओं से उपलब्ध वर्तमान कालिक कृदन्त उन क्रियाओं के उद्देश्य से अभिन्न संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। उदाहरणार्थ :

24. जो लड़का रो रहा है वह (लड़का)⇉रोता हुआ लड़का

25. जो बन्दर केले खा रहे हैं, वे (बन्दर)⇉केले खाते हुए बन्दर

किन्तु दोनों प्रकार की क्रियाओं से ऐसे भूतकालिक कृदन्त नहीं प्राप्त होते जो क्रिया के उद्देश्य से अभिन्न संज्ञापद की विशेषता वतलाएँ। तुलना करें :

26. जो व्यक्ति लेटा हुआ है, वह (व्यक्ति)⇉लेटा हुआ व्यक्ति

27. जिस लड़की ने ब्लेड चबाया है, वह (लड़की)⇉*ब्लेड चबायी हुई लड़की

सभी सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त रूप उस संज्ञा की विशेषता बतला सकते हैं जो उनके कर्म से अभिन्न हो :

28. पिताजी ने जो साइकिल खरीदी, वह (साइकिल)⇉पिताजी की खरीदी हुई साइकिल

29. बच्चों ने जो आम तोड़े, वे (आम)⇉बच्चो के तोड़े हुए आम

ऊपर अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से संबद्ध जो सामान्य सूचना दी गई है, उसके साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना जोड़ देना आवश्यक है। कुछ अकर्मक क्रियाओं से ऐसे भूतकालिक कृदन्त नहीं प्राप्त होते जो विशेषण का कार्य कर सकें, यथा :

30. *लड़का रोया हुआ है।

31. *रोया हुआ लड़का

32. *कूदा हुआ हरिण

कुछ सकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनसे प्राप्त भूतकालिक कृदन्त उनके उद्देश्य से अभिन्न संज्ञा पद की विशेषता बतला सकते हैं :

33. काम सीखा हुआ नौकर

34. टोपी पहने हुए बन्दर

वाक्यों से रूपान्तरण द्वारा वर्तमान और भूतकालिक कृदन्त उत्पन्न करते हुए इन सभी विशेषताओं का ध्यान रखना होगा ताकि अवांछनीय कृदन्त-विशेषणों की उत्पत्ति रोकी जा सके।

पहले कहा जा चुका है कि कृदन्त विशेषण की उत्पत्ति के लिए विशेषण पद गठन नियम की आवश्यकता पड़ती है।[11] इस नियम की प्रक्रिया निम्नलिखित आरेखों से प्रकट है जो संज्ञापद **सोया हुआ बच्चा** की उत्पत्ति को चित्रित करते हैं :

आरेख IV

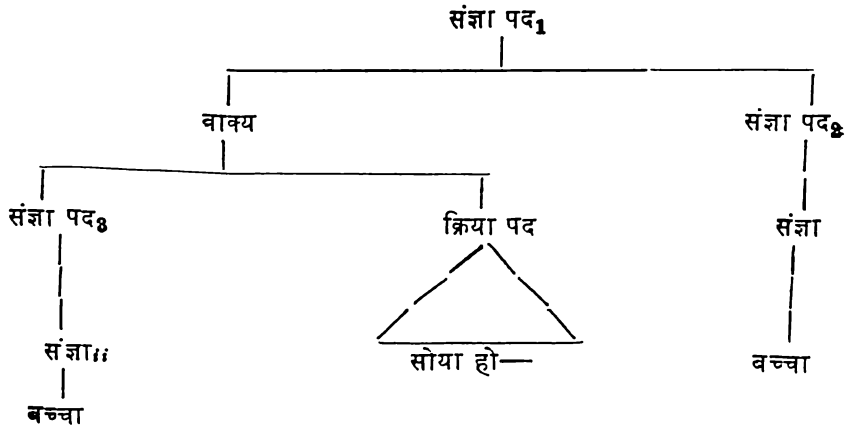

आरेख IV अ

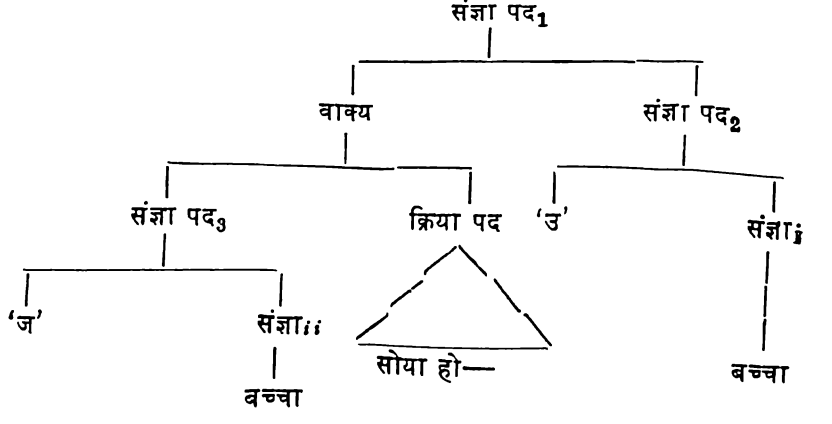

वाक्य और संज्ञापद$_2$ दोनों संज्ञापद$_1$ के समस्तरीय अवयव हैं और संज्ञा$_i$ तथा संज्ञा$_{ii}$ अभिन्न हैं, अतः आरेख IV पर विशेषण उपवाक्य नियम लागू होता

है। परिणामस्वरूप आरेख IV अ उपलब्ध होता है : इस स्तर पर अन्वय आदि के नियम लागू हों, तो परिणाम होगा :

35. जो बच्चा सोया हुआ है वह (बच्चा)

किन्तु यदि अन्वय आदि के नियम लागू न कर वैकल्पिक विशेषण पद गठन नियम लागू किया जाए तो परिणाम होगा :

IV आ

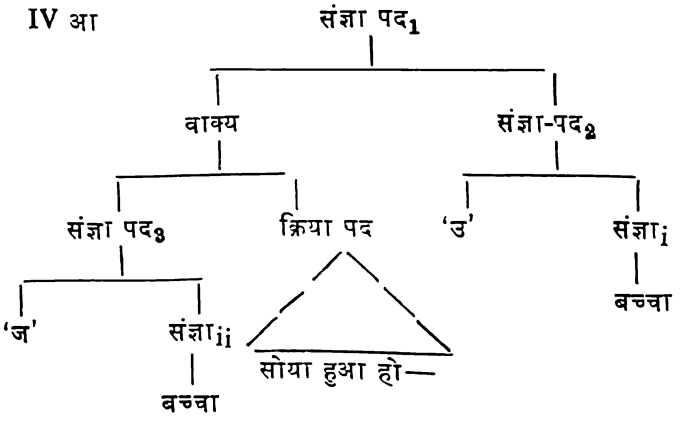

इस स्तर पर अन्वय आदि के नियम लागू हों तो उपलब्ध होगा :

36. जो बच्चा सोया हुआ है वह बच्चा

इसके विपरीत यदि IV आ पर इस प्रकरण के कुछ और नियम लागू किए जाएँ, तो भूतकालिक कृदन्त का विशेषण जैसा प्रयोग प्राप्त होगा। IV आ पर विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम लागू हो तो IV इ प्राप्त होगा :

IV इ

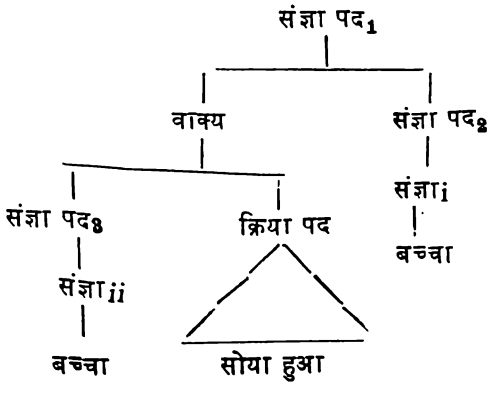

अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम इस स्तर पर अनिवार्य है, फलस्वरूप IV ई उत्पन्न होगा :[12]

IV ई

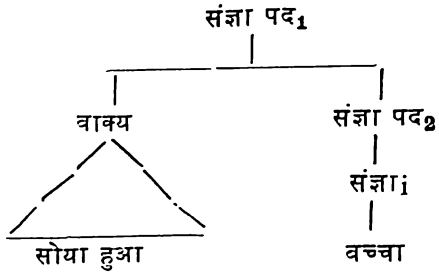

4.3 दो नियमों की ऊपर बार-बार चर्चा की गई है, विशेषण पद गठन नियम और विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम। पहले कहा जा चुका है कि व्याकरण का कोई भी नियम तभी मान्य होता है जब उससे भाषा की गठन की कई विशेषताओं की व्याख्या सम्भव हो। यदि विशेषण पद गठन नियम सिर्फ वर्तमान भूतकालिक कृदन्तों के विशेषण जैसे प्रयोग की ही व्याख्या कर सके तो उसकी उपयोगिता ऐसी नहीं रहती कि व्याकरण में ऐसे किसी नियम को अनिवार्य मान लिया जाए। हिंदी व्याकरण में इस नियम को मुख्य या सामान्य (general) नियम का स्थान तभी मिल सकता है जब इसे अन्य कई प्रकार के विशेषण पदों की उत्पत्ति में भी उपयोगी प्रमाणित किया जा सके। यहाँ इस प्रसंग में दो प्रकार के पदों की चर्चा की जाएगी—कर्तृवाचक कृदन्त और सम्बन्ध वाचक विशेषण (Possessive)। नीचे के वाक्यों पर गौर करें :

37 जो मनुष्य झूठ बोलता है वह आदर नहीं पाता।

अ. झूठ बोलने वाला मनुष्य आदर नहीं पाता।

38. जो घर महाजन का था वह जल गया।

अ. महाजन का घर जल गया।

37 और 38 से क्रमश: 37 अ और 38 अ की उत्पत्ति में विशेषण पद गठन नियम का उपयोग अनिवार्य है। इसकी व्याख्या सम्बन्ध वाचक (possessive) पदों के प्रकरण को लेकर की जाएगी। हिंदी में सम्बन्ध-सूचक वाक्य कई प्रकार के हैं। सम्बन्ध सूचक वाक्यों की सामान्य विशेषताएँ दो हैं : समापिका क्रिया के रूप में स्थिति दर्शक **होना** के रूपों का प्रयोग तथा विभिन्न सम्बन्ध सूचित करने के लिए विभिन्न परसर्गों का प्रयोग। यथा, जन्य-जनक सम्बन्ध के लिए जनक के साथ **के** परसर्ग प्रयुक्त होता है :

39. राम के एक लड़की है।

स्वत्वाधिकार सूचित करने के लिए स्वामी के साथ **के पास** आता है :

40. मेरे भाई के पास एक हेलिकॉप्टर है।

39 तथा 40 से जो सम्बन्ध सूचक पद प्राप्त होते हैं, उनका रूप किन्तु अभिन्न होता है :

39. अ. राम की लड़की

40. अ. मेरे भाई का हेलिकॉप्टर

सम्बन्ध सूचक वाक्यों के विभिन्न परसर्गों (**के, के पास, को, में** आदि) का सम्बन्ध वाचक पदों के परसर्ग (**का**) के साथ जो व्याकरणिक सम्बन्ध है, वह विशेषण पद गठन नियम द्वारा स्पष्ट हो जाता है।[13] 39 से 39 अ की उत्पत्ति यों प्रत्यक्ष की जा सकती है :

आरेख V

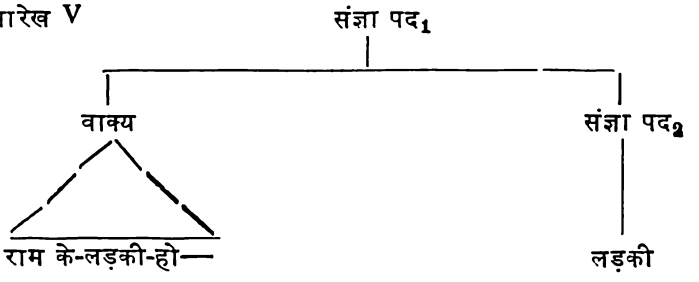

विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम के पश्चात् :

V अ

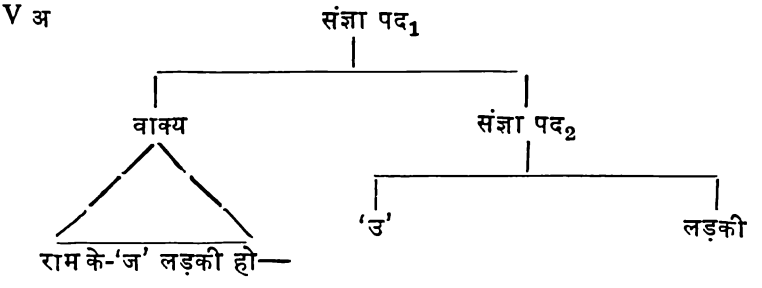

विशेषण पद गठन के पश्चात् :

V आ

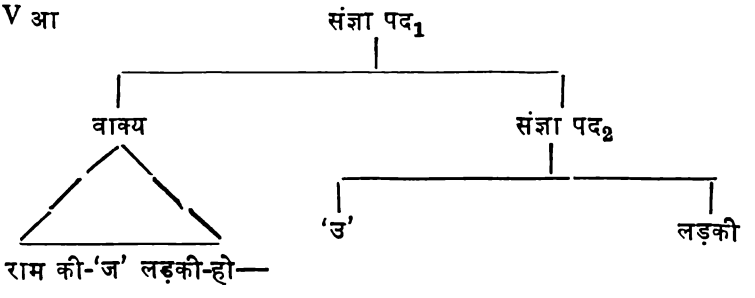

विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम और अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम के पश्चात् :

V इ

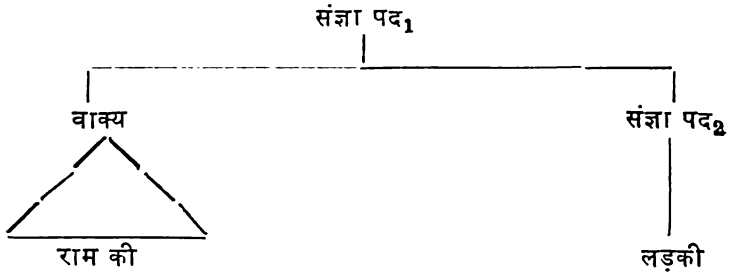

ऊपर के सभी उदाहरणों तथा सामान्य विशेषणों से युक्त पदों की उत्पत्ति के लिए भी विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम और अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम की जरूरत पड़ती है। विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम सम्बन्धवाची सर्वनाम 'ज' तथा उसके नित्य सम्बन्धी 'उ' तथा स्थितिदर्शक क्रिया **हो-** का लोप कर विशेषण उपवाक्य को वाक्यांश का रूप देता है। अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम की चर्चा अन्यत्र की गई है।[14]

4.4 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदी के संज्ञा पदों की संरचना में संज्ञा के पूर्व जो भी पद आते हैं, उनकी उत्पत्ति में विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रकरण के नियमों का उपयोग होता है।[15] इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्नांकित आरेख के अन्तर्गत आश्रित उपवाक्य से जो भी उपवाक्य या पद प्राप्त होंगे वे व्याकरणिक कार्य की दृष्टि से विशेषण कहलायेंगे :

आरेख VI

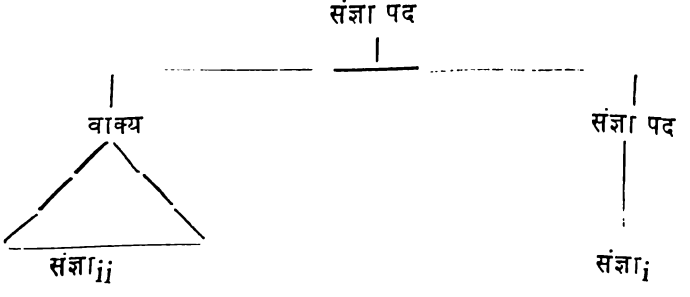

शर्त संज्ञा$_{ii}$=संज्ञा$_i$

5.0 अन्त में कुछ ऐसे नियमों की चर्चा करनी है जो विशेषण उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य के क्रम में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरणार्थ :

41. जो लोग यहाँ बैठे थे, वे उठकर चल दिए ।

अ. वे लोग उठकर चल दिए जो यहाँ बैठे थे ।

आ. वे लोग, जो यहाँ बैठे थे, उठकर चल दिए ।

42. राम को वह किताब चाहिए जो आपने कल खरीदी थी ।

अ. आपने कल जो किताब खरीदी थी, वह राम को चाहिए ।

आ. जो किताब आपने कल खरीदी थी, वह राम को चाहिए ।

43. मुझे एक ऐसा नौकर चाहिए जो खाना पकाना जानता हो ।

अ. *जो नौकर खाना पकाना जानता हो, मुझे एक ऐसा चाहिए ।

आ. *जो नौकर खाना पकाना जानता हो, एक ऐसा मुझे चाहिए ।

44. मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता था, जो मुझे उचित परामर्श दे सकें ।

अ. *जो कुछ लोग मुझे उचित परामर्श दे सकें उन से मैं मिलना चाहता था ।

आ. *जो कुछ लोग मुझे उचित परामर्श दे सकें उन (कुछ) से मैं मिलना चाहता था ।

इ. ? मैं कुछ लोगों से, जो मुझे उचित परामर्श दे सकें, मिलना चाहता था । (मर्यादक विशेषण उपवाक्य)

यह तो स्पष्ट है कि 41 के तीनों वाक्यों की उत्पत्ति के लिए व्याकरण में ऐसे नियम या नियमों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिनसे विशेषण उपवाक्य का क्रम-परिवर्तन संभव हो सके । 43 और 44 के वाक्यों से स्पष्ट है कि ऐसे नियम या नियमों को सूत्रबद्ध (formalize) करने के लिए संज्ञा पदों के सम्बन्ध में जितनी जानकारी की आवश्यकता है, उतनी अभी उपलब्ध नहीं है । संज्ञापद निश्चित (definite) है या अनिश्चित (indefinite), इस पर विशेषण उपवाक्य का क्रम परिवर्तन कुछ सीमा तक तो अवश्य ही निर्भर करता है (तुलना करें 41 और 42 के साथ 43 और 44 के वाक्यों की) । जब तक संज्ञापदों की आन्तरिक संरचना में निर्धारकों (determiners) के साथ विशेषण उपवाक्यों का जो व्याकरणिक सम्पर्क है, वह स्पष्ट नहीं होता, तब तक क्रम-परिवर्तन के नियमों की प्रक्रिया का ठीक-ठीक विवरण देना सम्भव नहीं होगा ।[16]

टिप्पणियाँ

1. अंग्रेजी के (relative clause) के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द के रूप में 'सम्बन्ध वाचक या सम्बन्धात्मक उपवाक्य' के बदले मैंने 'विशेषण उपवाक्य' का प्रयोग किया है। यों तो अंग्रेजी के अनुवाद रूप में हिंदी में 'सम्बन्ध वाचक या सम्बन्धात्मक उपवाक्य रूपान्तरण' (Relative Clause Transformation) मान्य हो सकता है, किंतु 'विशेषण उपवाक्य' हिंदी व्याकरण की परिचित शब्दावली है और ऐसे उपवाक्यों का मिश्र वाक्य में जो कार्य (function) है, उसे भी प्रत्यक्ष करती है (गुरु : (1920), अनु. 704-5, पृ. 527-31, सातवाँ पुनर्मुद्रण (1967)।

2. म. वर्मा (1966), काचरु (1965 और 1966), डोनल्डसन (1971), हैकमैन (1971)। यहाँ प्रस्तुत विवरण म. वर्मा (1966) के विवरण से कुछ भिन्न है।

3. गुरु (1967) अनु. 146, पृ. 101.

4. लोक कथाओं या परीकथाओं में ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जहाँ वाचाल पेड़ क्या विशेवाचाल पर्वतों तक की ज़रूरत पड़े। किंतु साधारणतः निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों की कल्पना ऐसे ही विशिष्ट प्रसंगों तक सीमित है। रोज़मर्रे की जिंदगी में पेड़ मूक जीवों में ही आते हैं।

5. रूपान्तरणात्मक व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार यह सर्वमान्य नहीं है कि पण उपवावय अन्तर्निहित वावय (embeded sentence) से उत्पन्न किए जाएँ। एक सुझाव यह भी है कि मर्यादक विशेषण उपवावय भी समानाधिकरण (coordination) की प्रक्रिया से उत्पन्न माने जाएँ (अनियर और पोस्टल के अप्रकाशित प्रबन्ध)। अंग्रेजी में यह सुझाव प्रायः मान्य भी हो चुका है। हिंदी में किन्तु अभी तक आश्रित उपवाक्यों से ही विशेषण उपवावय की उत्पत्ति मानी गई है। यह प्रश्न भावी शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

6. यहाँ विशेषण के अन्तर्गत सामान्य विशेषण, विशेषण पद और विशेषण उपवावय सभी शामिल हैं।

7. हिंदी में **क्रिया+ने वाले** पदों का एक ही अर्थ नहीं होता। मसलन् **लड़का अखबार बेचने वाला** है का एक अर्थ तो यह होता है कि वह धनोपार्जन के लिए नित्य अखबार बेचता है और दूसरा यह कि वह अभी-अभी बिल्कुल निकट भविष्य में, अखबार बेचने की क्रिया सम्पन्न करेगा। साधारणतः **मैं कल दिल्ली जाने वाला हूँ** को इस अर्थ में ही समझा जाएगा।

8. गुरु (1967), अनु. 705, पृ. 530-53.

9. गुरु (1967), अनु. 705, पृ. 528. कभी-कभी सम्बन्ध वाचक या नित्य सम्बन्धी शब्दों में से किसी एक प्रकार के शब्दों का लोप हो जाता है। यहाँ ऐसे उदाहरणों की चर्चा नहीं की गई है।

10. सम्बन्ध वाचक सर्वनाम और उसके नित्य-सम्बन्धी के मूल रूप क्रमशः 'ज' और 'उ' निर्धारित किए गए हैं। इसके पक्ष में ये तर्क हैं। हिंदी में सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम के रूप ये हैं : **जो** (विकारी **जिस, जिन**), **जैसा, जहाँ, जितना, जिधर**। इनके नित्य सम्बन्धी हैं : **वह** (विकारी **उस, उन**), **वैसा, वहाँ, उतना, उधर**। सम्बन्ध वाचक के सभी रूपों में 'ज' है, नित्यसम्बन्धी के कुछ रूपों में 'व' है, कुछ में 'उ'। ध्वनि-परिवर्तन के नियमों के अनुसार विशेष प्रसंगों में 'उ' का 'व' में परिवर्तन स्वाभाविक है। अतः नित्य सम्बन्धी का मूल रूप 'उ' निर्धारित करना संगत है। 'ज' और 'व' स्वरहीन, मूल व्यंजन है लेखन की सुविधा की दृष्टि से हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है।

11. इसी पुस्तक में संकलित प्रथम प्रबन्ध का अनु. 3.

12. विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रकरण के जो नियम यहाँ दिए गए हैं उनको लागू करने की शर्तों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। नियम अनिवार्य हैं या वैकल्पिक, इसका भी संकेत-मात्र किया गया है। ध्यान रहे कि वर्तमान कालिक कृदन्त के लिए विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम और अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम अनिवार्य हैं ताकि ऐसे वाक्यांश न उत्पन्न हो सकें।

    अ. *जो गाड़ी चलती हुई है वह (गाड़ी)

    भूतकालिक कृदन्त के लिए विशेषण उपवाक्य नियम वैकल्पिक है, क्योंकि आ. जैसे वाक्यांश व्याकरणसम्मत हैं :

    आ. जो बच्चा सोया हुआ है वह (बच्चा)

    हाँ एक बार विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम लागू हो जाए तो अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम अनिवार्य हो जाता है ताकि इ. जैसे वाक्यांश न उत्पन्न हों :

    इ. *बच्चा सोया हुआ बच्चा

    इस प्रकरण के नियमों से सम्बन्धित जो समस्याएँ अभी भावी शोध की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनका विवरण इसी पुस्तक के अन्तिम प्रबन्ध में दिया गया है।

13. काचरु (1969) में हिंदी के सम्बन्ध वाचक वाक्यों और सम्बन्ध वाचक पदों की व्याख्या है।

14. देखिए टिप्पणी 12.

15. निर्धारिक (determiners) भी संज्ञा के पूर्व आते हैं (उदा. **यह, वह, कोई,** कुछ आदि), किंतु इनकी उत्पत्ति रूपान्तरण के नियमों से नहीं होती। पद-विन्यास के नियम संज्ञा पद का विस्तार वैकल्पिक निर्धारिक, वैकल्पिक वाक्य और अनिवार्य संज्ञापद में करते हैं यथा—

    संज्ञापद→(निर्धारिक) (वाक्य) संज्ञापद

    निर्धारिकों का विस्तृत विवरण म. वर्मा (1966) में उपलब्ध है।

16. डोनल्डसन (1971) में विशेषण उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य के पारस्परिक क्रम पर विचार किया गया है।

3. हिंदी की प्रेरणार्थक क्रियाएँ

1.0 भारतीय भाषाओं के व्याकरण में एक अत्यन्त रोचक प्रकरण है उनकी प्रेरणार्थक क्रियाओं का। हिंदी के व्याकरणों में प्रेरणार्थक क्रियाएँ विस्तृत विश्लेषण का विषय बनी हैं।[1] किन्तु, दुर्भाग्यवश, अधिकांश व्याकरणों में प्रेरणार्थक क्रियाओं की पद-रचना (morphology) की ही चर्चा है, प्रेरणार्थक वाक्यों की संरचना की विशेषताओं का उल्लेख नहीं है, उदाहरणार्थ, **बनना** क्रिया के **बनाना** और **बनवाना** रूप कैसे बनते हैं, यह सभी वैयाकरणों ने बताया है। किन्तु जिन वाक्यों में इन तीनों रूपों का प्रयोग होता है, उनके पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं, इसकी व्याख्या अपवाद-स्वरूप ही मिलती है।[2] यहाँ हिंदी के प्रेरणार्थक वाक्यों का रूपान्तरणात्मक व्याकरण-सिद्धान्त के आधार पर एक विश्लेषण प्रस्तुत है।

2.0 पहले हिंदी के प्रेरणार्थक वाक्यों के कुछ समसामयिक विश्लेषणों की चर्चा अपेक्षित है। रूपान्तरणात्मक व्याकरण-सिद्धान्त या अन्य समसामयिक सिद्धान्तों के आधार पर हिंदी के प्रेरणार्थक वाक्यों के जो विश्लेषण इधर हुए हैं उनमें से अधिकांश में यह मान्य हुआ है कि प्रेरणार्थक वाक्य मिश्र वाक्य हैं।[3] सतही दृष्टि से यद्यपि निम्नलिखित वाक्य सामान्य जान पड़ते हैं, तथापि आन्तरिक गठन की दृष्टि से ये वाक्य मिश्र हैं :

1. अलका ने सुमित्रा को बंगला सिखाई।
2. नर्स रोगी को दवा पिला रही है।

इन वाक्यों को मिश्र मानने के पक्ष में जो तर्क हैं, वे नीचे दिए जा रहे हैं।

2.1 पहला तर्क सामान्य और प्रेरणार्थक क्रियाओं से बने निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. कागज़ात जल गए।
4. राम ने कागज़ात जला दिए।
5. मैंने राम से कागज़ात जलवा दिए।
6. लिलि चादर ओढ़ेगी।
7. संगीता लिलि को चादर ओढ़ाएगी।
8. विमि संगीता से लिलि को चादर ओढ़वाएगी।

3.5 तक के वाक्यों में अकर्मक क्रिया **जलना** तथा उसके प्रेरणार्थक रूपों का प्रयोग है। 6-8 तक के वाक्यों में सकर्मक क्रिया **ओढ़ना** तथा उसके प्रेरणार्थक रूपों का प्रयोग हुआ है। क्रियाओं के रूपों का पारस्परिक सम्बन्ध (**जलना–जलाना –जलवाना** तथा **ओढ़ना–ओढ़ाना–ओढ़वाना**) तो स्पष्ट है ही, सामान्य क्रिया तथा उसके प्रेरणार्थक रूपों से बने वाक्यों के विभिन्न संज्ञा पदों का पारस्परिक सम्बन्ध भी नियमित है। मसलन्, 3 का उद्देश्य **कागजात** 4 का कर्म है, 4 का उद्देश्य **राम** 5 का गौण कर्ता है। सकर्मक क्रिया **ओढ़ना** तथा उसके प्रेरणार्थक रूपों से बने वाक्यों में संज्ञा पदों का पारस्परिक सम्बन्ध ठीक वैसा नहीं है जैसा 3–5 तक के वाक्यों में है। 6 का उद्देश्य **लिलि** 7 का गौण कर्म है, 7 का उद्देश्य **संगीता** 8 का गौण कर्ता है। कुछ सकर्मक क्रियाएँ ऐसी भी हैं जिनके दो प्रेरणार्थक रूप नहीं हैं, यथा **ढूंढ़ना** :

9. नीतू चवन्नी ढूंढ़ रही है।

10. अलका नीतू से चवन्नी ढुँढ़वा रहा है।

9 का उद्देश्य **नीतू** 10 का गौण कर्ता है। ऊपर जिन तीन प्रकार के सम्बन्धों की चर्चा की गई है, उन्हें इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है :[4]

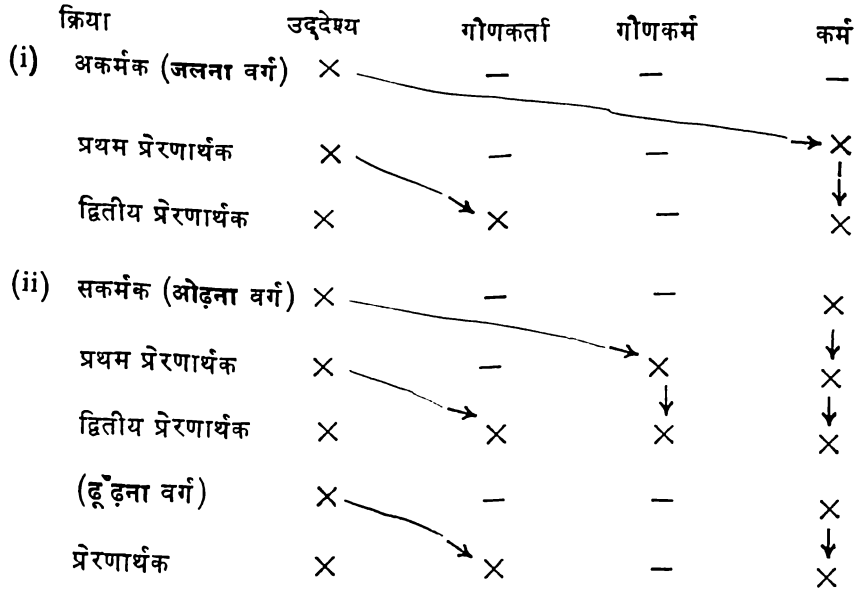

बनना, गिरना, सोना, हँसना, चलना[5] आदि अकर्मक क्रियाएँ जलना वर्ग की अकर्मक क्रियाएँ हैं, **खाना, पीना, पढ़ना**[6], **सीखना, पहनना** आदि सकर्मक क्रियाएँ **ओढ़ना** वर्ग की सकर्मक क्रियाएँ हैं जबकि **करना, बुलाना, पढ़ाना, पूछना** आदि

सकर्मक क्रियाएँ ढूंढ़ना वर्ग की। स्पष्ट है कि सामान्य और प्रेरणार्थक वाक्यों के संज्ञा पदों के पारस्परिक व्याकरणिक सम्बन्ध में जो नियमितता है, वह प्रेरणार्थक वाक्यों के विश्लेषण में प्रतिफलित होनी चाहिए।[7] यह तभी सम्भव है जब प्रेरणार्थक वाक्य रूपान्तरण के नियमों द्वारा उत्पन्न किए जाएँ।

2.2 दूसरा तर्क यह है कि 5 के अर्थ में 4 का अर्थ निहित है और 4 के अर्थ में 3 का। उसी प्रकार 8 के अर्थ में 7 का अर्थ निहित है और 7 के अर्थ में 6 का। यही कारण है कि 11-14 तक के वाक्य न तो व्याकरण सम्मत हैं न अर्थ-संगत :[8]

11. *राम ने कागज़ात जला दिए पर वे नहीं जले।

12. *मैंने राम से कागज़ात जलवा दिए पर उसने उन्हें नहीं जलाया।

13. *त्रिपाठी घोड़ा दौड़ा रहा है पर घोड़ा नहीं दौड़ रहा है।

14. *मैं मिसरानी से खाना बनवाऊँगी पर वह खाना नहीं बनाएगी।

प्रेरणार्थक वाक्यों के व्याकरण में मूल वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध प्रेरणार्थक वाक्यों के पारस्परिक अर्थ-सम्बन्धों की भी व्याख्या होनी चाहिए।

3.3 प्रेरणार्थक वाक्य मिश्र वाक्य हैं और उनकी उत्पत्ति रूपान्तरण के नियमों द्वारा होनी चाहिए, यह तय कर लेने के उपरान्त दो सम्भावनाएँ सामने आती हैं। एक तो यह कि विशेषण उपवाक्यों की तरह इन्हें भी वाक्य-रूपान्तरण (syntactic transformation) के नियमों द्वारा उत्पन्न किया जाए। ऐसे प्रयत्न किए जा चुके हैं, परन्तु उनसे कुछ ऐसी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं जिनका तर्कसंगत समाधान कठिन है। पहले इसी सम्भावना और उसके परिणाम स्वरूप उठ खड़ी होने वाली समस्याओं पर विचार किया जाए।

3.1 वाक्य-रूपान्तरण नियमों के अनुसार प्रेरणार्थक वाक्यों का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है।[9] अर्थ की दृष्टि से प्रेरणार्थक वाक्यों के ये अवयव अनिवार्य हैं : एक प्रेरक, एक प्रेरित और प्रेरित द्वारा की जाने वाली या उस पर असर डालने वाली क्रिया। क्रिया का कर्म वैकल्पिक है और अकर्मक/सकर्मक के अन्तर पर निर्भर करता है। अत: प्रेरणार्थक वाक्य की आन्तरिक संरचना का आरेख पृष्ठ 34 पर यों चित्रित किया गया।

आरेख I

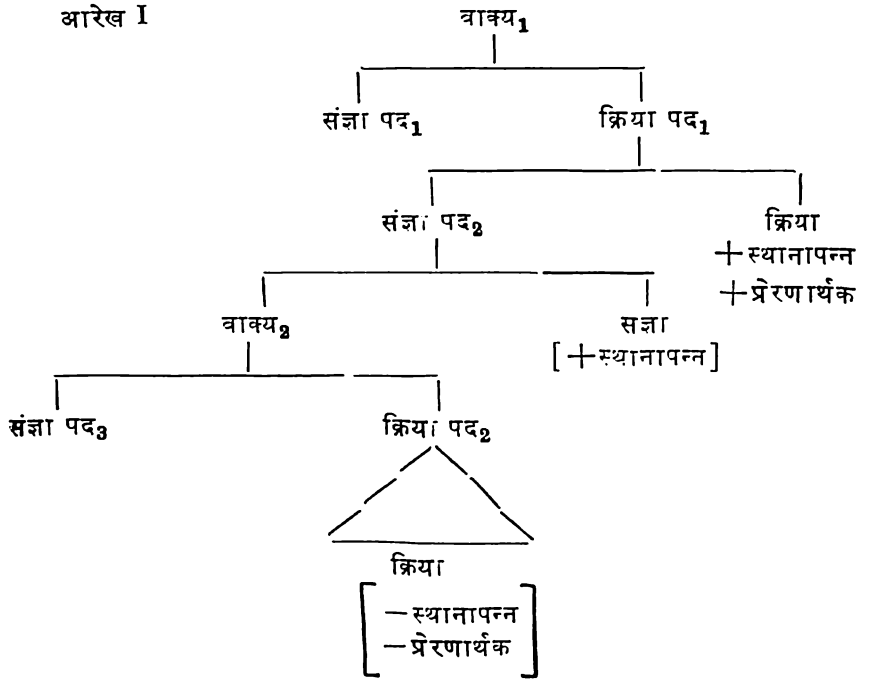

अर्थात् मुख्य उपवाक्य (वाक्य$_1$) का संज्ञा पद$_1$ 'प्रेरक' है, क्रिया प्रेरणा के अर्थ वाली है पर उसका कोई शाब्दिक रूप अभी नहीं है। आश्रित उपवाक्य (वाक्य$_2$) का संज्ञापद$_3$ 'प्रेरित' है, उसकी क्रिया मूल क्रिया है जिसके प्रेरणार्थक रूप उपलब्ध हैं।[10] आश्रित उपवाक्य मूल उपवाक्य के कर्म-स्थान पर है और संज्ञापद$_3$ की संज्ञा (जिसका कोई शाब्दिक रूप नहीं है) का समानाधिकरण उपवाक्य है।[11] प्रेरणार्थक रूपान्तरण प्रकरण के नियम इस प्रकार की आन्तरिक संरचना पर लागू होते हैं। पहले उद्देश्य-उत्थापन (Subject Raising) नियम लागू होता है जो आश्रित उपवाक्य के उद्देश्य संज्ञापद$_3$ को मुख्य उपवाक्य के संज्ञापद$_2$ के अन्तर्गत ला संज्ञा [+स्थानापन्न] का अध्याहार करता है।[12] तदनन्तर प्रेरणार्थक क्रिया गठन नियम लागू होता है जो आश्रित उपवाक्य की (मूल) क्रिया को मुख्य उपवाक्य की क्रिया के स्तर पर उठा लाता है जहाँ यह क्रिया [+प्रेरणार्थक] गुण (feature) से युक्त हो जाती है।[13] अन्य नियम प्रेरणार्थक क्रिया का उच्चरित रूप प्रकट करते हैं और संज्ञा पद$_1$ तथा संज्ञा पद$_2$ के साथ उपयुक्त परसर्ग जोड़ते हैं।[14] उदाहरण के लिए 16 की उत्पत्ति पर विचार कीजिए :

15. श्याम हँसता है।

16. राम श्याम को हँसाता है ।

16 की आन्तरिक संरचना का आरेख प्रस्तुत है :

आरेख II

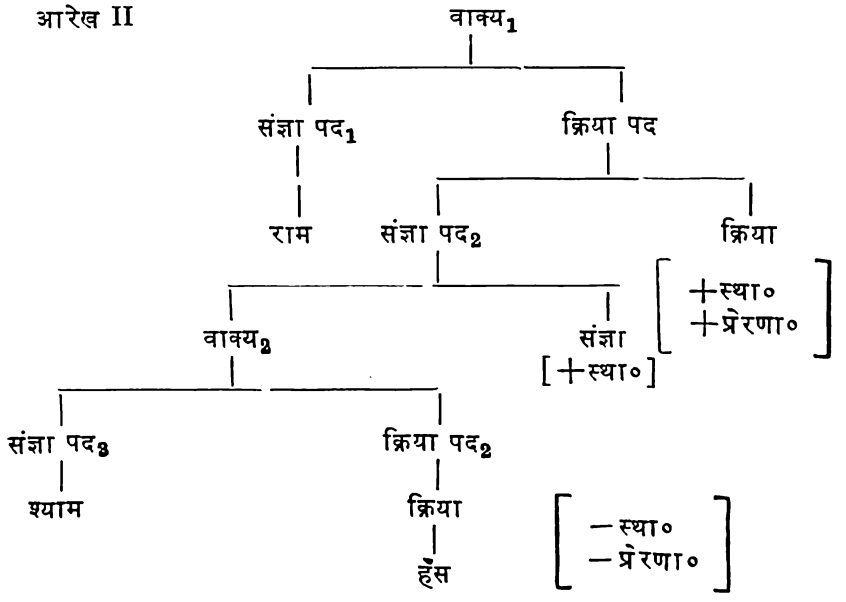

यह आन्तरिक संरचना प्रेरणार्थक रूपान्तरण प्रकरण के नियमों की शर्तें पूरा करती है । अतः इस पर सबसे पहले उद्देश्य-उत्थापन नियम लागू होता है, फल होता है :

आरेख II अ

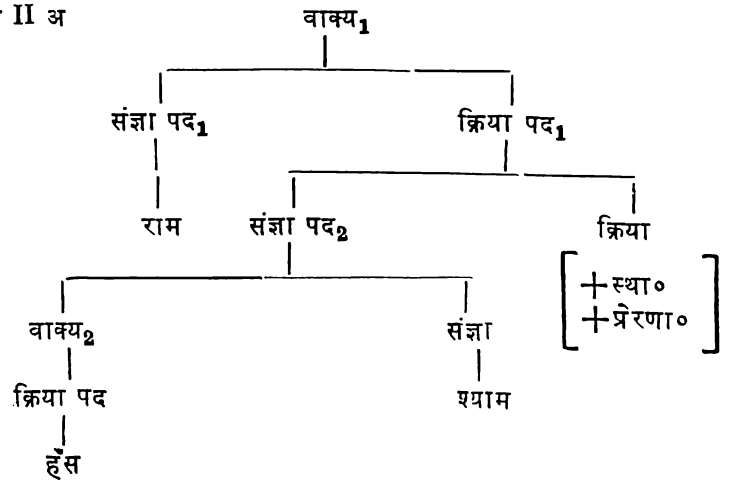

प्रेरणार्थक क्रिया गठन नियम लागू होने पर II अ का रूप होता है :

आरेख II आ

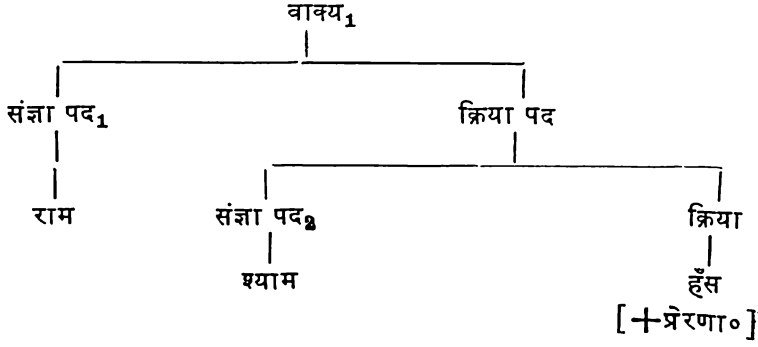

3.11 अब कुछ जटिल वाक्यों की उत्पत्ति पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ऊपर वर्णित प्रक्रिया से कैसी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए 17 और 18 पर विचार करें :

17. जॉन उत्साहपूर्वक हिंदी सीख रहा है।

18. शर्मा जी जॉन को उत्साहपूर्वक हिंदी सिखा रहे हैं।

स्पष्ट है कि अर्थ की दृष्टि से 17 और 18 में वैसा सम्बन्ध नहीं है जैसा 15 और 16 में है। 15 और 16, दोनों में **श्याम** हँसता है, **राम** प्रेरक मात्र है। 17 में **जॉन** हिंदी सीख रहा है और उत्साह भी उसी के मन में है। 18 में किन्तु **जॉन** हिंदी तो सीख रहा है पर उत्साह **शर्मा जी** के मन में है। **जॉन** के मन में उत्साह है या नहीं, 18 इस पर मौन है। ऊपर बताए ढंग से वाक्य-रूपान्तरण की प्रक्रिया द्वारा यदि 18 को उत्पन्न करें, तो 17 और 18 के अर्थ का अन्तर स्पष्ट करना असम्भव हो जाता है।[15]

3.12 दूसरी समस्या यह है कि वाक्य गठन के नियमों के अनुसार आश्रित उपवाक्य निषेध-सूचक भी हो सकता है। वैसी दशा में रूपान्तरण के नियम लागू भी हों, तो अर्थ की असंगति बनी रहेगी। 19 और 20 के अर्थ-सम्बन्ध सहज नहीं हैं :

19. राम नहीं हँसा।

20. श्याम ने राम को नहीं हँसाया।

20 का अर्थ केवल इतना है कि **श्याम** ने **राम** को हँसने के लिए प्रेरित नहीं किया, राम हँसा या नहीं, 20 से यह स्पष्ट नहीं है।[16]

3.13 नीचे के दोनों वाक्य व्याकरण-सम्मत हैं किन्तु उनका अर्थ-सम्बन्ध नियमित नहीं है :

21. अलका ने अपनी तस्वीर देखी ।

22. नीतू ने अलका को अपनी तस्वीर दिखाई ।

साधारणत: 21 में **अपनी** से **अलका** का बोध होता हैं किन्तु 22 में **अपनी** से **नीतू** का । हिंदी में निजवाचक सर्वनाम (**अपना**) के प्रयोग का नियम यह है कि वाक्य में सम्बन्ध सूचक सर्वनाम यदि वाक्य के उद्देश्य से अभिन्न व्यक्ति का बोध कराए तो सम्बन्ध सूचक को निज वाचक में बदल दिया जाता है । उदाहरण 21 में प्रस्तुत है । 22 की आन्तरिक संरचना में भी मूल क्रिया **देख** का उद्देश्य **अलका** ही है, किन्तु प्रेरणार्थक वाक्य में यदि **अपनी** से **अलका** का बोध कराना हो तो 22 का रूप होगा :

22 अ. नीतू ने अलका को उसकी तस्वीर दिखाई ।[17]

वाक्य-रूपान्तरण की प्रक्रिया से निजवाचक और प्रेरणार्थक दोनों उत्पन्न किए जाएँ तो 22 और 22 अ जैसे वाक्यों की संरचना की व्याख्या कठिन है ।

3.14 निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रेरणार्थक वाक्यों की उत्पत्ति के उपयुक्त जो आन्तरिक संरचना हो, उसमें आश्रित उपवाक्य न तो 'उत्साहपूर्वक' जैसे क्रिया विशेषण से युक्त हो, न निषेध सूचक हो और न उद्देश्य से अभिन्न सम्बन्ध सूचक से युक्त हो । ज़ाहिर है कि ऐसे नियन्त्रण कृत्रिम हैं और व्याकरण की दृष्टि से इन्हें संगत नहीं प्रमाणित किया जा सकता ।

3.2 इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेरणार्थक वाक्यों की उत्पत्ति में रूपान्तरण के नियमों का कोई स्थान नहीं है । अब हम दूसरी सम्भावना पर विचार करें । पहले ही कहा जा चुका है कि रूपान्तरण में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो शब्द-योजना के पूर्व लागू होते हैं और संश्लिष्ट अर्थ वाले शब्दों को रूप देने में सहायक होते हैं ।[18] यहाँ इस दावे को सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रेरणार्थक रूपान्तरण नियम ऐसे ही शब्द-पूर्व (pre-lexical) रूपान्तरण नियमों में से है ।

3.21 उपर्युक्त नियमानुसार एक प्रेरणार्थक वाक्य की उत्पत्ति का विवरण यों प्रस्तुत किया जा सकता है । निम्न वाक्यों पर विचार करें :

23. अशोक ने किताब देखी ।

24. राकेश ने अशोक को किताब दिखाई ।

24 की आन्तरिक संरचना यों है : [19]

आरेख III

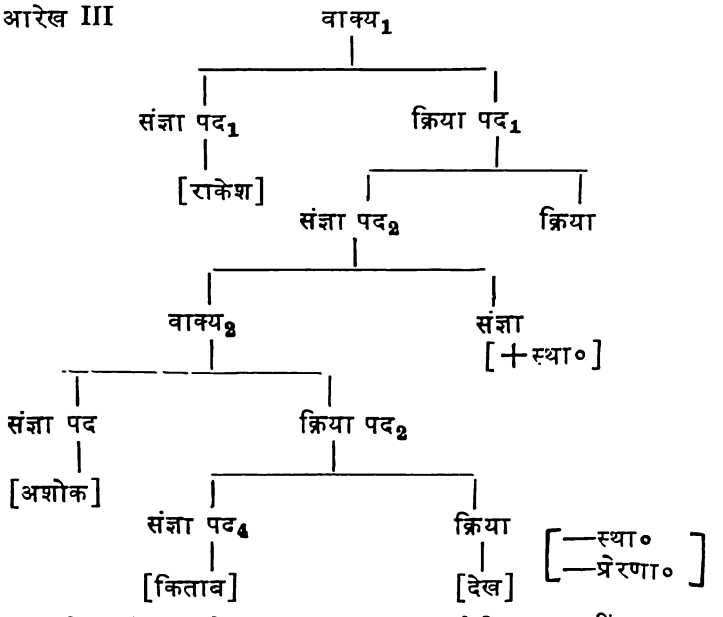

आन्तरिक संरचना के इस सूक्ष्म स्तर पर कोई शब्द नहीं चुना जाएगा, केवल शब्दों के अर्थ सम्बन्धी गुण (semantic features) नियोजित किए जाएँगे। सबसे पहले III पर प्रेरणार्थक नियम लागू होगा जो आश्रित उपवाक्य की क्रिया को मुख्य उपवाक्य की क्रिया के स्तर पर उठा ले जाएगा। फल होगा :[20] (देखिए आरेख III अ)

III अ

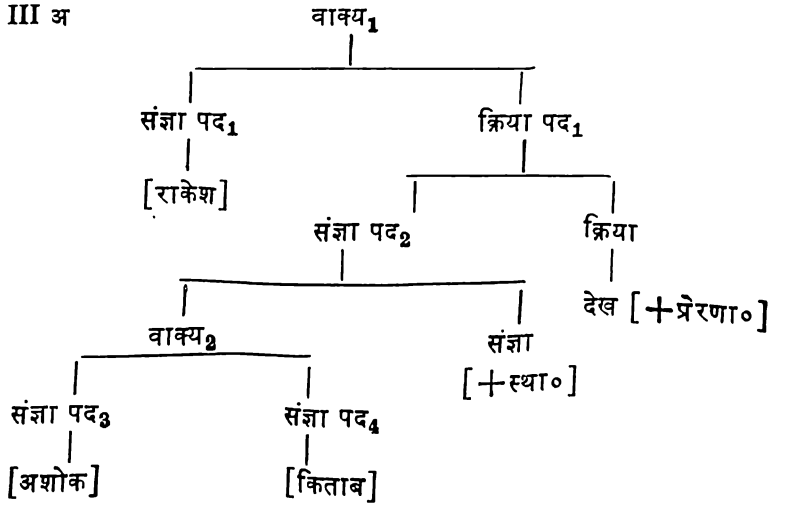

मुख्य उपवाक्य की क्रिया [देख+प्रेरणा०] के स्थान पर **दिखा** की योजना के पश्चात् अन्य सभी शब्द योजित होंगे। तब उद्देश्य-उत्थापन नियम लागू होगा और परिणाम होगा :

III आ

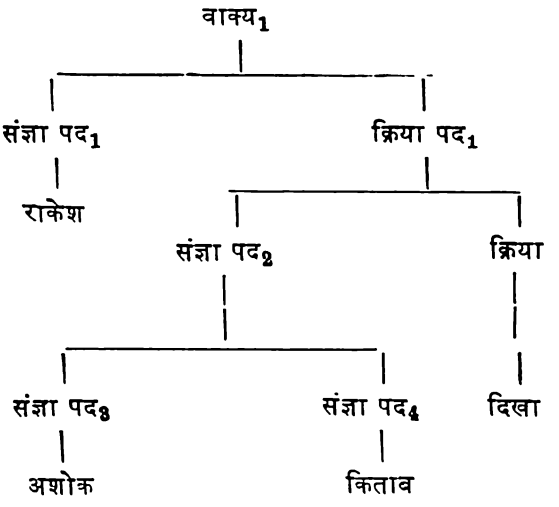

अन्य नियम संज्ञा पदों के साथ उपयुक्त परसर्ग जोड़ेंगे और अन्वय के नियम लागू होने के पश्चात् 24 का वाक्य उपलब्ध होगा।

3.3 यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि प्रेरणार्थक रूपान्तरण शब्दपूर्व रूपान्तरण नियमों में से है, तो कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक तो इस प्रश्न का स्वाभाविक उत्तर मिल जाता है कि आश्रित उपवाक्य यदि निषेध-सूचक हो, तो व्याकरण-सम्मत प्रेरणार्थक वाक्य क्यों नहीं उपलब्ध होता। उदाहरण के लिए पृष्ठ 40 पर प्रस्तुत सम्भव आरेख IV पर विचार करें :

इस बात के सबल प्रमाण हैं कि निषेध सूचक उच्चतर विधेय के रूप में उत्पन्न होता है और निषेध सूचक वाक्य रूपान्तरण के नियमों द्वारा प्राप्त होते हैं।[31] यहाँ इन प्रमाणों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं, क्योंकि निषेध सूचक प्रकरण अपने-आप में एक विशद प्रकरण है। आरेख IV में इन प्रमाणों को मान लिया गया है। चूँकि ऐसे जटिल आरेखों पर नियम पहले निम्नतम वाक्य पर और तब

आरेख IV

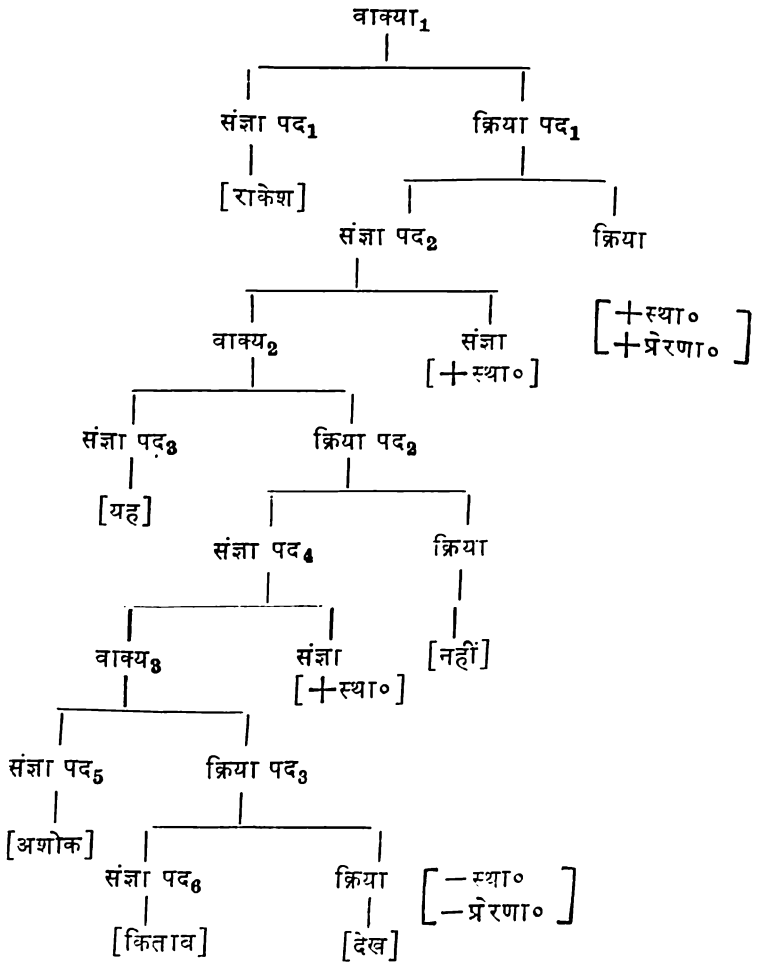

उच्चतर वाक्यों पर लागू होते हैं, अत: IV पर पहले निषेधसूचक रूपान्तरण नियम लागू होगा। दिक्कत यह है कि शब्दपूर्व प्रेरणार्थक नियम IV पर सबसे पहले लागू होना चाहिए, अन्यथा इस नियम का पालन नहीं होता। IV पर यह नियम सबसे पहले लागू नहीं हो सकता क्योंकि मूल क्रिया और प्रेरणार्थक के बीच निषेध सूचक क्रिया —[नहीं]—आ जाती है। यदि निषेधसूचक नियम को भी शब्द पूर्व रूपान्तरण नियम मान लिया जाए तो IV पर पहले यह नियम लागू हो सकता है और तब IV का सम्भव रूप आगे के आरेख की भाँति होगा :

आरेख IV अ

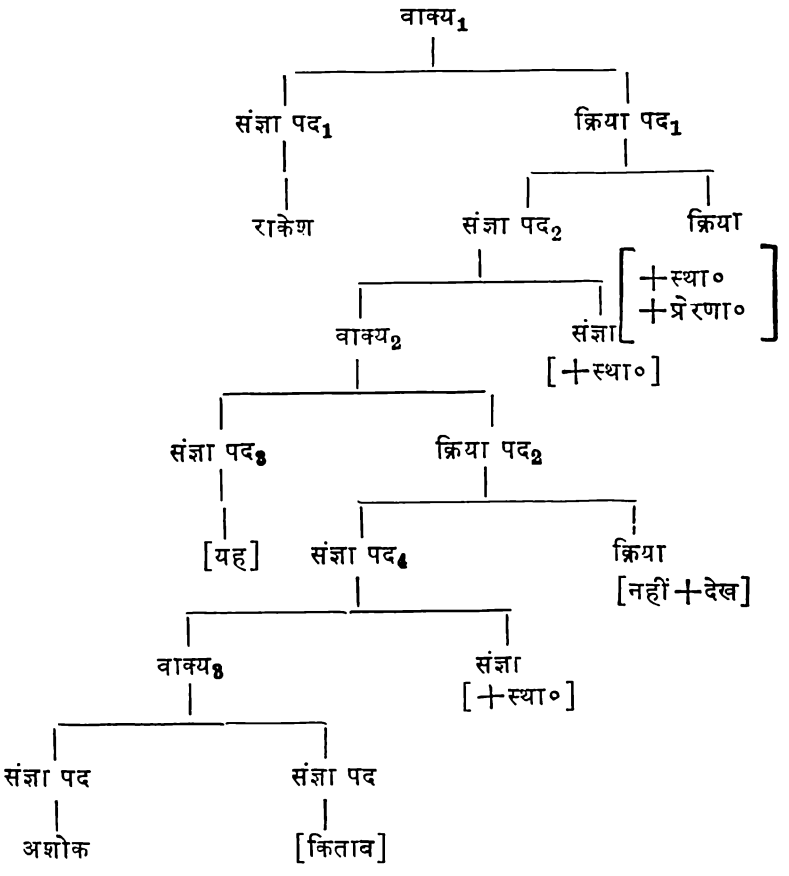

संप्रति अन्य नियमों की बात छोड़ दें और प्रेरणार्थक नियम पर गौर करें। प्रेरणार्थक नियम मूल क्रिया को [+प्रेरणा.] क्रिया के स्तर पर ले जाती है। इस नियम के IV अ पर लागू होने में एक बाधा यह है कि क्रिया पद$_2$ की क्रिया सामान्य न रह कर संश्लिष्ट हो गई है अर्थात् [+निषेध सूचक] भी उसका एक गुण है। प्रेरणार्थक नियम इस गुण वाली क्रिया पर लागू नहीं होता। अगर प्रेरणार्थक नियम में यह परिवर्तन कर भी दिया जाए कि वह [+निषेध सूचक] क्रियाओं पर भी लागू हो, तो भी नियम लागू होने के पश्चात् कोई वाक्य हमें उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो [[नहीं+देख]+प्रेरणार्थक] का समानार्थी हो।[22]

3.3.1 'उत्साहपूर्वक' जैसे क्रियाविशेषण से युक्त वाक्य भी क्यों प्रेरणार्थक वाक्य उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, इसका भी उत्तर निषेध सूचक वाक्य सम्बन्धी विवेचन के समानान्तर विवेचन से दिया जा सकता है। निम्नलिखित सम्भव आन्तरिक संरचना पर विचार करें :

आरेख V

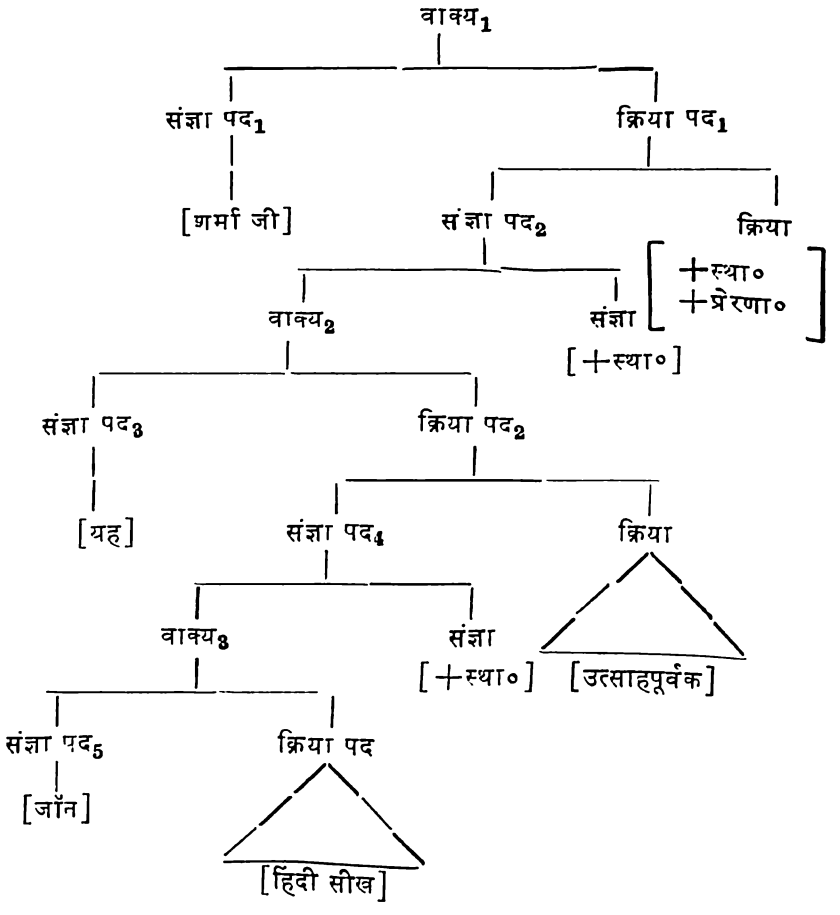

आरेख V पर प्रेरणार्थक नियम लागू होने में वही बाधाएँ हैं जो आरेख IV पर इस नियम के लागू होने में थीं।[23]

3.3.2 निजवाचक सम्बन्धी जो उदाहरण दिए गए थे, उनकी व्याख्या जटिल है। अग्रांकित सम्भव आरेख पर गौर करें :

आरेख VI

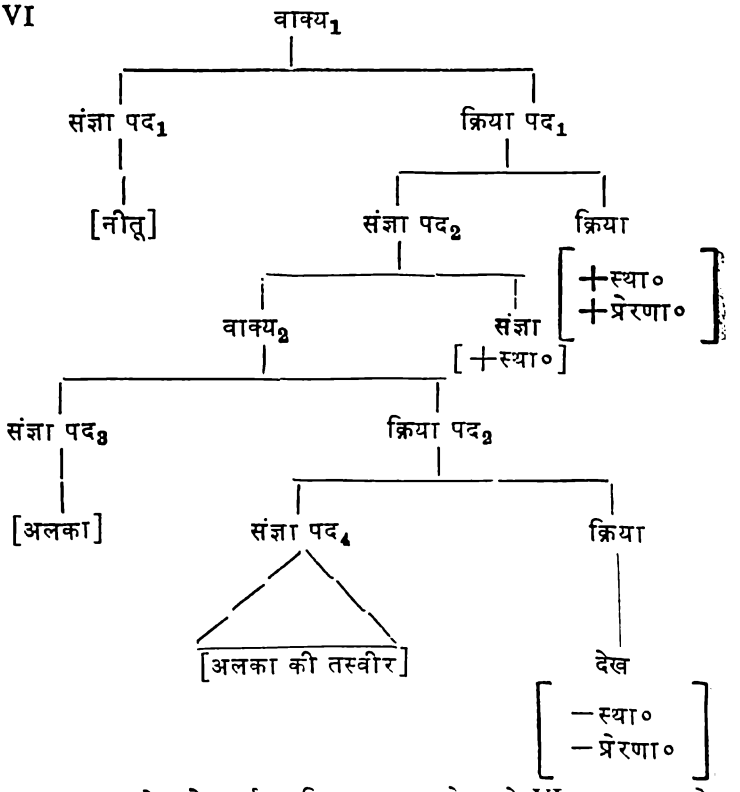

आरेख VI पर पहले प्रेरणार्थक नियम लागू हो, तो VI का रूप हो जाएगा :

आरेख VI अ

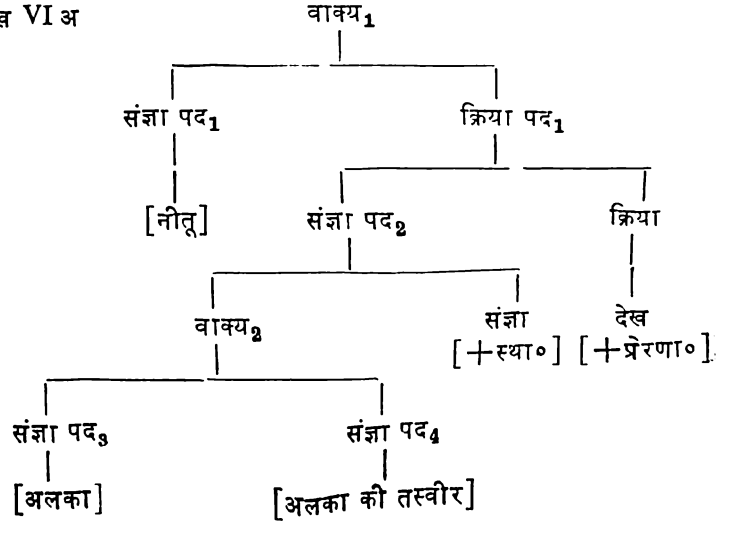

चूंकि **संज्ञापद$_3$ अब किसी वाक्य का** उद्देश्य नहीं है, अतः उससे अभिन्न सम्बन्ध सूचक को निजवाचक में नहीं रूपान्तरित किया जाएगा। केवल संज्ञापद की **अलका** को सर्वनाम का रूप दिया जाएगा। इस प्रकार सभी नियम लागू होने के उपरान्त IV अ से निम्नलिखित वाक्य उपलब्ध होगा जो व्याकरण सम्मत है :[24]

25. नीतू ने अलका को उसकी तस्वीर दिखाई।

3.4 अभी इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर गौर करने और प्रेरणार्थक प्रकरण के नियमों को सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। तभी इसे सर्वमान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। प्रबन्ध के शेष भाग में इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा कि प्रेरणार्थक वाक्यों में संज्ञा पदों के साथ उपयुक्त परसर्ग जोड़ने में अर्थ की किन विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है।

4.0 अर्थ की दृष्टि से हिंदी वाक्यों के उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं। कुछ क्रियाओं के उद्देश्य सही अर्थों में कर्त्ता (agent) होते हैं, कुछ के भोक्ता (experiencer), कुछ के कर्त्ता और भोक्ता दोनों। उदाहरण के लिए इन वाक्यों पर ग़ौर करें :

26. घोड़ा दौड़ा।
27. लड़के बैठे।
28. राम सेब खा रहा है।
29. नौकर बर्तन धो रहा है।
30. रँगरेजिन दुपट्टे रँगेगी।

26-30 तक के वाक्यों में क्रमशः **घोड़ा, लड़के, राम, नौकर** और **रँगरेजिन** उद्देश्य हैं। किन्तु अर्थ की दृष्टि से देखें तो इनके प्रकार भिन्न-भिन्न हैं : **घोड़ा, लड़के** और **राम** कर्ता भी हैं और भोक्ता भी। भोक्ता इसलिए कि 26 और 27 में क्रिया के फलस्वरूप **घोड़ा** और **लड़के** का स्थिति परिवर्तन होता है, और 28 में **राम** की तृप्ति होती है। 29 और 30 में किन्तु **नौकर** और **रँगरेजिन** कर्ता ही हैं, भोक्ता नहीं क्योंकि नौकर के बर्तन धोने और रँगरेजिन के दुपट्टे रँगने से सामान्यतः लाभ किसी और को होता है। अब इनके प्रेरणार्थक रूपों पर विचार करें :

26. अ. मैंने घोड़े को दौड़ाया।
27. अ. मैंने लड़कों को बिठाया।
28. अ. मैं राम को सेब खिला रही हूँ।
29. अ. मैं नौकर से बर्तन धुलवा रही हूँ।
30. अ. मैं रँगरेज़िन से दुपट्टे रँगवाऊँगी।

स्पष्ट है कि क्रियाओं के उद्देश्य संज्ञापद यदि भोक्ता होते हैं, तो प्रेरणार्थक रूपान्तरण के बाद गौण कर्म के रूप में **को** परसर्ग के साथ प्रकट होते हैं (26 अ-

28 अ तक) और क्रियाओं के उद्देश्य संज्ञा पद यदि मात्र कर्ता होते हैं, तो प्रेरणार्थक रूपान्तरण के पश्चात् गौण कर्ता से रूप में **से** परसर्ग के साथ प्रकट होते हैं।[25]

4.1 ऊपर उद्देश्य की जो कोटियाँ (कर्त्ता, भोक्ता आदि) बताई गई हैं, वे कपोल कल्पित नहीं हैं। हिंदी की सकर्मक क्रियाओं में से अधिकांश ऐसी संयुक्त क्रियाएँ बनाती हैं जिनकी सहायक क्रिया **लेना** या **देना** या दोनों होती हैं। मसलन् :

31. राम ने चिट्ठी पढ़ ली/दी।

32. मैंने साड़ी रँग ली/दी।

33. तुम कपड़े पहन लो/*दो।

34. उसने हिंदी सीख ली/*दी।

35. मैंने कूड़ा फेंक दिया/*लिया।

36. उसने सब कुछ उगल दिया/*लिया।

31 के दोनों वाक्यों के अर्थ भिन्न हैं : **पढ़ ली** का अर्थ है कि **राम** ने चिट्ठी पढ़ कर ख़बर जान ली। **पढ़ दी** का अर्थ है कि उसने चिट्ठी पढ़ कर (किसी और) को सुना दी। 32 पर भी यह लागू होता है। **पहनना** और **सीखना** जैसी क्रियाओं का कर्ता अनिवार्य रूप से भोक्ता होना है (33 और 34), अतः ***पहन देना** या ***सीख देना** असम्भव हैं।[26] **फेंकना उगलना**, जैसी क्रियाओं का उद्देश्य भोक्ता नहीं हो सकता, अतः ये क्रियाएँ **लेना** के साथ नहीं आतीं (35 और 36)। एक और प्रमाण इन वाक्यों से उपलब्ध है :

37. सीता ने राधा के लिए साड़ी रँग दी।

38. *राम ने सीता के लिए कोट पहन लिया।

क्रिया का उद्देश्य सिर्फ कर्ता हो (37), तो वाक्य में उसका भी उल्लेख होता है जिसको क्रिया का फल मिलने वाला है (**राधा** 37 में भोक्ता है)। यदि कर्ता ही भोक्ता भी हो, तो यह सम्भव नहीं (38 में **सीता** भोक्ता नहीं है क्योंकि राम के कोट पहनने से सीता का आवृत्त होना असम्भव है)।[27]

इस प्रकार परसर्ग जोड़ने वाले नियम व्याकरण के स्वाभाविक नियम हैं और क्रियाओं के अर्थ-गुणों पर आधारित हैं। इन नियमों के लिए क्रियाओं के कृत्रिम वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं।[28]

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रेरणार्थक वाक्यों के रूपान्तरण में जिस स्थानापन्न प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग होता है, उसका अर्थ-गुण क्या है। यह क्रिया **सीखना, खाना, पहनना** आदि की कोटि की

है, या **फेंकना, उगलना** आदि की कोटि की या **पढ़ना, रँगना** आदि की कोटि को। नीचे के वाक्यों पर विचार करें :

39. कपड़े धुल गए।
40. मैंने कपड़े धो दिए।
    अ. मैंने कपड़े धो लिए।
41. राम ने चाय पी ली।
42. मैंने राम को चाय पिला दी।
    अ. ? मैंने राम को चाय पिला ली।
43. जॉन ने हिंदी सीख ली।
44. लीला ने जॉन को हिंदी सिखा दी।
    अ. शीला ने जॉन को हिंदी सिखा ली।

यों तो ऊपर के अ–वाक्य (40 अ, 42 अ तथा 44 अ) भी उपयुक्त प्रसंग में मान्य हो सकते हैं, किन्तु व्याकरणिक सम्बन्ध की दृष्टि से जो नियमितता 39-40, 41-42 और 43-44 के वाक्यों में है वह 39-40 अ, 41-42 अ एवं 43-44 अ के वाक्यों में नहीं। 44 अ पर गौर करें। जबकि 44 का वाक्य 43 का सहज प्रेरणार्थक है, 44 अ तभी उपयुक्त हो सकता है जबकि शीला का जॉन के साथ ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हो कि उसका हिन्दी सीखना शीला के हित की दृष्टि से अनिवार्य हो। अतः यह मानना उचित है कि स्थानापन्न प्रेरणार्थक क्रिया का उद्देश्य कर्ता-मात्र हो सकता है, कर्ता और भोक्ता या भोक्ता-मात्र नहीं।

टिप्पणियाँ

1. देखिए गुरु : अनु. 202-08, पृ. 128-33; केलॉग: अनु. 420-24 पृ. 252 और आगे; शर्मा : अनु. 250-55, पृ. 82 और आगे; वाजपेयी : पृ. 456-76.
2. देखिए वाजपेयी : पृ. 456.
3. काचरू (1965, 66 और 73); सिन्हा (1970); साह (1971); अपवाद हैं—बहल (1967) और बालचन्द्रन (1971).
4. चित्र में तीर यह स्पष्ट करते हैं कि सामान्य क्रिया या प्रथम प्रेरणार्थक के उद्देश्य, कर्म आदि प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक में कौन-सा व्याकरणिक कार्य करते हैं। यहाँ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की चर्चा तो है, **भेजना, देना** आदि द्विकर्मक क्रियाओं की चर्चा नहीं है। कारण यह है कि व्याकरण के

सिद्धान्त के अनुसार सभी द्विकर्मक क्रियाएँ प्रेरणार्थक **खिलाना, पहनाना** आदि की भाँति रूपान्तरण के नियमों से उत्पन्न मानी जा सकती हैं। इसकी विस्तृत चर्चा अभी नहीं की जा रही है।

5. **चलना** क्रिया **जलना** का अनुसरण तब करती है जब उसका उद्देश्य अप्राणि-वाचक या मनुष्येतर प्राणी हो। यदि **चलना** का उद्देश्य मानवीय हो तो **चलाना, चलवाना** का मुख्य अर्थ प्रायः बाधित हो जाता है।

6. **पढ़ना** क्रिया का हिंदी में दो प्रकार से प्रयोग होता है : एक 'अध्ययन' के अर्थ में (**वह आजकल बम्बई में पढ़ रहा है।**), दूसरा सामान्य पढ़ने के अर्थ में (**पिताजी आज के अखबार का सम्पादकीय पढ़ रहे हैं।**) 'अध्ययन' के अर्थ में **पढ़ना** का प्रयोग **ओढ़ना** के समान होता है, दूसरे अर्थ में नहीं होता, यथा :

   क. जॉन ने हिंदी पढ़ी।

   ख. मिश्र जी ने जॉन को हिंदी पढ़ाई।

   ग. मैंने मिश्र जी से जॉन को हिंदी पढ़वाई।

   घ. राम ने पिता का पत्र पढ़ा।

   छ. *श्याम ने राम को पिता का पत्र पढ़ाया।

   ज. श्याम ने राम से पिता का पत्र पढ़वाया।

7. द्रष्टव्य है कि मूल क्रिया का उद्देश्य या तो प्रथम प्रेरणार्थक का कर्म होता है (मूल क्रिया : अकर्मक) या गौण कर्म (मूल क्रिया : ओढ़ना वर्ग (सकर्मक)), प्रथम प्रेरणार्थक का उद्देश्य हर दशा में द्वितीय प्रेरणार्थक का गौण कर्त्ता बनता है। व्याकरणिक कार्य-परिवर्तन के बावजूद मूल क्रिया और उद्देश्य संज्ञापद का आधारभूत सम्बन्ध प्रेरणार्थक वाक्यों में भी बना रहता है। उदाहरणार्थ, 3 की भाँति 4 और 5 में भी कागज़ात ही जलते हैं, 6-8 में चादर लिलि को ही आवृत्त करती है और 9-10 में चबन्नी ढूँढ़ने वाली नीतू ही है। इसकी व्याकरणिक दृष्टि से जो रोचक परिणति होती है, उसके लिए देखिए अनु 4.0.

8. कुछ प्रसंगों में सम्भवतः 13 और 14 जैसे वाक्य सर्वथा असंगत न लगें। अपूर्ण वर्तमान काल और भविष्यत् काल वाले वाक्यों का ऐसा ही अर्थ लगाया जा सकता है कि प्रेरक की ओर से प्रयत्न हो रहा है पर प्रेरित कार्य नहीं हो पाता। अक्सर ऐसे वाक्यों को विशेष अर्थ में समझने की जरूरत पड़ती है :

क. मैं रोटियाँ बनाती तो हूं पर वे बनती नहीं ।

यानी 'मैं रोटियाँ बना लेती हूं पर वे **अच्छी** नहीं बनतीं ।'

9. देखिए काचरू (1966) और सिन्हा (1970) । यहाँ दिया गया विवरण सिन्हा के विवरण के अधिक निकट है । मुख्य अन्तर यह है कि सिन्हा (1970) में नियमों को लागू करने का क्रम क्या हो, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आरेख I में क्रियाओं के जो गुण बताए गए हैं, उनमें [± स्थानापन्न] और [± प्रेरणार्थक] को बाद में संक्षिप्त रूप में यानी क्रमशः [± स्था.] और [± प्रेरणा.] लिखा गया है । शब्दकोश में वे मूल क्रियाएँ, जिनके प्रेरणार्थक रूप उपलब्ध हैं, $\begin{bmatrix} \text{—स्था.} \\ \text{—प्रेरणा} \end{bmatrix}$ गुणों से युक्त होंगी । जिन क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप उपलब्ध नहीं हैं (मसलन् **जानना, लड़खड़ाना** आदि) उनके लिए [± प्रेरणा.] गुणों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

10. हिंदी में कई ऐसी क्रियाएँ हैं जिनके प्रेरणार्थक रूप उपलब्ध नहीं । अकर्मक क्रियाओं में **पड़ना** (उदा० **पानी पड़ रहा है** ।), **लड़खड़ाना, हिचकिचाना** आदि तथा सकर्मक क्रियाओं में **जानना, पुकारना** आदि से प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते ।

11. सिन्हा (1970) में इस आन्तरिक संरचना को संगत मानने के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं ।

12. सिन्हा (1970) में यद्यपि नियमों से स्पष्ट क्रम का उल्लेख नहीं है, तथापि कुछ ऐसे ही क्रम के आधार पर प्रेरणार्थक वाक्य उत्पन्न किए गए हैं । सिन्हा ने किसी नियम को सूत्रबद्ध नहीं किया है ।

13. प्रेरणार्थक क्रिया गठन नियम का यह विवरण सिन्हा (1970) के विवरण से भिन्न है । सिन्हा के तत्संबंधी नियम की आलोचना के लिए देखिए काचरू (1971) में संकलित क्लाइमैन और काचरू के प्रबन्ध ।

14. हिंदी में कई सकर्मक क्रियाएँ हैं जिनके भूतकालिक कृदन्त से बने रूपों में उद्देश्य के साथ **ने** परसर्ग का प्रयोग होता है । कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ किन्तु **ने** का प्रयोग नहीं होता, मसलन् **बोलना, लाना** आदि । कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ **ने** का प्रयोग होता है, मसलन् **नहाना, छींकना** आदि । **ने** के प्रयोग की शर्त यह है कि क्रिया [+**ने**] गुण से युक्त हो तथा भूतकाल में हो । **को** और **से** की योजना की शर्तों के लिए देखिए, अनु. 4.

15. 18 की सम्भव आन्तरिक संरचना तब इस प्रकार होगी :

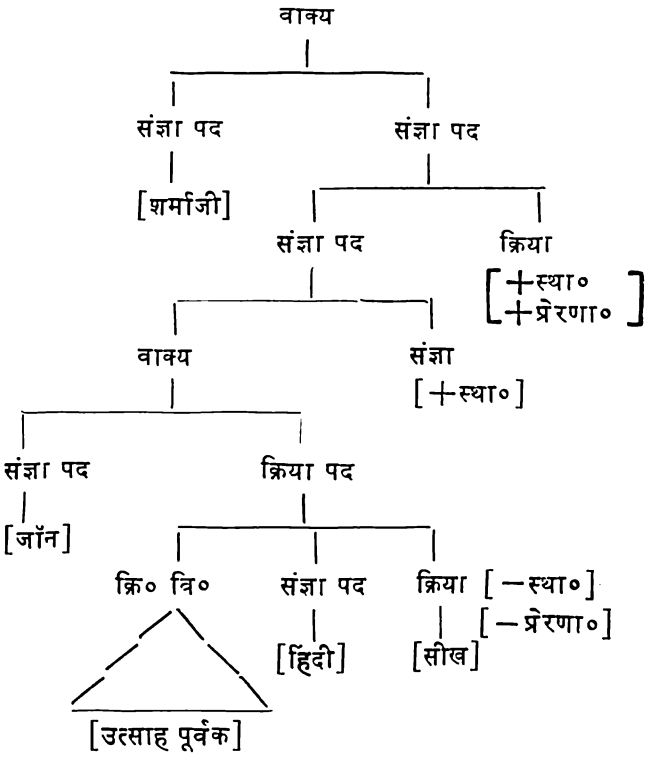

इस संभव आरेख पर प्रेरणार्थक वाक्य रूपान्तरण के नियम लागू होने पर जो वाक्य उपलब्ध होगा उसका अर्थ होगा कि शर्मा जी जॉन को हिंदी सिखा रहे हैं और जॉन के मन में हिंदी सीखने का उत्साह है। यह अर्थ 18 के अर्थ से भिन्न है। यदि यह मान लिया जाए कि **उत्साहपूर्वक** जैसे क्रिया विशेषण रूपांतरित वाक्य के अवशेष हैं तो ऊपर का आरेख और भी जटिल होगा। इस प्रबन्ध के लिए क्रिया विशेषणों की उत्पत्ति का विवरण अप्रासंगिक होगा।

16. तभी ऐसे वाक्य व्याकरण-सम्मत भी हैं और अर्थ संगत भी :

(i) राम ने श्याम को नहीं हँसाया वह खुद ही हँसा।

(ii) माँ ने बच्चे को नहीं सुलाया, फिर भी वह सो गया।

वाक्य रूपान्तरण के नियमों द्वारा प्रेरणार्थक वाक्यों की उत्पत्ति में जो समस्याएँ हैं, उनकी विस्तृत चर्चा के लिए देखिए काचरू (1971) में संकलित क्लाइमैन और काचरू के प्रबन्ध ।

17. विस्तृत विवरण के लिए देखिए क्लाइमैन और काचरू के उपर्युक्त प्रबन्ध। संक्षेप में हिंदी में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब वाक्य में एक से अधिक संज्ञापद हों और इनमें से एक या अधिक संज्ञापद वाक्य के उद्देश्य संज्ञापद से अभिन्न हों। निजवाचक सर्वनामों की कुछ विशेषताओं की चर्चा काचरू (1971) में संकलित सुब्बाराव के प्रबन्ध में है ।

18. देखिए इस पुस्तक में संकलित पहले प्रबन्ध का अनु. 4.

19. इस प्रबन्ध के आरेखों में जहाँ भी विशिष्ट शब्दों की योजना न कर केवल उनके अर्थ का द्योतन किया गया है, वहाँ [ ] कोष्ठकों का प्रयोग है ।

20. रॉस (1967) के अनुसार ऐसे आरेखों में **वाक्य** का लोप इस पर निर्भर है कि उसके दोनों अवयव—संज्ञापद और क्रियापद—वर्तमान हैं या नहीं । यदि आरेख से **क्रियापद** लुप्त हो जाए तो **वाक्य** भी लुप्त हो जाता है । आरेखों के संक्षिप्तीकरण की सभी शर्तों का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है । आरेख II अ और III आ में यह मान लिया गया है कि जिस अवयव के दो अंगों में से एक का लोप हो जाए, उसे भी लुप्त मान लिया जाए ताकि ऐसे सम्भव आरेख न बनें :

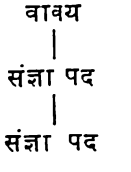

21. निषेध सूचक उच्चतर विधेय के रूप में आता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए देखिए : गाइस (1970) ।

22. ग़ौर करें कि निम्नलिखित वाक्य [नहीं + [देख + प्रेरणा.]] का समार्थी है :

(i) राकेश ने अशोक को किताब नहीं दिखलाई ।

23. क्रिया विशेषण विधेय से उत्पन्न होते हैं, इस के पक्ष में तर्क के लिए देखिए गाइस (1970) ।

24. हिन्दी में निजवाचक सर्वनाम **अपने आप** तथा **अपना** से वाक्य के एकाधिक संज्ञा पदों में से किस संज्ञा पद का बोध होता है, सर्वनामीकरण (pronominalization) के नियम कैसे सूत्र बद्ध किये जायें, आदि पर अभी शोध कार्य जारी है। नीचे के कुछ वाक्यों पर ग़ौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि **अपने-आप** तथा **अपना** का संपर्क किसी विशिष्ट संज्ञा पद से जोड़ने में कैसी कठिनाइयाँ हैं :

क. अशोक ने ललिता से अपने लिए चाय बनाने को कहा।

[चाय अशोक के लिए भी हो सकती है, ललिता के लिए भी।]

ख. अशोकi ने ललिता से अपनेi घर चलने को कहा।

[स्वाभाविक अर्थ : घर अशोक का है।]

ग. अशोक ने ललितai से अपनेi घर जाने को कहा।

[स्वाभाविक अर्थ : घर ललिता का है।]

घ. (i) मैंने कुछ लोगों को मेरे कमरे में बैठकर मेरे बारे में बातें करते हुए पाया।

(ii) मैंने कुछ लोगों को अपने कमरे में बैठकर अपने बारे में बातें करते हुए पाया।

(इसके एकाधिक अर्थ संभव हैं।)

च. राधाi ने हिप्पियों को अपनेi से दूर रहने का आदेश दिया।

25. ध्यातव्य है कि **पढ़ना** जैसी द्विअर्थी क्रिया से बनने वाले प्रेरणार्थक वाक्य इसकी पुष्टि करते हैं (देखिए टिप्पणी 6)। **गिरना** जैसी अकर्मक क्रियाओं के अप्राणि वाचक उद्देश्य भोक्ता की कोटि के होते हैं अर्थात् क्रिया के फल-स्वरूप उनका स्थान या दशा-परिवर्तन होता है (**पत्ते गिरे, गिलास टूटा** आदि)।

26. **सीख देना** व्याकरण-सम्मत है यदि **सीख** भाववाचक संज्ञा हो (**मैंने उसको अच्छी सीख दी**)।

27. काचरू (1965 और 66) में **लेना/देना** के संयोग से बनने वाली संयुक्त क्रियाओं का विवरण है। काचरू (1972) में क्रिया के उन गुणों की विस्तृत

चर्चा है जो न क्रियाओं के लिए केवल यह निर्धारित करते हैं कि **लेना/** के संयोग से संयुक्त क्रिया बना सकते हैं या नहीं, बल्कि यह भी निर्धा करते हैं कि प्रेरणार्थक वाक्यों में उनके उद्देश्य संज्ञापदों का क्या व होगा ।

28. सिन्हा (1970) और साह (1971) में इन्हीं तथ्यों की दृष्टि से दो प्रेरणा विधेयों (प्रेरणार्थक I और प्रेरणार्थक II) की व्यवस्था की गई है । ऊपर विवेचन से स्पष्ट है कि एक ही प्रेरणार्थक विधेय की योजना से हिंदी प्रेरणार्थक वाक्यों से सम्बन्धित सभी तथ्यों की व्याख्या सम्भव है ।

4. भावी शोध की दिशाएँ

1.0 हिंदी व्याकरण के कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त चर्चा के पश्चात् यह संकेत करना कि शोध के कौन से विषय मौलिक उपलब्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमाणित होंगे, कुछ अप्रासंगिक न होगा। विशेषण उपवाक्य और प्रेरणार्थक वाक्य के प्रसंग में इन विषयों पर हुए शोध से उत्पन्न कुछ समस्याओं का जिक्र किया जा चुका है। यहाँ उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है तथा कुछ अन्य प्रश्नों का भी उल्लेख किया जा रहा है।

2.0 पहले विशेषण उपवाक्य का प्रकरण लें। इस बात का उल्लेख हो चुका है कि व्याकरण में कुछ ऐसे नियमों की व्यवस्था करनी होगी जो मुख्य उपवाक्य की अपेक्षा में विशेषण उपवाक्य के स्थानापरिवर्तन (extraposition) की संभावनाओं को स्पष्ट करें (देखिए 'हिंदी के विशेषण उपवाक्य' का अनु. 5.0)। यह भी कहा जा चुका है कि इन नियमों को सूत्रबद्ध करना अभी संभव नहीं हो सका है। शोध का एक विषय यह भी है। इसी से सम्बन्धित एक विषय है अभिन्न संज्ञापद अध्याहार का, जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है।

'हिंदी के विशेषण उपवाक्य' में यह कहा जा चुका है कि हिंदी संज्ञापदों में सभी विशेषण और विशेषण पद अन्तर्निहित (embedded) वाक्यों से रूपान्तरण के नियमों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नीचे के वाक्यों में अन्तर्निहित वाक्य तथा उनके समार्थी विशेषण या विशेषण पद एवं उनके विशेष्य पर गौर करें :

1. जो कपड़े गीले है, उन (कपड़ों) को फैला दो।
   अ. (कपड़े) गीले कपड़ों को फैला दो।
2. जो बच्चें सो रहे हैं, उन (बच्चों) को छेड़ना ठीक नहीं।
   अ. (बच्चे) सोते हुए बच्चों को छेड़ना ठीक नहीं।
3. जो चिड़िया बैठी है, उस (चिड़िया) की तस्वीर ले ली है।
   अ. (चिड़िया) बैठी हुई चिड़िया की तस्वीर ले ली है।
4. राधा उस लड़की के साथ हवाई अड्डे गई है, जिस (लड़की) की बहन आने वाली है।

अ. जिस लड़की की बहन आने वाली है उस (लड़की) के साथ राधा हवाई अड्डे गई है।

आ. राधा उस लड़की के साथ, जिस (लड़की) की बहन आने वाली है, हवाई अड्डे गई है।

1–3 तक के वाक्यों पर विचार करें तो स्पष्ट है कि विशेषण उपवाक्य वाले वाक्यों में मुख्य उपवाक्य के संज्ञा पद का अध्याहार हुआ है (जिन संज्ञा पदों का अध्याहार हुआ है, वे कोष्ठकों में दिए गए हैं)। विशेषण पद वाले वाक्यों में किंतु आश्रित उपवाक्य के संज्ञा पद का अध्याहार हुआ है (1-3 अ)। 4 के वाक्यों पर विचार करें तीनों में विशेषण उपवाक्य वर्तमान हैं। जहाँ विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य या विशेष्य पद का परवर्ती है (4 और 4 आ), वहाँ आश्रित उपवाक्य के संज्ञापद का अध्याहार हुआ है। जहाँ विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य का पूर्ववर्ती है (4 अ), वहाँ किंतु मुख्य उपवाक्य के संज्ञापद का अध्याहार हुआ है। यदि अ-लघुकृत मिश्र वाक्यों को देखें तो स्पष्ट है कि अभिन्न संज्ञापदों में से उत्तरवर्ती संज्ञा पद का अध्याहार होता है, चाहे वह आश्रित उपवाक्य का अवयव हो, चाहे मुख्य उपवाक्य का। अतः इन वाक्यों के लिए अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम को यों सूत्रबद्ध किया जा सकता है :

अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम (1) :[1]

क—संज्ञापद$_1$ — ख — संज्ञापद$_2$ — ग

$\rightarrow$ क—संज्ञापद$_1$ — ख — ϕ — ग

बशर्ते : संज्ञापद$_1$ = संज्ञापद$_2$

संभव है कि क = ϕ

यह नियम उदाहरण 2 के वाक्य पर इस प्रकार लागू होगा :

(i) ϕ — जो बच्चे — सो रहे हैं—(वे) बच्चे — छेड़ना ठीक नहीं है

(क) (संज्ञापद$_1$) (ख) (संज्ञा पद$_2$) (ग)

$\rightarrow \phi$ — जो बच्चे — सो रहे हैं—(वे) ϕ — छेड़ना ठीक नहीं है

(क) (संज्ञापद$_1$) (ख) (संज्ञापद$_2$) (ग)

अन्वय आदि के उपरान्त वाक्य का रूप वह होगा जो 2 में दिया गया है।

समस्या यह है कि उक्त नियम को यदि विशेषण पद वाले वाक्यों पर लागू किया जाए, तो व्याकरण-सम्मत वाक्य प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए 2 अ पर विचार करें। विशेषण पद रूपान्तरण नियम, विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम के उपरान्त 2 अ की संचरना होती है :

(ii) ϕ — वच्चा — सोता हुआ — वच्चा — छेड़ना ठीक नहीं ।
(क) (संज्ञापद$_1$) (ख) (संज्ञापद$_2$) (ग)

इस पर यदि अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम (1) लागू किया गया तो परिणाम होगा :

(iiअ) ϕ — वच्चा — सोता हुआ — ϕ — छेड़ना ठीक नहीं ।
(क) (संज्ञापद$_1$) (ख) (संज्ञापद$_2$) (ग)

अन्वय आदि के उपरान्त वाक्य का रूप होगा :

2अ^1 : *वच्चे सोते हुए को छेड़ना ठीक नहीं ।

यह वाक्य हिंदी का व्याकरण-सम्मत वाक्य नहीं है । (ii) पर लागू होने वाले अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम का रूप यह होना चाहिए :

अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम (2)

क — संज्ञापद$_1$ — ख — संज्ञापद$_2$ — ग

$\rightarrow$ क — ϕ — ख — संज्ञापद$_2$ — ग

वशर्ते : संज्ञापद$_1$ = संज्ञापद$_2$

और [क—संज्ञापद$_1$—ख] पर विशेषण पद रूपान्तरण नियम लागू हो चुका हो या ख का एक अवयव [विशेषण पदक्रिया] हो और संज्ञापद इस क्रियापद का उद्देश्य हो ।

अर्थात् कृदन्त विशेषण पद या सामान्य विशेषण वाले वाक्यों में अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम (2) लागू होना चाहिए ।[4]

इस समाधान का दुर्भाग्यवश अर्थ यह होता है कि हिंदी में अभिन्न संज्ञापद अध्याहार के दो नियम लागू होते हैं, एक उत्तरवर्ती संज्ञापद के अध्याहार के लिए, दूसरा आश्रित उपवाक्य के संज्ञापद के अध्याहार के लिए ।[5] यह निष्कर्ष संतोष-जनक नहीं, क्योंकि अभिन्नता के आधार पर संज्ञापद के अध्याहार की प्रक्रिया एक है, हिंदी भाषी ऐसा अनुभव नहीं करते कि ऊपर बताए दो भिन्न प्रसंगों में दो भिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग होता है । हिंदी में अभिन्न संज्ञापद अध्याहार की प्रक्रिया की व्याकरण सम्मत व्याख्या अभी स्पष्ट नहीं है ।

2.1 रूपान्तरणात्मक व्याकरण के मॉडल के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि अभी तक मानव-भाषाओं पर जो काम हुए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि पुनरावर्तित वाक्य (recursive S) की आवश्यकता सिर्फ संज्ञापद के विस्तार में पड़ती है। किन्तु हिंदी के विशेषण उपवाक्यों के कुछ विवरण देखें (म. वर्मा, 1966), तो कृदन्त

पदों की उत्पत्ति में पुनरावर्तित वाक्य का प्रयोग विशेषण पद के विस्तार में किया गया है।[6] अर्थात्, क्रिया के कृदन्त रूपों का विशेषण-जैसा प्रयोग इस आन्तरिक संरचना से उत्पन्न बताया गया है :

आरेख I

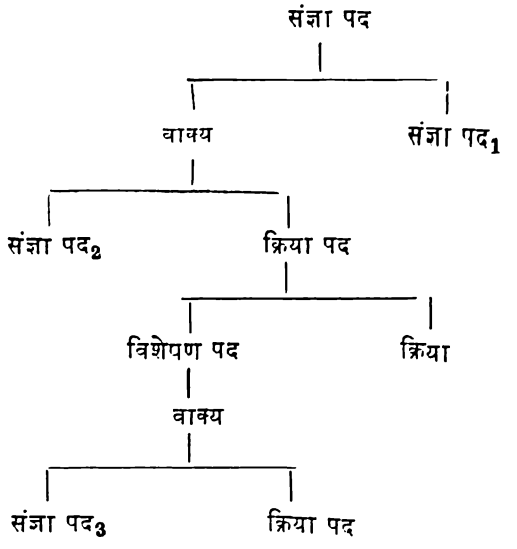

दावा यह है कि आरेख I जैसी आन्तरिक संरचना से कृदन्त विशेषणों की उत्पत्ति मानें तो कृदन्त विशेषणों की रूपात्मक परिभाषा (formal definition) प्राप्त हो जाती है। दिक्कत यह है कि कृदन्त-विशेषणों का ऐसा विवरण मॉडल के विरुद्ध है और तब तक इसे संगत नहीं माना जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि मॉडल का संप्रति स्वीकृत रूप अपर्याप्त है। संप्रति हिंदी के विशेषण उपवाक्यों पर शोध जारी है और आशा है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर शोध पूर्ण होने पर मिल जाएँगे।

2.2 विशेषण उपवाक्य प्रकरण में विशेषण पदों की उत्पत्ति का जो विवरण पहले दो प्रबन्धों में दिया गया है, उसमें विशेषण पद गठन नियम और विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम का क्रम निर्धारित नहीं किया गया है। मसलन्, पहले प्रबन्ध में विशेषण पद गठन नियम के पश्चात् विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम के लागू होने की बात कही गयी है (देखिए अनु. 2)। दूसरे प्रबन्ध में विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण के पश्चात् विशेषण पद गठन नियम लागू होने की बात कही गई है (देखिए 4.2 ओर 4.3)। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वैकल्पिक विशेषण

पद गठन नियम और अनिवार्य विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम का पारस्परिक क्रम क्या होना चाहिए।[8]

3.0 प्रेरणार्थक वाक्य प्रकरण में कहा गया है कि आश्रित उपवाक्य में यदि विशिष्ट प्रकार के क्रिया विशेषण हों या आश्रित उपवाक्य निषेध सूचक हो या आश्रित उपवाक्य का विधेय ख़ास ढंग से 'जटिल' हो, तो प्रेरणार्थक रूपान्तरण नियम लागू नहीं होता। प्रश्न यह है कि इस जटिलता की व्याख्या कैसे होगी। उदाहरण के लिए प्रेरणार्थक वाक्यों के आरेख में आश्रित उपवाक्य के निषेध सूचक होने की संभावना पर विचार करें (तीसरे प्रबन्ध का अनु. 3.3)। यदि यह सिद्ध हो गया कि निषेध सूचक उच्चतर विधेय के रूप में उत्पन्न होता है, तो इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है कि आश्रित उपवाक्य के निषेध सूचक होने पर हिंदी में व्याकरण-सम्मत प्रेरणार्थक वाक्य की उत्पत्ति क्यों बाधित हो जाती है। किन्तु अभी यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि हिंदी में निषेध सूचक उच्चतर विधेय के रूप में उत्पन्न होता है (भाटिया 1972, 2.1.1)। नीचे के वाक्यों पर ग़ौर करें :

5. राम चार दिनों से बीमार नहीं है।

यदि निषेध सूचक उच्चतर विधेय के रूप में उत्पन्न होता है तो 5 के दो ही अर्थ होने चाहिए।

5. अ. यह सच नहीं है कि राम चार दिनों से बीमार है।

5. आ. राम चार दिनों से स्वस्थ है, बीमार नहीं !

हिंदी भाषी किंतु 5 का एक और अर्थ सहज ही समझते हैं :

5. इ. राम बीमार तो है पर चार दिनों से नहीं।

निषेध सूचक को उच्चतर विधेय मानने पर 5 इ की व्याख्या असम्भव हो जाती है।[9]

4.0 अब कुछ ऐसे प्रकरणों की चर्चा करनी है जिन पर पिछले प्रबन्धों में कुछ नहीं कहा गया है। हिंदी के वाक्य-विन्यास में संज्ञा उपवाक्यों (noun phrase complements) का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि संज्ञा उपवाक्यों की संरचना पर कुछ काम हो चुका है (काचरू, 1966 और 1968 b सिन्हा 1970) तथापि उससे हिंदी की इस रचनात्मक प्रक्रिया की संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाई है। नीचे के वाक्यों के **मोटे अक्षरों में छपे** पदों का स्रोत संज्ञा उपवाक्य ही है :

6. **राम के वन जाने** से भरत दुःखी हुए।

7, **बारिश होने** पर गर्मी कम हो जाएगी।

8. **दिल्ली से आगरे जाने में** चार घंटे लगते हैं ।

9. मेरा **वहाँ जाने** का विचार नहीं है ।

10. **शिक्षक के आने** तक छात्र शोर मचाते रहे ।

6-10 तक **के जितने मोटे अक्षरों में छपे** पद हैं, सभी परसर्ग-पदों (postpositional phrases) के अवयव हैं और कार्य की दृष्टि से क्रियाविशेषण हैं । जिस प्रक्रिया से संज्ञा उपवाक्य भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-विशेषण पदों के अवयव बनते हैं, उसकी व्याख्या अभी अपेक्षित है ।

संज्ञा उपवाक्यों के उद्देश्य के साथ **का** और विधेय के साथ **ना** जोड़ संज्ञा पदों की उत्पत्ति की जाती है, यथा :[10]

आरेख II

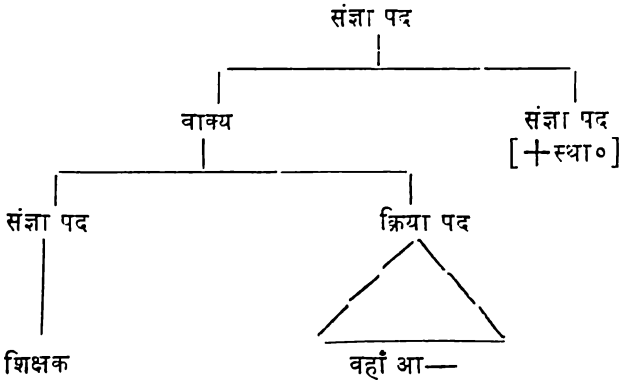

का—ना नियम के पश्चात् आरेख II का रूप होता है :

आरेख II अ

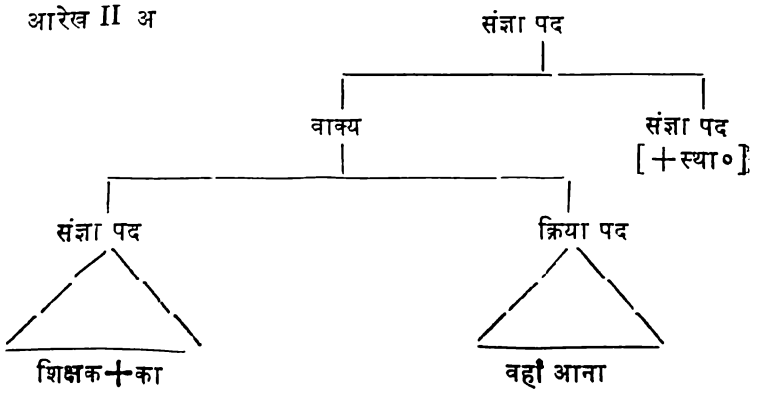

विशिष्ट परिस्थितियों में **का** का लोप हो जाता है, उदाहरणतः

11. ? देर का होना ⇄ देर होना

12. ? अवसर का प्राप्त होना ⇄ अवसर प्राप्त होना[11]

ये परिस्थितियाँ क्या हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है ।

अंग्रेजी में तथ्य (fact) और संज्ञा उपवाक्यों के पारस्परिक संपर्क पर काफी रोचक काम हुआ है (Kiparsky, 1971 आदि) नीचे के उदाहरणों पर गौर करें :

13. राम जानता है कि श्याम बीमार है ।

14. *राम जानता है कि श्याम शायद बीमार है ।

15. राम सोचता है कि श्याम बीमार है ।

16. राम सोचता है कि श्याम शायद बीमार हो ।

जानना क्रिया अपनी पूर्ति के लिए तथ्य की अपेक्षा रखती है, अतः 13 व्याकरण-सम्मत है और यह तथ्य प्रकट करता है कि श्याम बीमार है। 14 व्याकरण-सम्मत नहीं है क्योंकि **जानना** क्रिया संभाव्य को पूर्ति के रूप में स्वीकार नहीं करती ।[12] सोचना क्रिया तथ्य की अपेक्षा नहीं रखती, अतः 15 और 16 दोनों व्याकरण-सम्मत तो हैं किंतु 15 से यह प्रकट नहीं होता कि श्याम वास्तव में बीमार है। यह राम की मिथ्या कल्पना भी हो सकती है, जैसा कि 17 से स्पष्ट है :

17. राम सोचता है कि श्याम बीमार है पर मैंने आज उसे बाजार में घूमते देखा था ।

हिंदी में तथ्य और संज्ञा उपवाक्यों के पारस्परिक संपर्क पर अभी शोध जारी है ।[13]

4.1 वाक्य में एक ही संज्ञा पद की आवृत्ति हो, तो एक को छोड़ शेष सभी अभिन्न संज्ञा पद सर्वनाम में बदल दिए जाते हैं :

18. *राम राम के भाई के साथ राम के मित्र से मिलने गया ।

अ. राम अपने भाई के साथ अपने मित्र से मिलने गया ।

19. *ललिता ने कहा कि ललिता कल ललिता को थकने नहीं देगी ।

अ. ललिता ने कहा कि वह कल अपने को थकने नहीं देगी ।

किंतु कुछ संदर्भ ऐसे हैं जिनमें पुनरावृत्त संज्ञा पद का लोप हो जाता है :

20. *अमिता ने अमिता का स्कूल जाना उचित नहीं समझा ।

अ. अमिता ने स्कूल जाना उचित नहीं समझा ।

21. *शशि को लगा कि शशि उठकर चल दे ।

अ. शशि को लगा कि वह उठकर चल दे ।

आ. शशि को लगा कि उठकर चल दे ।

22. *सभी छात्र सभी छात्रों के जी-जान से सभी छात्रों के पढ़ने-लिखने में जुटे हुए हैं ।

अ. सभी छात्र अपने-अपने जी-जान से अपने-अपने पढ़ने-लिखने में जुटे हुए हैं ।

आ. सभी छात्र जी-जान से पढ़ने-लिखने में जुटे हुए हैं ।

ऐसे संज्ञापदों का लोप सर्वनामीकरण (pronominalization) प्रक्रिया का विशिष्ट अंग है । सर्वनामीकरण की प्रक्रिया, उसके अन्तर्गत निजवाचक सर्वनाम का प्रकरण, आवृत्त संज्ञापदों का लोप आदि शोध के महत्वपूर्ण विषय हैं । इन की नियम-वद्ध व्याख्या कैसे की जावे यह अभी स्पष्ट नहीं है । निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें :

23. राम घर पहुँचा और उसको भूख लग गई ।

अ. *राम घर पहुँचा और भूख लग गई ।

24. राम को भूख लगी और वह गुस्से में आ गया ।

अ. *राम को भूख लगी और गुस्से में आ गया ।

25. घर पहुँचकर राम को भूख लगी ।

26. *भूख लगकर राम गुस्से में आ गया ।

27. सीना ने ललिता को अपने घर चलने को कहा ।

28. सीता ने ललिता को अपने घर जाने को कहा ।

29. राम ने बताया कि श्याम उसके कमरे में बैठकर उसके कागज़ात छेड़ रहा था ।

30. राम ने बताया कि श्याम मेरे कमरे में बैठकर मेरे कागज़ात छेड़ रहा था ।

31. मैं राम को अपनी पत्नी के साथ वहाँ नहीं जाने दूंगा ।

अ. मैं राम को उसकी पत्नी के साथ वहाँ नहीं जाने दूंगा ।

32. राधा ने सीता को अपनी साड़ी पहनाई ।

अ. अपनी साड़ी सीता को राधा ने पहनाई ।

33. सीता को राधा की साड़ी **राधा ने** पहनाई ।

अ. राधा की साड़ी सीता को **राधा ने** पहनाई ।

इन उदाहरणों से कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं । 23 और 24 के व्याकरण-सम्मत और चिह्नित वाक्यों से जाहिर है कि जहाँ अभिन्न संज्ञा पद स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न कारक-सम्बन्धों (case relations) को प्रतिफलित करते हों, वहाँ सर्वनामीकरण अनिवार्य है, लोप की गुंजाइश नहीं है । 25 और 26 के अन्तर की व्याख्या कैसे की जाए, यह स्पष्ट नहीं है ।[14] 27 में **अपना सीता** का निजवाचक है, 28 में **अपना सीता** का भी निजवाचक हो सकता है और **ललिता** का भी ।[15] 29 में **उसका राम** का भी समार्थी हो सकता है, किसी तृतीय व्यक्ति का भी । 30 में **मेरे से राम** का बोध हो सकता है, **राम** से भिन्न वक्ता का भी ।[16] 31 के दोनों वाक्य द्विअर्थी हैं । 32 में **अपनी** राधा का समार्थी है । 33 में **राधा की** का पुनरावर्तन इसलिए व्याकरण सम्मत है कि **राधा ने** पर विशेष बलाघात है ।[17] किन संदर्भों में पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम अनिवार्य हैं, किन संदर्भों में वे वैकल्पिक हैं, कैसे नियम वाक्यों में इनके प्रयोग की व्याकरण-सम्मत व्यवस्था कर सकते हैं, यह शोध का अत्यन्त रोचक विषय है ।[18]

4.2 क्रियाओं के प्रकरण में संयुक्त क्रियाएँ अध्ययन का अत्यन्त रोचक विषय हैं । कुछ सहायक क्रियाएँ, जैसे **जाना, देना, लेना** के संयोग से बनने वाली संयुक्त क्रियाओं का वाक्य-विन्यास की दृष्टि से जो महत्व है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है (काचरू 1972, वर्मा 1971), किंतु कार्य की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं का विश्लेषण अभी बाकी है । संज्ञा और विशेषण को लेकर बनने वाली संयुक्त क्रियाओं पर अभी उतना भी काम नहीं हुआ है ।[19]

हिंदी के निषेध सूचक और समानाधिकरण बोधक संयुक्त वाक्यों पर काम की शुरुआत हुई है (भाटिया 1972, कौल 1970) किंतु प्रश्नवाचक और आज्ञार्थक तथा संयुक्त वाक्यों के अन्य प्रकारों पर अभी काम नहीं हुआ है । हिंदी समासों की रचना की व्याख्या अभी भी अछूती है । निष्कर्ष यह है कि अभी तक जो शोध हो पाया है, उससे स्पष्ट यही हुआ है कि हिंदी की वाक्य-रचना के सम्बन्ध में हमारा अ-ज्ञान कितना प्रगाढ़ है ! हिंदी भाषा का आधुनिक मॉडल पर आधारित व्याकरण

प्रस्तुत करना अपने-आप में साध्य है ही, ऐसे व्याकरण की अपेक्षा इसलिए और भी है कि जब तक हिंदी व्याकरण पर गहन शोध नहीं होगा, हिंदी के पठन-पाठन की समस्याएँ वैसी ही बनी रहेंगी। यह सही है कि भाषा का विशद और 'वैज्ञानिक' व्याकरण अपने-आप में भाषा-शिक्षण की सफलता की शर्त नहीं प्रस्तुत कर सकता। भाषा-शिक्षण के लिए पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने में भाषा के विशद् विवरण का जो योग हो सकता है उसकी किंतु उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषा शिक्षण के व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी हिंदी पर गहन शोध की आवश्यकता स्पष्ट है।

टिप्पणियाँ

1. स्थान परिवर्तन से सम्बन्धित नियम को सूत्रबद्ध करने में जो समस्याएँ हैं उनको निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है :

   1. जो लड़का विगुल बजा रहा था वह बेहोश हो गया।

   2. वह लड़का जो विगुल बजा रहा था बेहोश हो गया।

   3. वह लड़का बेहोश हो गया जो विगुल बजा रहा था।

   यदि यह मान लिया जाए कि विशेषण पदों और उपवाक्यों की उत्पत्ति का स्रोत निम्नलिखित नियम है :

   संज्ञा पद→(वाक्य) संज्ञा पद

   तो स्थान-परिवर्तन के दो नियम आवश्यक होंगे, एक नियम विशेषण उपवाक्य को विशेष्य का परवर्ती बनाएगा, दूसरा उसे संपूर्ण वाक्य का परवर्ती बनाएगा। नीचे के आरेख इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं :

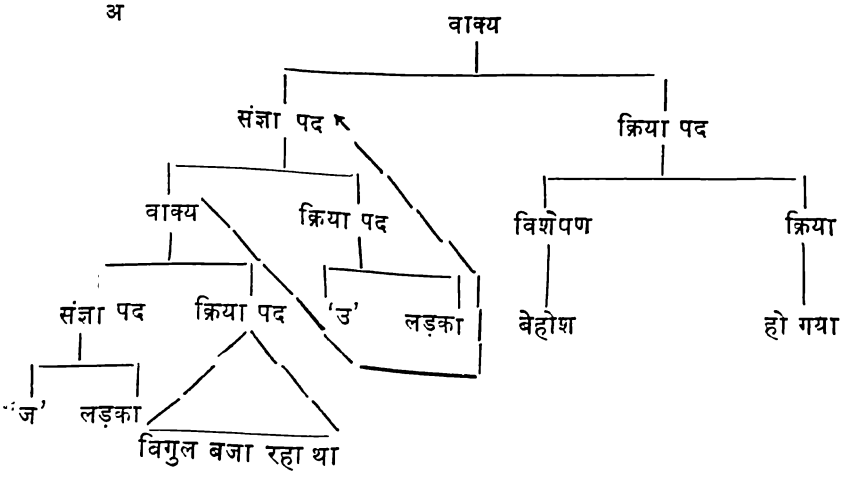

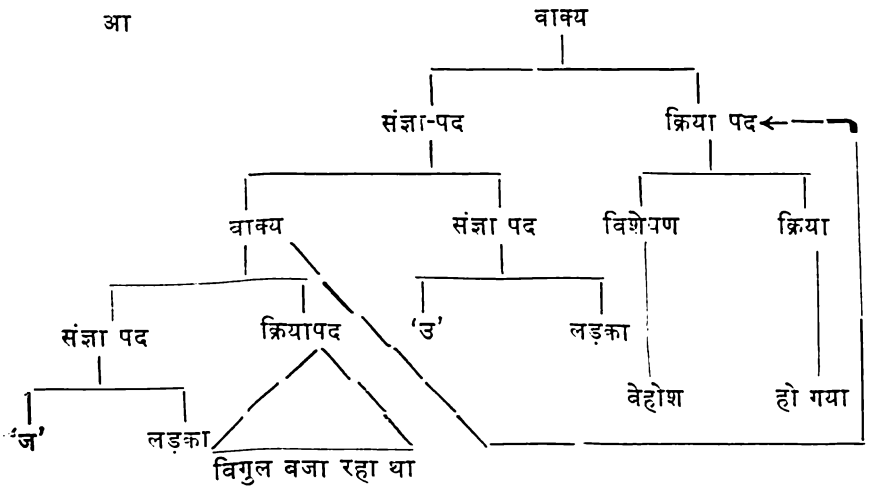

एक प्रक्रिया के लिए दो नियमों की आवश्यकता पड़े, यह संतोषजनक प्रतीत नहीं होता।

2. इन नियमों में क, ख और ग variables के लिए, =अभिन्नता सूचित करने के लिए, ϕ विशिष्ट वाक्यांश का लोप सूचित करने के लिए तथा $\neq$भिन्नता सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

3. विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और विशेषण पद रूपान्तरण नियम के पारस्परिक क्रम पर इस प्रबन्ध के अनुच्छेद 2.2 में विचार किया गया है।

4. वास्तव में विशेषण उपवाक्य और भी समस्याएँ उपस्थित करते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्य भी हैं।

   1. तुम जिस के साथ जा रहे थे, राम भी उस लड़के के साथ गया था।
   2. राम जिसमें रहता था, वह मकान पिछले साल जल गया।

   द्रष्टव्य है कि अ और आ में यद्यपि विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य का पूर्ववर्ती है, फिर भी विशेषण उपवाक्य के संज्ञापद का अध्याहार हुआ है। विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रसंग से सम्बन्धित कई समस्याओं का हल सम्भव है। यदि ऐसे उपवाक्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया के विवरण में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। कैसे परिवर्तन इस दिशा में लाभदायक प्रमाणित होंगे, इसकी चर्चा के लिए देखिए टि. 7.

5. हिंदी में संज्ञापद अध्याहार नियम एक सामान्य नियम है। ध्यातव्य है कि समानाधिकरण संयोजक से जुड़े वाक्यों में हमेशा उत्तरवर्ती अभिन्न संज्ञा पद का अध्याहार होता है :

1. राम$_1$ हँसा और राम$_i$ उठकर चल दिया ।

2. राम हँसा और उठकर चल दिया ।

3. *हँसा और राम उठकर चल दिया ।

यदि यह मानें कि हिंदी में क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होने वाले कृदन्त पद आश्रित उपवाक्यों से रूपान्तरण के नियमों द्वारा प्राप्त होते हैं तो निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के अभिन्न संज्ञा पदों का आध्याहार स्पष्ट है :

1. राम$_1$ उठ रहा था—राम$_1$ ने अँगड़ाई ली ।

2. उठते हुए राम ने अँगड़ाई ली ।

3. *राम उठते हुए अँगड़ाई ली ।

4. लड़की रोई—लड़की ने कहा........

5. लड़की ने रोकर कहा........

6. *लड़की रोकर कहा........

6. हिंदी वाक्य-विन्यास में विधेय के विस्तार के लिए ये नियम माने गए हैं :

क्रिया पद → { पूर्ति + हो
  { (संज्ञा पद)
    पूर्ति } क्रिया }

पूर्ति → { संज्ञा पद
  विशेषण पद
  क्रियाविशेषण पद }

विशेषण पद → {(क्रियाविशेषण पद) विशेषण वाक्य}

अर्थात् हिंदी में मूलतः विधेय तीन प्रकार के होते हैं : **होना** क्रिया वाले, अकर्मक/सकर्मक क्रिया वाले तथा पूर्ति की अपेक्षा रखने वाली क्रिया वाले, जिनके उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :

पूर्ति + हो : 1. लड़का चालाक है ।
2. राम डाक्टर है ।
3. सीता घर में है ।

अकर्मक : 4. राम चला ।

सकर्मक : 5. मोहन ने टोपी पहनी ।

पूर्ति : 6. राम डाक्टर बना ।

विशेषण पद के विस्तार में वैकल्पिक क्रियाविशेषण पद की आवश्यकता निम्नलिखित पदों की दृष्टि से है :

1. लड़का **बहुत** चालाक है ।
2. राम **श्याम** से लम्बा है ।
3. यह कैंची **उतनी** ही तेज है **जितनी यह छुरी** ।

7. ऊपर जिन समस्याओं का जिक्र किया गया है, ऐसा लगता है कि उनका समाधान विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण की प्रक्रिया के विवरण में परिवर्तन पर निर्भर है । उदाहरणतः, यदि यह मान लिया जाए कि विशेषण उपवाक्य अन्तर्निहित या आश्रित उपवाक्य से उत्पन्न न होकर समानाधिकृत वाक्य से उत्पन्न होते हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं । उदाहरणतः, नीचे के वाक्यों पर विचार करें :

1. लड़कीi गा रही थी और लड़की साड़ी पहन रही थी ।
2. जो लड़कीi गा रही थी वह (लड़कीi) साड़ी पहन रही थी ।
3. (लड़कीi) गाती हुई लड़की साड़ी पहन रही थी ।

1 की आन्तरिक संरचना पर या तो विशेषण उपवाक्य रूपान्तण नियम लागू होता है या विशेषण पद रूपान्तरण नियम । प्रथम नियम के लागू होने पर 2 की प्राप्ति होती है, द्वितीय के लागू होने पर 3 की । इसके अतिरिक्त यह मान लिया जाए कि विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण के पश्चात् अभिन्न संज्ञा पद का अध्याहार न होकर सर्वनामीकरण होता है । सर्वनामीकरण के पक्ष में यह तर्क दिए जा सकते हैं : हिंदी में सम्बन्धवाचक सर्वनाम के कई रूप हैं, **जो, जब, जहाँ, जिधर, जितना** इत्यादि । **जो** से पुरुष या वस्तु का बोध होता है, **जब** से समय का, **जहाँ** से स्थान का, **जिधर** से दिशा का और **जितना** से परिमाण या मात्रा का । इन्हें हम **ज**+'समय', **ज**+'दिशा' आदि का सार्वनामिक रूप मानें तो इन रूपों के अर्थ का विवरण देना सम्भव हो जाता है । विशेषण उपवाक्यों में तब सर्वनामीकरण की दो प्रक्रियाएँ सामने आती हैं, जो इन वाक्यों से स्पष्ट हैं :

4. तुम जिस मकानi में रहते थे वह (मकानi) बिक गया ?
5. तुम जिस (मकानi) में रहते थे, वह मकानi बिक गया ?

4 में उत्तरवर्ती **मकान** का सर्वनामीकरण हुआ है, 5 में पूर्ववर्ती का। सर्वनामीकरण की इन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करना कठिन नहीं। प्रश्न यह है कि **पश्च सर्वनामीकरण** (backward pronominalization) की प्रक्रिया हिंदी के लिए स्वाभाविक है या नहीं। इस पर अभी शोध जारी है।

विशेषण पद रूपांतरण नियम वैकल्पिक माना जाए और 1 की आंतरिक संरचना पर लागू हो, तो उसके पश्चात् अभिन्न संज्ञापद अध्याहार नियम लागू होने में कोई बाधा नहीं है और ऐसे अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम को सूत्रबद्ध करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। संप्रति इलिनॉय विश्व विद्यालय (अरबाना) में शोध-छात्री सूजन डोनल्डसन विशेषण उपवाक्यों के व्याकरण-सम्मत विश्लेषण पर शोध कर रही हैं।

म. वर्मा (1966) में विशेषण पद के विस्तार में वाक्य का पुनरावर्तन इस लिए आवश्यक है कि (1) इस विवरण में विशेषण पदों की उत्पत्ति विशेषण उप-वाक्यों से मानी गयी है, और (2) संज्ञापद के विस्तार में संज्ञापद के पश्चात् वाक्य की स्थिति मानी गयी है (संज्ञा पद → संज्ञापद वाक्य)। नीचे के आरेखों से स्पष्ट है कि इन दोनों कारणों से विशेषण + विशेष्य पदों का गठन स्पष्ट करने में कई समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं :

आरेख I

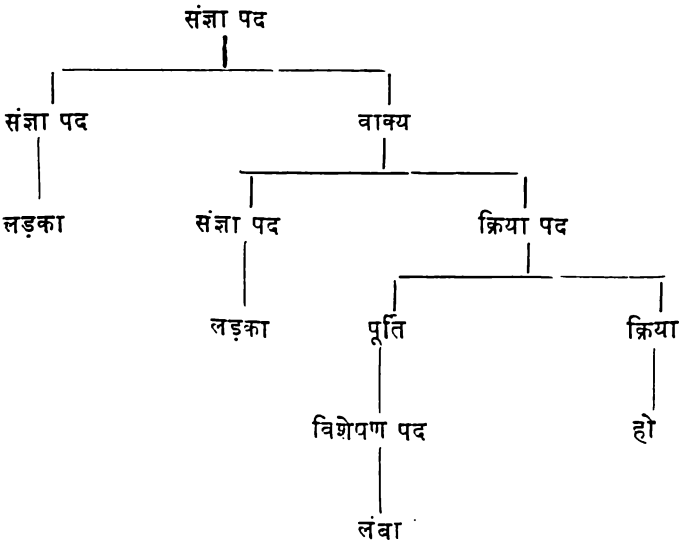

आरेख II

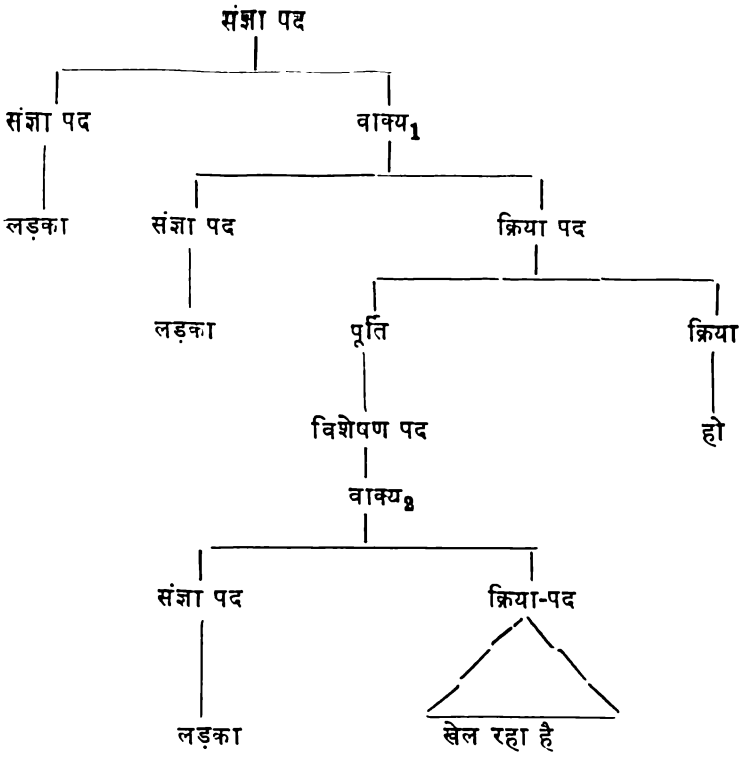

आरेख I पर विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम लागू होने पर परिणाम होता है :

आरेख I अ

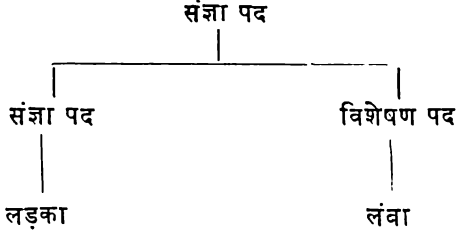

आरेख II पर विशेषण पद रूपान्तरण नियम, विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम, और विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम लागू होने पर फल होता है :

अ II

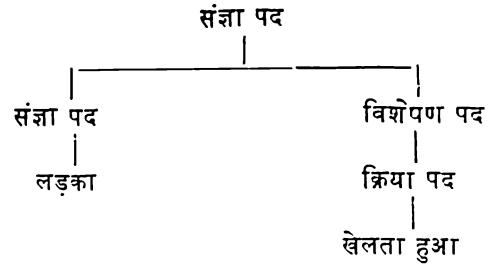

I और II अ दोनों में क्रमशः **लंबा** और **खेलता हुआ** विशेषण पद के अन्तर्गत आते हैं, अतः एक ही स्थान परिवर्तन नियम इन दोनों को संज्ञा-पूर्व स्थान पर ला सकता है :

स्थान-परिवर्तन नियम :

क—[संज्ञापद–विशेषण पद]—ख

1 2 3 4

⇉ 1, 3+2, 4

यदि आरेख II में वाक्य$_2$ विशेषण पद के अन्तर्गत न हो, तो स्थान-परिवर्तन नियम को विशेषण पद के अतिरिक्त क्रिया पद के स्थान परिवर्तन की भी व्यवस्था करनी होगी जिससे नियम की जटिलता बढ़ जाएगी।

8. विशेषण पदों की उत्पत्ति आश्रित उपवाक्यों से मानें तो विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम और विशेषण पद रूपान्तरण नियम का पारस्परिक क्रम कुछ समस्याएँ उत्पन्न करता है। वर्तमानकालिक कृदन्त के साथ विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम अनिवार्य है, भूतकालिक के साथ नहीं :

1. *जो लड़का खेलता हुआ है वह पाँच वर्ष का है।
2. जो लड़का सोया हुआ है वह पाँच वर्ष का है।

विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण नियम के पश्चात् विशेषण पद रूपान्तरण नियम का लागू होना मानें तो द्वितीय नियम के लागू होने की शर्तें क्या हैं, बताना कठिन है, किन्तु वर्तमान कालिक कृदन्त के पश्चात् विशेषण उपवाक्य लघुकरण नियम की अनिवार्यता बताना सहज हो जाता है किन्तु दोनों नियमों का पारस्परिक क्रम क्या होना चाहिए यह स्पष्ट नहीं है।

भूतकालिक कृदन्तों को लें तो भूतकालिक कृदन्त पदों का अनिवार्य संपर्क विशेषण उपवाक्य रूपान्तरण प्रसंग से है, ऐसा नहीं जान पड़ता। अर्थात् हिंदी में ऐसे वाक्य हैं :

1. लड़का **सोया हुआ है**।

2. किताब **मेरी पढ़ी हुई है**।

भूतकालिक कृदन्त एक स्वतन्त्र नियम से उत्पन्न होते हैं, विशेषण उपवाक्य प्रसंग में 1 और दो के वाक्य यदि उचित (appropriate) वाक्यों के साथ समानाधिकरण संयोजक से जुड़े हों या संज्ञा पद के अन्तर्गत आश्रित उपवाक्य के रूप में आएँ, तो विशेषण उपवाक्य लघुकरण के पश्चात् उनसे कृदन्त विशेषण के रूप उपलब्ध होते हैं। यानी यदि कृदन्त पदों की उत्पत्ति समानाधिकृत वाक्यों से मानें तो विशेषण पद रूपान्तरण के वैकल्पिक नियम की आवश्यकता सिर्फ वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण पदों की उत्पत्ति के लिए होनी चाहिए। अभी संयुक्त वाक्यों से हिंदी के विशेषण उपवाक्यों और पदों की उत्पत्ति के सिद्धान्त के सभी पहलू स्पष्ट नहीं हैं।

9. यदि यह मान लिया जाए कि निषेध-सूचक और क्रियाविशेषण-दोनों उच्चतर विधेय के रूप में उत्पन्न होते हैं (गाइस, 1970 और स्टीफेन्सन, 1971), तो 5 की आन्तरिक संरचना यों होनी चाहिए :

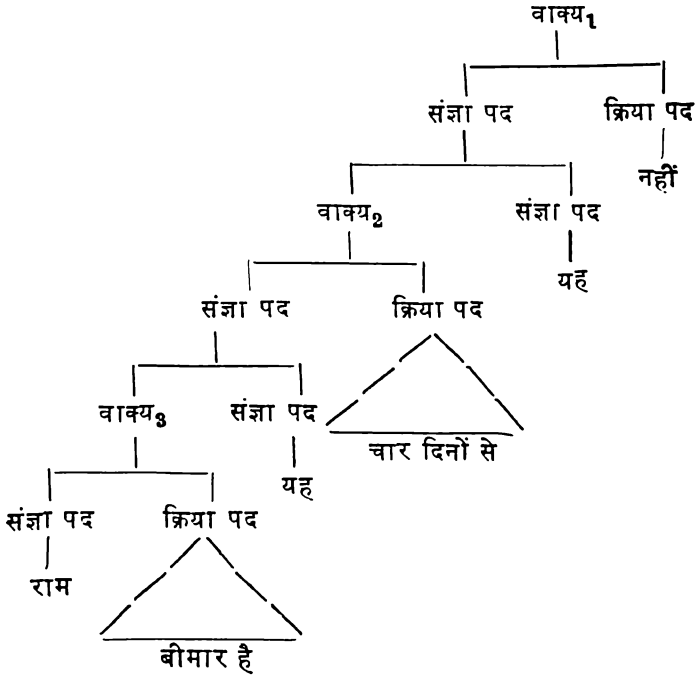

स्पष्ट है कि इस आन्तरिक संरचना के अनुसार हर दशा में वाक्य$_3$ निषेध-सूचक के क्षेत्र में आ जाता है, वाक्य$_3$ को अछूता छोड़ सिर्फ वाक्य$_2$ पर निषेध-सूचक का प्रभाव पड़े, यह असंभव है।

10. काचरू (1966 और 1968 b) तथा सिन्हा (1970) में संज्ञा-उपवाक्यों का विवरण देखें।

11. ध्यातव्य है कि **का** का लोप केवल भाववाचक संज्ञाओं के प्रसंग में ही नहीं होता (**किताब का छपना** और **किताब छपना**—दोनों व्याकरण-सम्मत हैं) और कभी-कभी भाववाचक संज्ञाओं के प्रसंग में भी **का** का लोप असंभव है : यथा **सीता की कढ़ाई की सराहना** (तुलना करें : ***सीता कढ़ाई की सराहना** या ***सीता की कढ़ाई सराहना**)।

12. ध्यान रहे कि संभाव्य और भविष्यत् काल समार्थी नहीं हैं। **जानना** क्रिया की पूर्ति में भविष्यत् काल का प्रयोग व्याकरण-सम्मत है :

राम जानता है कि श्याम कल चार बजे आएगा।

13. किपार्स्की और किपार्स्की (1971), कार्त्तूनेन (1970) आदि के आधार पर हिंदी में तथ्य और संज्ञा उपवाक्यों के पारस्परिक संपर्कों पर शोध जारी है। इलिनॉय विश्वविद्यालय के शोध-छात्र के. वी. सुब्बाराव संज्ञा उपवाक्यों पर शोध में प्रवृत्त हैं।

14. इन वाक्यों के पारस्परिक संपर्क को निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों से स्पष्ट किया जा सकता है :

25. अ. राम घर पहुँचा और राम को भूख लगी।

26. अ. राम को भूख लगी और राम गुस्से में आ गया।

अभिन्नता के आधार पर 25 अ. के प्रथम (सरल) वाक्य के उद्देश्य का लोप हो जाता है और पूर्वकालिक क्रिया रूप के प्रयोग से 25 का व्याकरण-सम्मत वाक्य प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया 26 अ पर लागू करें तो 26 का वाक्य प्राप्त होता है जो व्याकरण-सम्मत नहीं है। सिर्फ **राम** और **राम को** के क्रम-परिवर्तन से ऐसा अन्तर क्यों पड़ता है, यह स्पष्ट नहीं है। इस अन्तर का कारण न तो यह है कि **राम को भूख लगी** में **राम** मात्र भोक्ता है, न यह कि इस वाक्य में **राम** अपने विकारी रूप में (**को**) परसर्ग के साथ आया है; नीचे के उदाहरणों में क्रमशः ये दोनों कारण वर्तमान हैं फिर भी दोनों वाक्य व्याकरण-सम्मत हैं :

(*i*) पिटकर राम चला आया।

(ii) खाना **खा** कर राम सो गया ।

(i) में **पिट कर** उद्देश्य मात्र भोक्ता है, (ii) में **का** का उद्देश्य विकारी है और **ने** परसर्ग की अपेक्षा रखता है ।

15. हिंदी में **आना** और **जाना** क्रिया-अर्थ की दृष्टि से विरोधी हैं, **चलना** की स्थिति भिन्न है । **आना** वक्ता की ओर, **जाना** वक्ता से परे, गति का सूचक है । **चलना** वक्ता के समानांतर गति का सूचक है (अपने एक प्रयोग या अर्थ में) । 27 और 28 का अन्तर **चलना** और **जाना** के अन्तर पर निर्भर है ।

16. 30 का दूसरा अर्थ एक प्रसंग की कल्पना से स्पष्ट हो जाएगा । सोहन **मोहन** से चर्चा कर रहा है कि राम से उसे क्या-क्या सूचनाएँ मिलीं और **इस प्रसंग** में उसने 30 का वाक्य कहा । स्पष्ट है कि **मेरे** का स्वाभाविक अर्थ सोहन से जुड़ेगा ।

17. जोर देने के लिए **ही** का प्रयोग 32 में **सीता** या **राधा** दोनों में से किसी के भी साथ हो सकता है । 33 में किंतु **ही** का प्रयोग सिर्फ **राधा** के साथ हो सकता है ।

18. काचरू और भाटिया (1973) । इस विषय पर शोध अभी जारी है ।

19. काचरू (1968 a) में इस विषय पर हुए प्रारंभिक कार्य का विवरण है ।

संदर्भ सूची

[अ] सामान्य

Bach, Emmon, and Robert T. Harms, eds. 1968. *Universals in Linguistic Theory*. New York : Holt, Rinehart and Winston.

Bierwisch, Manfred, and Karl E. Heidolph, eds. 1970. *Recent Advances in Linguistics*. The Hague : Mouton and Co.

Brown, Roger. 1958. *Words and Things*. New York : The Free Press.

Chomsky, Noam. 1957. *Syntactic Structures*. The Hague : Mouton and Co.

———. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass. : M. I. T. Press.

———. 1970. Remarks on nominalizations. *Readings in English Transformational Grammar*. ed. by R. Jacobs and P. S. Rosenbaum, 184-221.

———. 1971. Deep structure, surface structure, and semantic interpretation. *Semantics : an Interdisciplinary Reader*, ed. by D. Steinberg and L. Jakobovits, 183-216.

———. 1972. Some empirical issues in the theory of transformational grammar. *Goals of Linguistic Theory*, ed. by P. S. Peters, 63-130.

Emmonds. Joseph. 1969. *Constraints on Transformations*. Cambridge, Mass. : M.I.T. Ph. D. dissertation.

Fillmore, Charles J. 1968. The case for case. *Universals in Linguistic Theory*, ed. by E. Bach and R. T. Harms, 1-88.

———. and D. Terence Langendoen (eds.) 1971. *Studies in Linguistic Semantics*. New York : Holt, Rinehart and Winston.

Geis, Jonnie. 1970. *Some Aspects of Verb Phrase Adverbials in English.* Urbana, University of Illinois Ph. D. dissertation.

Gelb, I. J. 1963. *A study of Writing.* Chicago : University of Chicago Press (revised edition).

Green, Georgia. 1973. *Semantics and Syntactic Regularity.* Cambridge University Press.

Gruber, Jeffrey S. 1965. *Studies in Lexical Relations.* Cambridge, Mass. : M.I.T. Ph.D. dissertation.

Jackendoff, Ray S. 1969. *Some Rules of Semantic Interpretation.* Cambridge, Mass. : M.I.T. Ph.D. dissertation.

————. 1969. An interpretative theory of negation. *Foundations of Language* 5:2, 218-41.

————. 1968. Quantifiers in English. *Foundations of Language* 4:4, 422-43.

————. 1971. On some incorrect notions about quantifiers and negation. *Lg.* 47:2, 282-97.

Jacobs, Roderick A. and Peter S. Rosenbaum, eds. 1970. *Readings in English Transformational Grammar.* Boston : Ginn-Blaisdell.

Karttunen, Lauri. 1970. On the semantics of complement sentences. *Papers from the Sixth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society,* 328-40.

————. 1971. Some observations on factivity. *Papers in Linguistics* 4, 55-70.

Katz, Jerold J. and Paul M. Postal. 1964. *An Integrated Theory of Linguistic Description.* Cambridge, Mass. : M. I. T. Press.

Kiefer, Ferenc, ed. 1970. *Studies in Syntax and Semantics.* Dordrecht : D. Reidel.

Kiparsky, Paul and Carol Kiparsky. 1971. Fact. *Semantics : an Interdisciplinary Reader,* ed. by D. Steinberg and L. Jakobovits. 345-69.

Lakoff, George. 1970a. Global rules. *Lg.* 46:3, 27-39.

———. 1970b. *'Irregularity in Syntax'* New York : Holt, Rinehart and Winston.

———. 1971. On generative semantics. *Semantics : an Interdisciplinary Reader*, ed. by D. Steinberg and L. Jakobovits.

Langacker. Ronald E. 1969. Pronominalization and the chain of command. *Modern Studies in English*, ed. by D. Reibel and S. Schane, 160-86.

Mc Cawley, James D. 1968a. Concerning the base component of a transformational grammar. *Foundations of Language* 4:, 243-81.

———. 1968b. The role of semantics in a grammar. *Universals in Lingustic Theory*, ed. by E. Bach and R. Harms.

———. 1968c. Lexical insertion in a transformational grammar without deep structure. *Paper from the Fourth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society.*

Peters, P. Stanley, ed. 1972. *Goals of Linguistic Theory.* Englewood Cliffs, N. J. : Prentice—Hall.

Perlmutter, David. 1971. *Deep and Surface Structure Constraints in Syntax.* New York : Holt, Rinehart and Winston.

Postal, Paul M. 1969. *Anaphoric Islands. Papers from the Fifth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society*, 205-40.

———. 1970. On coreferential complement subject deletion. *Linguistic Inquiry* 1, 439-500.

———. 1971. *Crossaver Phenomena.* New York : Holt, Rinehart and Winston.

———. 1972. A global constraint on pronominalization. *Linguistic Inquiry* 3, 35-60.

Reibel, David A. and Sanford A. Schane, eds. 1969. *Modern Studies in English.* Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.

Ross, John R. 1966. A proposed rule of tree-pruning. *Mathematical Linguistics and Automatic Translation*, Report No. NSF-17. Harvard University Computational Laboratory.

Steinberg, Danny and Leon Jakobovits (eds.) 1971. *Semantics : an Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology*. Cambridge University Press.

[आ] हिंदी व्याकरण संबंधी

Bahl, Kali. 1967. Causal verbs in Hindi. *Languages and Areas : Studies presented to George V. Bobrinskoy*, Chicago. 6-27.

Balchandran, Lakshmi B. 1970. *A case Grammar of Hindi* with special reference to causative sentences. Ithaca : University of Cornell Ph.D. dissertation.

Bhatia, Tej K. 1972. Notes on negation in Hindi. Urbana : University of Illinois, Department of Linguistics, M.A. paper.

Donaldson, Susan K. 1971. Movement in restrictive relative clauses in Hindi. *Papers on Hindi Syntax* ed. by Y. Kachru. 1-74.

Guru, Kamta P. 1967. *Hindi Vyakaran*. Banaras; Nagri Pracharini Sabha (seventh reprint).

Agarwal, Kailash C. 1974. *Adhunik Hindi Vyakaran*. Agra, Ranjan Prakashan (fourth reprint).

Hackman, Geoffrey J. 1971. Readucing relatives in Hindi. Urbana: University of Illinois paper.

Kachru, Braj B. 1974. General linguistic studies in Hindi : a review of resources (unpublished Mss.)

Kachru, Braj B. and Yamuna Kachru, eds. 1968. *Studies in Hindi Linguistics*. Delhi: American Institute of Indian Studies.

Kachru, Yamuna. 1965. *A Transformational Treatment of Hindi Verbal Syntax*.

London : University of London Ph. D. dissertation.

_____. 1966. *An Introduction to Hindi Syntax*. Urbana : University of Illinois, Department of Linguistics.

_____. 1968. On the so-called conjunct verbs in Hindi. *Studies in Hindi Linguistics* ed. by Braj and Yamuna Kachru.

———. 1968b. Nominal complement construction in Hindi. *Bhasha Shikshan aur Bhasha Vijnan*, Agra : Central Institute of Hindi 119-30.

———. 1969. A note on possessive construction in Hindi-Urdu. *Journal of Linguistics* 6. 37-45.

———. 1970. The syntax of *ko*-sentences in Hindi—Urdu. *Papers in Linguistics* 2 : 2.299-316.

———. 1973. Causative sentences in Hindi revisited. *Issues in Linguistics* :*Papers in Honor of Henry and Renee Kahane* ed. by Braj B. Kachru et. al. Urbana : University of Illinois Press.

———. 1972. Notes on grammatical categories and participant roles in Hindi-Urdu. To appear in Archibald A. Hill felicitation volume. ed. by Edgar C. Polome et. al. Austin : University of Taxas.

Kellogg, S. H. 1938. *A Grammar of the Hindi Language*. London : Routledge and Kegan Paul.

Kleiman, Angela. 1971. Some aspects of the causative construction in Hindi. *Papers on Hindi Syntax* ed. by Y. Kachru. 104-35.

McGregor, R. Stuart. 1972. *Outline of Hindi Grammar*. Oxford : Clarendon Press.

Sah, Prajapati P. 1971. *A Generative Semantic Treatment of Some Aspects of English and Hindi Grammar*. York : University of York Ph. D. dissertation.

Sharma, Aryendra. 1958. *A Basic Grammar of Modern Hindi*. New-Delhi : Government of India.

Sharma, Aryendra. 1958. *A Basic Grammar of Modern Hindi*. New Delhi : Government of India.

Sinha, Anil C. 1970. *Predicate Complement Constructions in Hindi and English*. York : University of York Ph. D. dissertation.

Steffensen, Margaret. 1971. A deverbal analysis of adverbials in Hindi. *Papers on Hindi Syntax* ed. by Y. Kachru 136-79.

Subbarao, Karumuri V. 1971. Notes on reflexivization in Hindi. *Papers on Hindi Syntax.* Urbana : University of Illinois. ed. by Y. Kachru. 180-214.

Vajpeyi, Kishori D. 1959. *Hindi Shabdanushasan.* Banaras : Kashi Nagri Pracharini Sabha.

Van Olphen, H. H. 1970. *The Structure of the Hindi Verb Phrase.* Austin. University of Taxas Ph. D. dissertation.

Verma, Manindra K. 1966. *A Synchronic Comparative Study of the Structure of Noun Phrase in English and Hindi.* Ann Arbor; : University of Michigan Ph. D. dissertation.

————. 1971. review of *An Introduction to Hindi Syntax* by Yamuna Kachru. *Indian Linguistics* 32 : 2. 156-64.

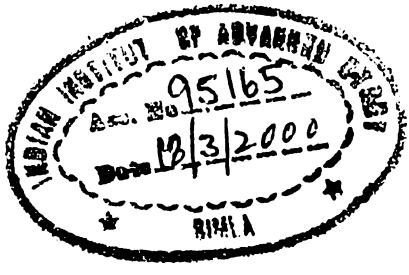

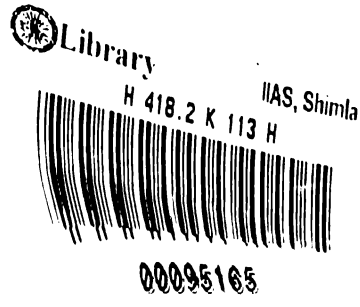
Library
IIAS, Shimla
H 418.2 K 113 H
00095165